''इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समाजार्थिक दशाओं का अध्ययन''

"Allahabad Nagar Mein Anaupcharik Chetra Mein Rojgarrat Mahilaon Ki Samajarthic Dashaon Ka Adhyyan"

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी०फिल्० उपाधि
के लिए प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री

बन्दना त्रिपाठी

निर्देशक

डॉ० गिरीश चन्द्र त्रिपाठी

रीडर, अर्थशास्त्र
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2003

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्रद्धेय स्व0 श्री डॉ0 बी0के0 त्रिपाठी

रीडर अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

के

चरण कमलों में समर्पित

डॉ0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी
(रीडर)
अर्थशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

दिनांक :
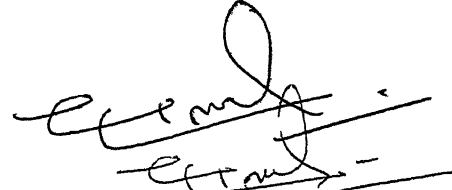
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (श्रीमती) बन्दना त्रिपाठी अर्थशास्त्र विभाग में मेरे निर्देशन में "इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजार्थिक दशाओं का अध्ययन" विषय मौलिक शोध किया है यह शोध-प्रबन्ध पूर्ण मौलिक तथा नवीन है। डी0 फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को परिक्षार्थ को संस्तुत करता हूँ।

(गिरीशचन्द्र त्रिपाठी)
निर्देशक

दो शब्द

देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में उपलब्ध समस्त उत्पादन के संसाधनों का विदोहन एवं संवर्द्धन किया जाय। विशेषकर मानवीय संसाधनों का कुशल उपयोग विकास की पूर्वावश्यकता है। आर्थिक विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में महिलाएं गृहणी के रूप में गृह की देखभाल ही नहीं करती अपितु इस भौतिक परिवेश में अपने आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियमित सरकारी और व्यक्तिगत संस्थानों की श्रमिक बन चुकी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं का देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की एक बड़ी श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में लगी हुई है। यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन किया जाय तथा इस क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही स्थिति को सुधारने हेतु एक सार्थक रणनीति बनायी जा सकती है।

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजार्थिक दशाओं को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना एवं शोध का प्रारूप लिखा गया है। द्वितीय अध्याय में इलाहाबाद नगर की स्थिति और सामाजार्थिक अध्ययन का विवरण है। तृतीय अध्याय में चयनित रोजगाररत महिलाओं के सामाजिक दशाओं का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में महिलाओं के आर्थिक दशाओं एवं कार्य-कलापों का वर्णन है। पंचम अध्याय में चयनित रोजगाररत महिलाओं की समस्याओं का वर्णन किया गया है। छठ्वें अध्याय में सरकार द्वारा संचालित किये गये महिला कल्याणकारी योजनाएं कार्यक्रम का वर्णन है। सातवें अध्याय में रोजगाररत महिलाओं के विकास के लिए उपयुक्त व्यूहनीति लिखी गई है। आठ्वें अध्याय में शोध का सारांश और निष्कर्ष है।

इस शोध प्रबन्ध को मै अपने पिता स्व0 श्री डॉ0 वी0के0 त्रिपाठी (रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) को समर्पित करती हूँ जिन्होनें मेरे चरित्र

निर्माण और भविष्य निर्माण में मुख्य भूमिका निभायी है तथा जिनके संस्कार जीवन पर्यन्त मेरा मार्ग दर्शन करते रहेंगे।

अपने इस शोध प्रबन्ध के लिए मै सर्वप्रथम अपने निर्देशक डॉ0 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी रीडर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होने अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी अपने सानिध्य और निर्देशन की क्रमबद्धता को निरंतर बनाए रखा। आपके शिष्यवत को प्राप्त कर मुझे अध्ययन-अध्यापन से संबन्धित बहुत से नवीन अनुभव प्राप्त हुए जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नही है।

मैं आभारी हूँ अपने विभागाध्यक्ष प्रो0 पी0एन0 मलहोत्रा (आचार्य) इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा विभाग के उन सभी गुरुजनों की जिन्होंने मुझे उत्साहित किया। डॉ0 बद्री विशाल त्रिपाठी (रीडर) इलाहाबाद डिग्री कालेज, जी ने भी हमेशा प्रोत्साहित किया। इस कार्य को सम्पादित करने में एस0एन0 शुक्ला (रिसर्च एसोसिएट्स) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पूर्णरूप से मेरी मदद की। श्री राधेश्याम मौर्य, श्री ओम प्रकाश मिश्रा एवं श्री आलोक पाण्डेय की भी मैं पूर्ण रूप से आभारी हूँ।

शोध कार्य को पूरा करने में मै अपनी माता श्रीमती आशा त्रिपाटी, सासू माँ श्रीमती मंगला देवी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किये बिना नही रह सकती जिनके आर्शीवाद और निरन्तर सहयोग के बिना यह कार्य पूर्ण होना असंभव था।

मैं पूर्णरूप से अपने ज्येष्ठ श्री सचेन्द्र कुमार तिवारी की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को पूर्ण करने को प्रेरित ही नहीं किया बल्कि उन्होंने हर तरह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की। और परिवार के सभी पूज्य बड़े सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग किया।

शोध जैसे कार्य में पुस्तकालयों की अहम भूमिका होती है मैं इस सम्बन्ध में अनेक पुस्तकालयों, संस्थाओं तथा मंत्रालयों की अत्यन्त आभारी हूँ इनमें प्रमुख रूप से गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक शोध संस्थान, झूंसी, इलाहाबाद, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद गिरी संस्थान, लखनऊ समर्थन की मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

मैं आभारी हूँ अपने पति श्री सन्दीप कुमार तिवारी की, जिन्होंने न केवल मेरे घरेलू कार्यों में मदद की, बल्कि सम्पूर्ण शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरी मदद की। बिना उनके सहयोग के यह कार्य पूर्ण कर पाना मेरे लिए असम्भव था।

अन्त में मैं अवधेश कुमार मौर्य, सॉस साइबर कैफे, सलोरी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस शोध प्रबन्ध को जल्द से जल्द पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग दिया।

Bandana Tripathi
बन्दना त्रिपाठी

दिनांक : 17.6.03

अनुक्रमणिका

सारणी अनुक्रमणिका

चित्र अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना एवं
- शोध का प्रारूप

प्रस्तावना

देश के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र में उपलब्ध समस्त उत्पादन के संसाधनों का विदोहन एवं संवर्धन किया जाय। विशेषकर मानवीय संसाधनों का कुशल उपयोग विकास की पूर्वावश्यकता है। आर्थिक विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में महिलायें गृहणी के रूप में ही गृह की देखभाल ही नहीं करती, अपितु इस भौतिक परिवेश में अपने आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियमित सरकारी और व्यक्तिगत संस्थानों की श्रमिक बन चुकी है। महिलाएं परिवार की एक धुरी का कार्य करती हैं जिनके चारों ओर परिवार की अन्य गतिविधियाँ घूमती रहती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। विकास के क्रम में जनसंख्या का एक बड़ा भाग क्रियात्मक रूप में सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया से आज भी नहीं जुड़ सका है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में जनसंख्या का एक बड़ा भाग संलग्न है, और उसका वर्चस्व बना हुआ है। संगठित क्षेत्र के प्रभार के बाद भी असंगठित क्षेत्र समस्याओं से ग्रस्त है। इसी क्रम में अनौपचारिक रूप में जुड़ी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी उनकी स्थिति का आकलन किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र वाक्यांश का प्रयोग सामान्यतः संगठित क्षेत्र के विपरीत अर्थो में किया जाता है। अनौपचारिक आय उद्‌गम स्रोतों को असंगठित क्षेत्र माना जाता है, लगभग समस्त उत्पादक क्रियाओं यथा- कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन, परिवहन और सेवाओं का एक अंश असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। यद्यपि औपचारिक रूप से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की उन सभी इकाइयों को संगठित क्षेत्र की इकाइयां माना जाता है जिसमें कार्य करने वालों की संख्या 10 या उससे अधिक हो और जिनमें नियुक्ति सीधे या किसी अभिकरण द्वारा की जाती है। इससे पृथक अन्य उत्पादक इकाइयों को असंगठित क्षेत्र में माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक व्यवसाय तो मूलतः इसी प्रकृति का है। इस प्रकार व्यवसाय का विभाजन संगठित और असंगठित व्यवसाय के रूप

में किया जाता है। तदनुसार उनमें कार्य करने वाले क्रमश· संगठित और असंगठित श्रमिक कहलाते हैं। 1

उत्पादन पद्धति, उत्पादन संरचना और संगठन की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र से आशय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उन उत्पादक क्रियाओं वस्तुओं से है जो साधारणत· निजी स्तर पर कम पूंजी से छोटे पैमाने पर अनियंत्रित उत्पादन संरचना के आधार पर की जाती है। उत्पादन में सलग्न परिवार ही व्यवसायगत प्रतिफल के स्वामी होते हैं। स्व-रोजगार की क्रियाशीलता के अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में आकस्मिक और मौसमी कार्य के अवसरों, जिसमें रोजगार और आय के अवसरों की निरंतरता की वांछित स्तर तक सुरक्षा नहीं होती, की प्रधानता रहती है। कृषि, बागान, दस्तकारी, घरेलू-उद्योग, खनन और पारंपरिक परिवहन आदि की क्रियाओं में आकस्मिक और मौसमी कार्य के अवसरों की प्रधानता रहती है इस प्रकार की क्रियाएं असंगठित क्षेत्र की प्रमुख अंग होती हैं। इनमें संलग्न श्रमशक्ति का बहुत बड़ा भाग असंगठित श्रम के रूप में होता है।

असंगठित क्षेत्र में उत्पादन अनुमाप स्तर अपेक्षाकृत छोटा होता है। उत्पादन उपक्रम को बढ़ाने के लिए यहां उत्पादक को मुख्य रूप से आन्तरिक अतिरेक पर निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र में उत्पादकों को उत्पादन प्रक्रिया में निहित जोखिम से बचाने और उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग देने हेतु किसी भी प्रकार का संस्थागत अथवा राजकीय ढांचा विद्यमान नहीं है। परिणामतः असंगठित क्षेत्र में उत्पादन आकार का छोटा होना, आय का निम्न-स्तर और प्रति श्रम इकाई उत्पादन स्तर कम होना स्वाभाविक है।

असंगठित क्षेत्र की उत्पादक तकनीक मुख्यत· श्रम प्रधान और पारंपरिक प्रकृति की होती है। घरेलू उद्योग, कृषि, बागान, दस्तकारी आदि जो असंगठित क्षेत्र के प्रमुख संघटक हैं, में श्रम प्रधान तकनीक का ही वर्चस्व है इसके प्रतिकूल संगठित क्षेत्र में उत्पादन अनुमाप बड़ा होता है और पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी की प्रधानता होती है।

संगठित क्षेत्र के उद्यम बहुधा अल्पाधिकारीय प्रवृत्ति के होते हैं, फलतः उनमें दुरभिसंधि पूर्ण व्यवहार क्रियाशील होता है और कीमत निर्धारण के महत्वपूर्ण अंश को

प्रभावित करता है। संगठित क्षेत्र में कीमत निर्धारण बाजार तक उत्पादन पहुंचने के पूर्व ही कर लिया जाता है। यहां कीमत की घोषणा और वस्तु की उपादेयता का प्रचार वस्तु को बाजार में पहुंचने से पूर्व ही बिक्री व्ययों के माध्यम से कर दिया जाता है। इस पृथक असंगठित क्षेत्र में कीमत निर्धारण में लेन-देन की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों के पारस्परिक सौदा करने की शक्ति बाजारी शक्तियों और स्थानीय सस्थाओं से प्रभावित होता है यहां उत्पादक और क्रेताओं का अति निकट का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और विपणन की दशाएं भी स्थानीय और असंगठित होती है।

असंगठित क्षेत्र के उत्पादन कार्य में फर्मो व व्यक्तियों के प्रवेश में बाधक शक्तियों की क्रियाशीलता अत्यन्त कम होती हैं। संगठित क्षेत्र में अपेक्षित व्यवसायगत निपुणता एवं योग्यता, प्राथमिक निवेश, पैमाने की मितव्ययिताएं, व्यापार चिन्हों का पंजीयन, विकसित प्रौद्योगिकी आदि नवीन फर्मो के व्यवसाय में प्रविष्ट होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। असंगठित क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत अवरोधों की क्रियाशीलता कम होती है, पूंजीगत अपेक्षाएं कम होती हैं। किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता कम होती है। उत्पादक संस्थाओं का राजकीय पंजीयन अनिवार्यत· अपेक्षित नहीं होता है। इस आधार पर स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश की सुगमता होती है। सामान्यतः असंगठित क्षेत्र को गरीब व सीमान्त क्षेत्र माना जाता है। व्यवहारतः यह देखने को मिलता है कि दस्तकारी, हस्तशिल्प एवं अन्य सामान्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन और विपणन में कोई भी सम्मिलित हो सकता है स्वरोजगार हेतु व्यवसाय का चयन किया जा सकता है, परन्तु इससे प्राप्त प्रतिफल सामान्यतः कम होता है।

असंगठित क्षेत्र में स्वामित्व छोटे-छोटे व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे उद्यमियों के पास होता है इनमें से कुछ के पास तो अत्यन्त कम उत्पादक सम्पत्ति होती है। इनका उत्पादन स्वयं की आवश्यकताओं के लिए होता है। संगठित क्षेत्र को श्रम, कच्चे पदार्थ, माध्यमिक पदार्थ और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति असंगठित क्षेत्र से की जाती है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के उत्पादन की

खपत का प्रभावी आधार भी होता है। संगठित क्षेत्र में उद्यम का आकार और उत्पादन स्तर बड़ा होने के कारण संयंत्र की स्थापना करने में विभिन्न वैधानिक कार्यवाहियॉ पूरी करनी पड़ती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार के अनेकों कार्य स्वाभाविक प्रक्रिया में जारी रहते हैं, जिनके लिए किसी वैधानिक अनुमोदन की पूर्वापेक्षा नहीं पूरी करनी होती है।

भारत में असंगठित क्षेत्र अत्यन्त प्रमुख है। यहॉ कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय में संलग्न है। समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का तीन चौथाई भाग असंगठित उत्पादन उपक्रमों से मिलता है। असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों को असंगठित श्रमिक कहा जाता है। भारतीय असंगठित श्रमिकों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है : स्व-रोजगार वाले कृषक, दस्तकार, छोटे-छोटे विक्रेता, सेवा कार्य करने वाले वर्ग आदि तथा मजदूरी पर कार्य करने वाले खेतिहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर, छोटी दुकानों और होटलों पर कार्य करने वाले मजदूर इत्यादि। असंगठित क्षेत्र की व्यापकता और उसके उद्‌गम का मूल स्रोत ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक बेहतर कार्य दशाओं की खोज में नगरों की ओर जाते हैं। स्व-रोजगार और मजदूरी पर कार्य करने वाले, फुटपाथ और धर्मशालाओं में रहकर कार्य करने वाले, दुकानों पर कार्य करने वाले, कूड़ा बीनने वाले आदि असंगठित श्रमिक हैं। औपचारिक भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाकाल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठित उद्योगों की महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। संगठित क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योगों का तो इस स्तर तक विकास हुआ है कि उसके सामने पिछली एक शताब्दी का औद्योगिक विकास फीका पड़ जाता है।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम अर्द्धांश में औद्योगिक उत्पादन में केवल 1 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी जबकि योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गयी। यद्यपि इस वृद्धि में सभी औद्योगिक समूहों ने अंशदान किया परन्तु विशेष वृद्धि नवीन और जटिल उद्योगों के क्षेत्र में हुई। इसमें पेट्रोलियम उत्पादन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, धातु उत्पाद, विद्युत उपकरण, परिवहन उपकरण, विद्युत उत्पादन आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे हैं। इनसे चालू उद्योगों में

नये उपक्रमों की स्थापना हुई। इससे औद्योगिक ढांचे का विस्तार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के औद्योगिक विकास की एक मुख्य बात यह रही है कि इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। 1951 में देश में 29 करोड़ रुपये के विनियोग के केवल 5 ही विभागीय उपक्रम थे। 1994 तक इनकी संख्या 245 हो गयी जिनमें 164330 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। ये उपक्रम अब इस्पात, कोयला, अल्युमिनियम, तांबा, भारी और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादन, रेल डिब्बे एवं रेल इंजन, विमान और जहाज जैसी वस्तुएं भी बनाने लगे हैं। यद्यपि 1991 में अपनायी गई नयी आर्थिक नीति में सार्वजनिक उद्यमों पर निजी संगठित उद्यमों को वरीयता दी गयी है तथापि योजनाकाल में भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रसार के बाद भी भारत में रोजगार और आय प्राप्ति का सर्वप्रमुख स्रोत असंगठित क्षेत्र ही है।

दीर्घकाल से देश के समग्र उत्पादन में असंगठित क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक प्रकृति में ही असंगठित क्षेत्र की विद्यमानता और क्रियाशीलता निहित रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकृति में ही असंगठित क्षेत्र की विद्यमानता और क्रियाशीलता निहित रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की क्रियाशीलता सदियों से परीक्षित और सर्वथा अहिंसक प्रकृति की रही है। इस क्षेत्र का प्रकृति के साथ पूर्ण समायोजन रहा है। यही कारण रहा है कि आदि काल से इस क्षेत्र की अपनी मौलिक क्रियाशीलता के बाद भी कोई परिस्थितिक संतुलन नहीं हुआ। वातावरण प्रदूषण का जहर पैदा ही नहीं हुआ। उत्पादन व्यवहार जन्य प्रदूषक तत्वों का प्रभाव प्रकृति की उपचारात्मक प्रक्रिया द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जाता था। कृषि, ग्रामोद्योग और जरूरतों का अद्‌भुत समन्वय था। आवश्यकता के अनुरूप सभी वर्गो के लिए उत्पादन होता था। आधुनिक युग की एक मौलिक विशेषता केन्द्रित उत्पादन और व्यापार औद्योगीकरण की रही है। इसे विकास का प्रमुख निर्धारक तत्व मान लिया गया।

योजनाकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। अन्तर उद्योग व्यापार बढ़ा। उद्योगों की सूची में अधुनातन विज्ञान और प्रोद्योगिकी पोषित

नवीन वस्तुओं के उद्योग जुड़े। फलत· समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की संरचना में परिवर्तन हुआ तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी असंगठित क्षेत्र का ही वर्चस्व बना हुआ है। यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ की आपूर्ति का स्रोत एवं निर्मित सामानों के लिए मॉग सृजित करता है। हाल के वर्षो में असंगठित क्षेत्र के विस्तार से शुद्ध घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र का योगदान घटा है तथापि अब भी शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग दो तिहाई भाग असंगठित क्षेत्र से सृजित होता है। सारिणी संख्या 1·1 से यह प्रतीत होता है कि 1960-61 में असंगठित क्षेत्र के उत्पादन का अंश कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद का 74 4 प्रतिशत था तथा 1998 में घटकर 61.0 प्रतिशत हो गया। इससे यह प्रतीत होता है कि कुल उत्पादन में असंगठित क्षेत्र का योगदान घटा है तथापि अभी इसका योगदान तुलनात्मक रूप से सार्वाधिक है।

सारिणी संख्या 1.1

शुद्ध घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र का योगदान

(प्रतिशत में)

वर्ष	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
1960-61	25 60	74.40
1970-71	27.72	72 28
1975-76	35 66	68.44
1993-94	36 90	63 10
1998-99	39.99	61 00

स्रोत इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, दिसम्बर 15, 1979 and National Accounni Statrsisco, 2001

देश की समग्र जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र से ही अपनी अजीविका कमाता है। अतः असंगठित क्षेत्र का ही वर्चस्व बना हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार से सम्बद्ध विश्वस्त आंकड़े केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में लगी है उससे पृथक समस्त जनसंख्या असंगठित क्षेत्र से अपनी अजीविका कमाती है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद में संगठित और असंगठित क्षेत्र

भारत का असंगठित क्षेत्र जो देश के सकल घरेलू उत्पादन में 61 प्रतिशत का योगदान करता है कि ओर निरपेक्ष रूप से पिछडा देश और दूसरी ओर असगठित श्रमिकों की प्राप्तियों की दृष्टि से अतिपिछडा क्षेत्र है। असंगठित श्रमिकों की वार्षिक प्राप्तियां न्यूनतम जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिको के पास सामाजिक सुरक्षा में प्रावधान नाममात्र के हैं जैसे बुढापा, बीमारी, वृद्धावस्था, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि। परन्तु सामाजिक बीमा के अन्तर्गत चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा की योजनायें नगण्य हैं।[1]

महिलाओं की स्थिति :

महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवेचन एक गुत्थी की तरह है जिसे समझना अपने आप में भी जटिल प्रक्रिया है। महिलाओं की स्थित के सम्बन्ध में पर्याप्त सामाग्री भी कम उपलब्ध है। मानव के अतीत का सच्चा अध्येता बनने के लिए मुख्यत· प्रागैतिहासिक से प्राप्त जानकारी का सहारा लेना पड़ता है। ऐतिहासिक विवेचन के सहारे समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन सुलभ हो पाता है।

सामाजिक-आर्थिक दशाओं को स्पष्ट करने के लिए तीन युगों में विभक्त कर विवेचन किया गया है।

1-प्राचीनकाल या आदियुग 2-मध्यकाल, 3-आधुनिक काल

1. प्राचीन काल (आदियुग), पूर्व वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल (1200 ई0 तक) :

प्रारम्भिक काल में मनुष्य जंगलों में रहता था। यह वह काल था जब मानवीय जीवन प्राकृति जीवन था। इस काल में मानव जगल में रहकर कन्दमूल का सेवन करके जीवन यापन करता था। भोजन के लिए वह जानवरों का शिकार भी किया करता था। समाज में अनियंत्रित यौन सबन्ध के कारण मानव अर्द्ध मनुष्य भद्र पशु जैसा था। समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ थी क्योंकि परिवार मात्र सत्तात्मक थी। बच्चे माता के नाम से जाने जाते रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त था। वहुत समय

---

[1] त्रिपाठी बद्री विशाल (2000) असगठित क्षेत्र।

तक समूह में रहते थे। साथ उपजी सहयोग की भावना ने मानवीय संवेदना को जन्म दिया इसके कारण मानव समूह विशेष संस्कृति का निर्माण करने लगा। समूह में रहने की इस प्रक्रिया ने ही भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए संघर्षों को जन्म दिया और इस संघर्ष में मानव जीवन के महत्व तथा जीजिविषा को पहचानने की इच्छा को महत्व दिया। इन्हीं कारणों से पुरूष स्वाभाविक रूप से सक्रिय होता गया। क्रमशः विकास की प्रक्रिया में खाद्य उत्पादन का आविष्कार पशुओं के उपभोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ।

इस नवीन जीवन पद्धति का महत्वपूर्ण परिणाम था जनसंख्या वृद्धि। इस काल के नवपाषाण क्रान्ति की संज्ञा दी जाती है। ग्राम्य जीवन के स्थायित्व में मानव के व्यवस्था और नियम में सहयोग और सहसम्बन्ध की आवश्यकता महसूस की गयी। अब आपसी सहयोग से उत्पादित भोजन के कारण मनुष्य को अनिश्चित जीवन से छुटकारा मिल गया। फलस्वरूप अब उसके पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए। जनसंख्या की वृद्धि के कारण मानव समूह द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी। धीरे-धीरे महिला इस सुरक्षा की आदी हो गयी और पुरूष में नियंत्रण की भावना बढ़ने लगी। यह वह समय था जब उत्पादन में विस्तार हुआ, काम बढ़ा नारी श्रम शक्ति की आवश्यकता बढ़ी सामाजिक प्रक्रिया जटिल होती गयी। समय के साथ-साथ लिंग पर आधारित श्रम विभाजन ने सम्पूर्ण समाज को लगभग बाट दिया, बाहरी दुनिया में महिलाओं का सम्बन्ध न के बराबर रह गया।

नवीन सामाजिक परिस्थिति ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ला दिया। एक ओर पूंजीवादी श्रम प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तो दूसरी ओर पितृ सत्तात्मक लिंग आधार पदानुक्रम जिससे स्त्री घरेलू श्रमिक बनकर रह गयी अर्थात् महिलायें प्रजनन एवं रखरखाव के लिये लघु उत्पादन में फंसकर घरेलू बन गयी। प्रारम्भिक काल से लेकर सिन्धु सभ्यता का काल वैचारिक संक्रमण का काल माना गया जिसमें मातृ प्रभावात्मक व्यवस्था दिखती तो थी किन्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था परोक्ष रूप से प्रभावित होती थी।

वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं के योगदान का अवलोकन करने के लिए ऋग्वेद काल में यदि देखा जाय तो नारी को धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती एव शक्ति की देवी दुर्गा माना गया हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को वाक् शक्ति कहा गया है जो उस समय नारी की ब्रह्मत्व कला वित्तता की परिचायक है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस काल में महिलाएं उच्च शिक्षा की अधिकारिणी थी।लक्ष्मी एवं दुर्गा के रूप में अर्द्धसत्ता की स्वामिनी थी। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना उसके समान अधिभार के सत्य की पुष्टि करता है। ऋग्वेद में पुत्री के जन्म की निन्दा नहीं की गयी। महिलाएं मुक्त वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतन्त्र थी। पुरुषों के साथ सामाजिक सम्बन्ध वांछनीय थे। महिलायें सामाजिक समारोह में सम्मिलित होती रहीं, समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति में जो बातें कही जाती है वह बहुत सुखद प्रतीत होती है। ऋग्वैदिक आर्यो ने जिस समतामूलक समाजवादी समाज की कल्पना की थी उसमें समाज बहुत हद तक वर्ग विहीन था इस वर्गविहीन कहे जाने वाले समाज ने महिलाओं पर नियन्त्रण प्रारम्भ किया।[1] ऋग्वेद में महिलाओं से सम्बन्धित विषय जैसे नारी शिक्षा, परिवार में उनकी स्थिति, विश्पला, मृदगलानी जैसी स्त्रियों का विवरण वस्तुत. एक सुखद स्थिति थी। शिक्षा जैसे क्षेत्र स्त्रियों के लिए व्यापक रूप से खुले थे। वेद अध्ययन इस काल की प्रधानता थी। महिलाओं के वेद अध्ययन का अधिकार समान रूप से प्राप्त था।

पतिसेवा का जो एक तरफा और गलित रूप आज हमें समाज में मिलता है उसके बीच ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में महिलाओं की शिक्षा सुन्दरता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार की चर्चा बार-बार हुई है। ऋग्वेद काल में महिलाओं का विशिष्ट स्थान था। कालान्तर में इस स्थिति में अन्तर आया अथर्ववेद में नारी की सामाजिक स्थिति में गिरावट आयी। नारी प्रज्ञाधिकार को भी धीरे-धीरे सीमित कर दिया गया है। वास्तव में परवर्ती साहित्य में शूद्र, कुत्ता, और काला पक्षी अशुभ माना गया और यज्ञ में उन्हें देखना निषिद्ध माना गया। ऋग्वेद में महिला एवं पुरूष युद्ध में समान भागीदार थे

---

[1] चक्रवर्ती उमा, कन्सपचुलाई जिग व्रहमनिकाय, पेट्रिमार्की इन अर्ली इण्डिया- जेन्डर कास्ट क्लास एण्ड स्टेट इकोनामिक दि पाटिकल विकिाली 3 अप्रैल 1993।

किन्तु साहित्य में महिलाओं के युद्ध कौशल के लिए अनुपयुक्त माना गया। राजाओं के अन्त पुर में दासियों के आधिक्य होने पर उन्हें पुरोहित और ऋषियो को दान में दिया जाने लगा। इस प्रकार वैदिक समाज में महिलाओं का जो गौरवमय स्थान था कालान्तर में उसमें गिरावट आयी।

मनु साहित्य में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया गया। पुत्री को दान पात्र माना गया। मनु ने स्त्रियों के परिवार स्थान पर ही रहकर परिवारिक शिक्षा का अध्ययन का प्रावधान रखा इन्होंने पति को पत्नी का स्वामी माना। इनके विचार में पत्नी को सदैव अपने पति, यहाँ तक कि दुराचारी पति की भी हमेशा देवता की तरह पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को मन्त्र एवं हवन से वंचित किया गया। नारी को दासी के समान उपेक्षित माना गया। मनु ने महिलाओं के शारीरिक एवं नैतिक दृष्टि से दुर्बल माना और इन्हें सभी अवस्थाओं में रक्षा एवं सुरक्षा की आवश्यकता थी। इन्हें स्वतन्त्रता के योग्य नहीं समझा जाता था। मनु के विचार में महिला कभी भी वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग नदी कर सकती। बचपन में वह पिता, यौनावस्था में पति पर एवं वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित होना स्वाभाविक है।

उत्तर वैदिक काल में प्रारम्भ होते ही नारी की स्थिति में बदलाव नजर आने लगा। नारी की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा नहीं रह गयी। शिक्षक संस्थाओं या गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना नारी के लिये अतीत की कल्पना मात्र रह गयी वह घर पर ही अपने सगे सम्बन्धों से शिक्षा अर्जित करने लगी। इस प्रकार वह घरेलू होकर जीवन व्यतीत करने लगी। समाज में इनकी दशा दिन-प्रतिदिन गिरती गयी इनकी परिभाषा एवं मान्यताएं परिवर्तित होने लगी। नारी का चल या अचल सम्पत्ति पर अधिकार समाप्त हो गया। नारी को समाज में सामाजिक आर्थिक व धार्मिक सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध विधवाओं की अमंगलसूचक, अभिशापित स्थिति, सती प्रथा, जौहर प्रथा, अशिक्षा, और अंधविश्वासों में नारी को अन्याय झेलने के लिए बाध्य कर दिया गया। परिणामस्वरूप नारी की सहधर्मिणी, सहकर्मी सृजनात्मक भूमिका मलीन हो गयी। कुछ दिनों वाद महिलाओं की स्थिति में

सुखद परिवर्तन आया। नारी को शिक्षा विवाह निर्णय एवं धर्म के क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई जिससे भारतीय नारियों ने अपना कर्म क्षेत्र भारत के बाहर रखा।

इस काल में महिलायें धर्म एंव दर्शन में रुचि रखती थीं। क्योंकि बौद्ध, जैन मठों में स्त्रियां कार्य करतीं थीं। ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि सुरक्षा भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के सिद्धान्त में महारथ हासिल थी। उसने राजगृह के भीड में भी ओजस्वी भाषण दिया था। चिकित्सा विज्ञान में भी महिलाओं को अच्छा ज्ञान प्राप्त था। क्योंकि अपाला में स्वय कुष्ठ रोग का इलाज किया था। राजपूत वंशी महिलायें शिकार खेलने में रणक्षेत्र प्रक्रिया में सृजनात्मक रूप में भाग लेती थीं।

स्त्रियों ने व्यवसाय के रूप में कृषि का कार्य करती थी इसके अलावा युद्ध के अस्त्र-शस्त्र, टोकरी बनाना, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि कार्य करती थी। कुछ महिलायें शस्त्र रक्षक के रूप में पायी गयी हैं। पर्दा प्रथा का विशेष प्रचलन नहीं था क्योंकि स्त्रियॉ आजाद रूप में समाज में विचरण करती थीं स्त्रियों को बराबर धार्मिक स्थान मिलता था। कुछ स्त्रियॉ धर्म एवं ज्ञानार्जन हेतु विवाह नहीं करती थी। इस युग में महिलायें अपनी योग्यता का उपयोग करती थीं जिनके पति या पिता उदारवादी विचार के थे। स्त्रियाँ कार्य श्रम में अग्रणी थीं जिन्हें संयुक्त परिवार का सहयोग प्राप्त था।

2. मध्यकाल (पूर्व मध्यकाल से पूर्व आधुनिककाल 1200 ई0 से 1756 ई0) :

मध्यकाल में नारी की स्थिति काफी असन्तोषजनक थी। मध्यकाल में विशेषत. मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों के अवसर समाप्त हो गया जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। समाज में नारियों की दशा सुधारने हेतु कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं चलाया गया। अपवाद रूप में ही सही किन्तु कतिपय योद्धाओं, भक्त, रणनीतियों के दृष्टान्तों से स्पष्ट होता है कि नारी को जब कभी अवसर मिले तो वह अपने निहित शक्ति, सामर्थ्य एवं कौशल को प्रभावित कर सकती है। रजिया बेगम, मीराबाई, चाँद बीबी, ताराबाई, जीजाबाई ने अनुकरणीय दायित्वपूर्ति हेतु की जीवन्तता प्रदान की है। इस प्रकार के गौरव उनके उदाहरणों के बावजूद लगभग 300 वर्षो के इस काल में पर्दा, बहुपत्नी विवाह, वैधव्य जीवन, सतीप्रथा आदि सामाजिक कुरीतियाँ भी

यथावत रही हैं। इसके निराकरण के लिए किसी भी सामाजिक आन्दोलन का न होना, आश्चर्यजनक था।

भारतीय इतिहास में मध्यकाल विदेशी आक्रमण बहुतायत हुए परिणामस्वरूप हमारा जीवन, हमारी प्रभुत्ता एवं राजनीति का ह्रास हुआ। आदमियों के भयवश नारी असुरक्षा ने भारतीय महिलाओं को चहरदीवारी के अन्दर सीमित कर दिया जिससे इनका शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में बाहरी वातावरण में हस्तक्षेप प्रभावित हुआ। पर्दा प्रथा का उदय हुआ साथ ही सती प्रथा व जौहर प्रथा ने भी समाज में स्थान वना लिया।

इस अवस्था में भी कभी धर्म कुछ महिलाएं ज्वालामुखी के रूप में प्रफुल्लित हो गयी थी।ऐसी स्त्रियों में मीराबाई जैसे संत व वाल्मिकी, राजनीति में अकवर की रानी जोधाबाई बेगम एवं अर्हता की रानी लक्ष्मीवाई का नाम प्रमुख है। मुस्लिम शासकों के बीच यद्यपि स्त्रियाँ अपेक्षित थी फिर भी भारतभूमि में उद्यान की भॉति रजिया बेगम और चॉदबीबी जैसी सत्ता सम्भालने वाली रानियाँ और औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निशां जैसी कवियित्रियाँ उत्पन्न हुईं। शाहजहाँ के समय मुमताज महल की प्रशासन में दबाव डालना था। औरंगजेब की बहन राजेन आरा ने भी राजनीति में सार्थक भूमिका निभाई। शासन सत्ता के प्रति हिन्दु महिलाओं की भूमिका विशेष रही मेवाण के राणा सांगा की पत्नी कर्मावतर्ना ने युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन किया। रानी दुर्गावती के अपने पति दल्पत की मृत्यु के उपरान्त 1548ई0 में राज्य का कार्यभार सम्भाला और वीरता के कारण प्रसिद्धि भी प्राप्त की।

किन्तु शिक्षा इस राजनीति व प्रशासन में सहभागिता और उच्च वर्गो व महिलाओं तक सीमित रहा। मध्यमवर्ग में महिलाओं की स्थिति अधिक शोचनीय रही। उनका कार्यक्षेत्र घरेलू अंचल तक सीमित रह गया और नौ-दस वर्ष की आयु में विवाह अनिवार्य हो गया। सती प्रथा ने जोर पकड़ा। पति की मृत्यु के बाद जबरदस्ती उनकी पत्नी को जिन्दा जलाया जाने लगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन मुस्लिम महिलाओं तक सीमित न रहकर हिन्दु महिलाओं में भी बढ़ने लगा जिसमें उनका जीवन संकुचित हो गया। इस प्रकार इस काल में महिलाएं अपनी स्थिति से नाखुश थीं। यह काल घरेलू काम-काज

की सेविका थी पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन का कोई मूल्य न रह गया। फिर घर की मान मर्यादा की रक्षा हेतु उन्हें जबरदस्ती आग की लपटों में धकेल दिया जाता था।

3. आधुनिक काल :

आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
प्रथम - 19वीं शताब्दी के पूर्वाह्न का समय
द्वितीय - 19वीं शताब्दी के बाद की स्थिति का वर्णन है।

19वी शताब्दी के पूर्वाह्न की स्थिति :

19वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में महिलाओं का स्तर निम्न कोटि का था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नीवाद जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। विधवाओं को पुर्नविवाह पर सामाजिक प्रतिबन्ध था। समाज में महिला का स्थान मात्र उनके घर परिवार तक सीमित था। महिलाओं के शैक्षणिक व्यवसायिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के बजाए उन्हें घर परिवार की चहारदीवारी तक सीमित रखा गया। इन्हें अपनी रुचि प्रदर्शित करने मात्र दो साधन- पाक कला एवं सिलाई-कढ़ाई का कार्य करती थी। समाज में उच्च वर्ग की महिला तुलना में मलिन परिवार की महिलाएं अधिक स्वतन्त्र थीं क्योंकि गरीब परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण महिलाओं से काम करवाने की स्वतन्त्रता देने को बाध्य थे। इसलिए गरीब परिवार की महिला रोजमर्रा का कार्य जैसे लकड़ी लाना, पानी लाना, सब्जी व फल वेचना, जैसे कार्य करती थी।

इस काल में महिलाओं का वहन और माँ के रूप में समाज में सम्मान था। लेकिन एक पत्नी के रूप में उसकी स्थिति दयनीय थी। इस काल में कुछ ऐसी नारियों ने जन्म लिया जो साहित्य, कला, दर्शन, प्रशासन और कौशल के क्षेत्र में अद्वितीय रही। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बालाओं का जन्म इसी काल में हुआ जो समाज को एक नयी दिशा दी थी। मध्य एवं उच्च वर्ग की स्त्रियाँ अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में अत्यधिक ग्रसित थी लेकिन इस समय का सामाजिक स्वरूप ऐसा था कि महिलाओं ने अपनी नियति समय को अपना ली थी।

19वीं शताब्दी के बाद की स्थिति :

भारतीय नारी के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी के बाद का समय समाज सुधारवादी के रूप मे जाना जा सकता है। समाज में अराजकता धार्मिक तथा सामाजिक विचारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु प्रभावी आन्दोलन प्रारम्भ किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा व बहुपत्नीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और महिलाओं की सम्पत्ति के अधिकार के पक्ष में बात कही।

समाज सुधारकों की श्रेणी में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविन्द रानाडे आदि ऐसी महान विभूतियों ने महिला उत्थान के लिए सशक्त आन्दोलन प्रारम्भ किया। ईसाई मिशनरियों ने भी देश में शिक्षा प्रसार का जो रुख अपनाया उससे भी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हुए। देश में महिला शिक्षा प्रगति का मुख्य प्रयास ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संगठ्नों द्वारा किया गया।

सन् 1916 में प्रो0 मार्टे द्वारा चालू की गयी ''इण्डियन विमेन्स युनिवर्सिटी'' संस्था ने भी स्त्री शिक्षा में योगदान किया है। सन् 1917 मे ''भारतीय महिला संगठ्न'' की स्थापना मद्रास शहर में एनी बेसेन्ट, डौरीली जिन राजदास तथा मार्गेट कौसिन्स ने मिलकर किया। इन लोगों ने समाज की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। यह आन्दोलन पुरुषों के खिलाफ नहीं था अपितु इसका उद्देश्य महिलाओं की आत्मा को पुर्नजीवित करना था।

शिक्षा का प्रचार एवं राजनीतिक सेवा के प्रादुर्भाव का समाज पर गहरा असर पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है -

भारत में साक्षरता दर स्वतंत्रता के पूर्व
पुरुष
महिला
साक्षरता दर(प्रतिशतमें)
30
25
20
15
10
5
0
1901
1911
1921
1931
1941
वर्ष

सारणी संख्या – 1:2

भारत मे साक्षरता दर (स्वतन्त्रता के पूर्व)

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला
1901	5 3	9.8	0.7
1911	5.9	10 6	1 1
1921	7 2	12 2	1 8
1931	9 5	15.6	2 9
1941	16 1	24 9	7.3

स्रोत . विभिन्न वर्षो के सेनसस रिपोर्ट।

सारणी से स्पष्ट है कि 1901 में कुल साक्षरता दर 5 3 प्रतिशत थी तो पुरुषों की साक्षरता दर 9 8 प्रतिशत थी लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी जो कि 0.7 प्रतिशत थी। लेकिन संस्थाओं एवं संगठ्नों द्वारा शिक्षा के प्रति जागरुक बनाने के लिए चलाये गये आन्दोलनों से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। सन् 1911 में साक्षरता दर बढ़कर 5.9 प्रतिशत हुई तो पुरुषों की 10.6 प्रतिशत और महिलाओं की 1 1 प्रतिशत थी। 1921 में यह बढ़कर कुल 7 2 प्रतिशत हो गयी जिसमें पुरुषों की 12 2 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 1 8 प्रतिशत हुई।

सन् 1931 में साक्षरता दर बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गयी जिसमें 15 6 प्रतिशत पुरुष और 2 9 प्रतिशत महिला की थी। किन्तु ईस्वी सन् 1941 में कुल साक्षरता दर 16 1 प्रतिशत हो गई तो पुरुषों की साक्षरता दर 24.9 प्रतिशत और महिलाओं की 7. 3 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता दर थी। सन् 1911 की तुलना में सन् 1941 में कुल साक्षरता की दर 36 65 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि यह वृद्धि पुरुषों की 42 57 प्रतिशत थी। महिलाओं में 15.07 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरुक हुई। परन्तु पुरुषों की अपेक्षा कम थी। लेकिन संस्थाओं एवं संगठ्नों द्वारा किये गये आन्दोलनों से वृद्धि होती रही।

15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ। 1947 में मिली स्वतन्त्रता देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बीते वर्षों में मिले आत्मविश्वास तथा नये सामाजिक मूल्यों के साथ हमें एक नवीन राष्ट्र का निर्माण करना था। यह स्वतन्त्रता हमें अनेक विसंगतियों के साथ प्राप्त हुई थी। इस मुक्ति संघर्ष के साथ हमने सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ ग्रहण किया। स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझकर देश के भीतर चल रहे आन्तरिक आन्दोलन का नेतृत्व किया। इन आन्दोलनों में से कई आन्दोलन हमारी स्वतन्त्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे उनमें प्रमुख था दलित आन्दोलन एवं नारी आन्दोलन। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी ये प्रश्न यथावत बने रहे। सम्पूर्ण देश में दलितों एवं महिलाओं की स्थिति विचारणीय थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय समाज की मान्यतायें पूर्णरूप से सामंतवादी थी। सामंती व्यवस्था एक पिरामिड है जो ऊपर से नीचे की ओर फैलती है।

1947 से 1957 का दशक में भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 1948 में प्रकाशित कल्याण का नारी अक महिलाओं के प्रति समाज में पनप रही वर्ण विचारवाद तथा सती सावित्री की नारी भूमिका का मिला-जुला उपदेश प्रस्तुत करता है। एक लेख में स्त्री के बाल प्रथा और व्रह्मावस्था में जो स्वतन्त्रता न रहने के लिए कहा गया वह इस दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संघटन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सहज पहरेदार की आवश्यकता है।[1]

1957 से 1967 के दशक में व्यापक स्तर पर होने वाले शिक्षा के विकास में महिला रोजगार को प्रोत्साहित किया। महिला में शैक्षिक विकास ने ही पर्दा प्रथा की परम्परा को तोड़कर महिलाओं के वाहर आने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित किया। इस अवधि में आदर्श परिवार, अल्पसंख्यक हो गयी। सयुक्त परिवार टूटने लगे, वडी सख्या में महिलाओं ने वैतनिक श्रम प्रारम्भ कर दिये। स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा आदि क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र बने। जहाँ शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई वहीं नर्सिंग में स्त्रियों ने धीरे-धीरे अपना एकाधिकार बनाया। इस काल में

[1] कल्याण नारी अक – भारतीय नारी का स्वरूप और दायित्व पृष्ठ 72, गीता प्रेस, 1948

महिलाओं का बहुत बड़ा कार्यरत प्रतिशत असंगठित क्षेत्र से जुड़ा रहा साथ ही इसकी विशेषता में यह देखा गया कि महिलाओं के कार्य के उचित प्रतिफल का अभाव था। फिर भी महिलायें पुरातन के मान्यताओं के बीच समाज में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्षरत रहीं।

रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश की महत्वाकाक्षा उसके परिवारिक जीवन को प्रभावित करने लगी। इसमें परिवार में कलह एवं विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। समाज में उच्च वर्ग में परिवार में शिक्षा पढने एवं इस पेशे से जुड़ने में स्वतन्त्रता मिली वही निम्न आर्थिक तगी से जुडे परिवार की महिलाए नर्सिंग एवं शैक्षिक कार्य से जुडने का प्रयास किया।

1970 के दशक के आरम्भिक वर्षो में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाने तथा समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों में आयी। इन प्रयासों में सक्रियता आई। इन प्रयासों के इस चेतना से भी प्रेरणा मिली कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, शैक्षिक और धार्मिक दशाओं से महिलाओं की प्रमुख व्यापक और उत्पादक भूमिका का घनिष्ठ सम्बन्ध है जो महिलाओं के उत्थान में बाधा है।[1] 1967–77 तक का समय महिला के सन्दर्भ में कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जनचेतना, सामाजिक परिवर्तन विशेष रूप से मुखरित महिला आन्दोलन की दृष्टि से संक्रमण काल रहा है। नारी आन्दोलन ने देश की राजनीतिक स्थितियों में महिला अधिकारों तथा उनकी समाज के प्रति महत्वपूर्ण भागीदारी को समझाने के सकारात्मक प्रयास किए। जिस देश में महिलाओं की परम्परागत भूमिका तथा उनके शोषण पर समाज को सोचने के लिए विवश कर दिया। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 3010(27) में 1974 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने विकास के सभी प्रयासों में महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने और विश्व शान्ति के मजबूत बनाने में स्त्रियों की भागेदारी को बनाने के लिए तेज प्रयास किये जायेंगे।

---

[1] नैरोबी अर्न्तगामी नीतिन प्रेस,

(1) महासभा ने उनके प्रभाव 3520 (30) में इस विश्व कार्यवाई योजना को स्वीकार किया जो 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष विश्व सम्मेलन में वर्ष के उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किये गये थे।

(2) इसी प्रस्ताव में महासभा में 1976-85 के अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (समानता विकास और ख्याति) घोषित किया।[1]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के चौथा दशक महिलाओं के पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। परिवार तथा समाज के अन्दर होने वाले भेद-भाव तथा शिक्षा और विकास भी बेहतर स्थितियों के लिये महिलाओं ने कव परम्परागत रुढ़ियों को तोड़कर चलना प्रारम्भ किया। दहेज हत्या, बलत्कार, सामाजिक पारिवारिक उत्पीड़न के खिलाफ महिला आन्दोलन ने अपने सैद्धान्तिक विचार धाराओं के अनुरुप सभी धार्मिक तथा परम्परावादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने विरोध प्रदर्शित किए।

महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में अत्यन्त पिछडी हुई हैं। देश की आजादी के बाद यद्यपि महिलाओं की स्थिति में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरुप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं के विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किये जायं। हमारे देश के अनुभवों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिले हैं। यदि शिक्षा के विकास के साथ-साथ सूचकांक में देखा जाय तो इसमें मिलता है जिसे हमने सारिणी संख्या 1:3 से दर्शाया है।

---

[1] अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के विश्व सम्मेलन 'द रिपोर्ट मेक्सिको सिटी' 10 गज, 2 जुलाई 1925 (सयुक्त राष्ट्र प्रकाशन सेल्स न0ई0-76)

भारत की साक्षरता दर स्वतंत्रता के बाद
पुरुष
महिला
साक्षरता दर (प्रतिशत में)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1951
1961
1971
1981
1991
2001
वर्ष

सारणी सख्या – 1:3

भारत की साक्षरता दर (स्वतंत्रता के बाद)

(प्रतिशत)

सन्	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	16.7	25.0	7.9
1961	24.0	34.4	13 0
1971	29 5	39 5	18.7
1981	36.2	46 9	24 8
1991	52 21	64.13	39 29
2001	65 37	75 85	54.16

स्रोत Census of India वर्ष 1961, 1991, 2001।

सारणी संख्या 1:3 से प्रतीत होता है कि सन् 1951 में साक्षरता दर 16 7 प्रतिशत थी तो पुरुष की 25.00 प्रतिशत और महिलाओं की 7 9 प्रतिशत थी। यह सन् 1961 में 24.00 प्रतिशत कुल साक्षरता दर थी तो पुरुष की 34 4 प्रतिशत, महिलाओं की 13.00 प्रतिशत। सन् 1971 में यह 29 5 प्रतिशत हो गयी तो पुरुषों की 39 5 प्रतिशत और महिलाओं की 18 7 प्रतिशत थी। सन् 1981 में यह वढ़कर 36 2 प्रतिशत कुल थी तो पुरुषों की 46.9 और महिलाओं की 24 8 प्रतिशत हो गयी। सन् 1991 में भारत की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी तो महिला की साक्षरता का प्रतिशत 39.29 प्रतिशत थी। तो पुरुषों की साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत थी। 2001 में साक्षरता दर बढकर कुल साक्षरता दर 65 37 प्रतिशत हो गई और इसमें महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 54 16 प्रतिशत थी तो पुरुषों की 75.85 प्रतिशत हो गई।

महिला का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को खराब करता है वरन् उन्हें आर्थिक रूप से निर्धन बनाता है। काम न करने वाली महिलाएं परिवार के पुरुषों के आय पर निर्भर रहती हैं तो दूसरी ओर काम करने वाली महिलाएं अशिक्षित या प्रशिक्षित न होने के कारण उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता

है। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाली महिलायें तो हमेशा इस प्रकार की घटनाओं की शिकार होती हैं। रोजगार के कम अवसर, उच्च शिक्षा की अनिवार्यता तथा चयन में भेद-भाव पूर्ण तरीके महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य करते हैं।

महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नही है। देश की आजादी के बाद यद्यपि महिलाओं की स्थिति में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुआ है। इसका लाभ प्राय· शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनका योगदान लगभग नगण्य ही रहा है। महिलाओं के विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किये जायें किन्तु अनुभवों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के क्रिया-कलापों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इस क्षेत्र में विविध प्रकार के कार्य होते हैं। एक ओर स्वरोजगार के छोटे-छोटे विक्रेता, सेवाकार्य, दस्तकार, मजदूर और घरों में काम कर रही महिलाएं हैं तो दूसरी ओर महिलाएं अनेक छोटी-छोटी बिखरी हुई प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों में तरह-तरह के खतरनाक रसायनों में कार्य कर रही हैं। इन मजदूरों पर न तो कोई श्रम कानून लागू होता है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। भवन निर्माण या खानों में कार्य कर रही महिलाओं को तो प्राय दैहिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। महिला मजदूरों को पुरुष के समान कार्य करने के बाद भी उनसे कम मजदूरी दी जाती है जिससे इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति दयनीय होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजार्थिक विकास की आवश्यकता है। महिलाओं की श्रम में भागीदारी वढ़ायी जाय ताकि उपलव्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जिन महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। उनकी सामाजिक, आर्थिक

स्थिति को सुधारने हेतु उचित कदम तत्कालीन प्रभाव से उठाये जायँ। पढ़ी-लिखी, दक्ष, कुशल तथा प्रशिक्षित महिलाओं के साथ ही साथ निरक्षर व गरीब महिलाओं की बडे पैमाने पर आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाय।

अध्ययन की आवश्यकता/महत्व :

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, महिलाओं की एक बड़ी श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में लगी हुयी है, यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन किया जाय तथा इस क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही स्थिति को सुधारने हेतु एक सार्थक रणनीति बनायी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में इलाहाबाद का नाम एक विशिष्ट स्थान रखता है। ऐतिहासिक नगरी के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध यह जिला शैक्षिक व आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कटु सत्य है कि महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में यह अभी भी पिछड़ा हुआ है। इलाहाबाद जिले की कुल जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 4,21,313 थी जिसमें 26,24,302 पुरुष तथा 22,96,484 महिलायें हैं। इलाहाबाद साक्षरता दर 42 66 प्रतिशत है जिनमें 59 14 प्रतिशत पुरुष तथा 23.45 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं। इसकी तुलना में इलाहाबाद शहर की जनसंख्या 8,44,546 थी जिसमें 4,71,509 पुरुष तथा 3,73,037 महिलाएं थीं। शहरी निवासियों की साक्षरता दर 67 8 प्रतिशत है जिसमें 78 6 प्रतिशत पुरुष तथा 62 4 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

विगत वर्षो में इलाहाबाद में हुए विकास के परिणामस्वरूप रोजगार के कुछ अवसर बढे हैं, यद्यपि इनकी संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में ही अधिक रही है। महिलाओं की कम मूल्य पर उपलब्धता तथा उनसे अधिक कार्य करवाने में आसानी को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं में महिलाओं के लिए कुछ अधिक अवसर भी प्रदान किये। किन्तु इसका परिणाम यह हो रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं

का शोषण अनवरत बढता जा रहा है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भी विशेष गुणात्मक सुधार नजर नहीं आ रही है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जानने व उसमें गुणात्मक सुधार लाने में प्रस्तावित शोध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु एक सार्थक रणनीति प्रस्तुत करेगी।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना है। अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न व्यवसाय में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिये प्रस्तुत शोध कार्य में प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है-

1 अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

2 अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की मजदूरी एवं जीवन स्तर का अध्ययन करना।

3 अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।

4. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के उत्थान हेतु किये गये सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों का मूल्यांकन करना।

5. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के विकास हेतु उपयोगी व्यूह नीति का सुझाव देना।

अध्ययन हेतु परिकल्पनाएं :

प्रस्तावित शोधकार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्ययन हेतु कुछ परिकल्पनाएं बनाकर उनका परीक्षण किया गया है। परीक्षण हेतु परिकल्पनाए निम्नवत हैं-

1 इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली अधिकांश महिलाएं दलित व पिछडे वर्ग की हैं।

2 इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ग्रामीण एव शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान होती है।

3. इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं का कार्य मात्र अल्प अवधि का ही होता है।

4 इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम होती है।

5 इलाहाबाद नगर क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं अपनी खराब स्थिति के कारण खराब कार्य परिस्थितियों के होते हुए भी वहॉ कार्य करने के लिये विवश होती हैं।

अध्ययन का क्षेत्र :

इलाहाबाद जनपद में इलाहाबाद नगर को अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन क्षेत्र है। इलाहाबाद नगर में नगर महापालिका, कैण्ट और टाऊन एरिया का क्षेत्र सम्मिलित है लेकिन इलाहाबाद नगर में सर्वेक्षण हेतु अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का साक्षात्कार हेतु नगर से नगर महापालिका क्षेत्र का चयन किया गया। नगर निगम के 70 वार्डो में से 16 वार्डो, को सम्मिलित किया गया तथा जिसे निम्नलिखित तालिका संख्या 1:4 में दर्शाया गया है-

सारिणी संख्या 1:4

इलाहाबाद नगर के चयनित वार्ड एव महिलाएं

क्र0सं0	वार्ड सख्या	वार्ड/मुहल्ले का नाम	चयनित महिलाये (संख्या)
1	22	फाफामऊ	30
2	34	तेलियरगंज	30
3	3	गोविन्दपुर	20
4	28	सलोरी	30
5	9	ममफोर्डगंज	20
6	27	म्योराबाद	20
7	18	राजापुर	25
8	61	कटरा	30
9	21	एलनगंज	15
10	62	भरद्वाजपुरम्	30
11	14	वाघम्बरी गद्दी	30
12	43	दारागंज	30
13	47	अलोपीवाग	30
14	29	मधवापुर	20
15	51	बहादुरगंज	20
16	66	अटाला	20
योग			400

स्रोत : कार्यालय, नगर निगम, इलाहाबाद

अध्ययन की विधि :

प्रस्तुत शोध में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार अर्थात नये रूप में

अपने प्रयोग के हितार्थ एकत्रित किया है। शोधकर्ता ने निदर्शन विधि में दैव निदर्शन रीति का प्रयोग किया है। शोधकर्ता ने अनुसूची को साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण से किया है।

द्वितीय समक श्रेणी में वो सूचनायें हैं जिन्हें शोधकर्ता ने अपने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा न प्राप्त करके दूसरे अन्य प्रकाशित समंकों से प्राप्त किया है। इस श्रेणी की सूचनायें सरकारी, गैर-सरकारी अभिलेख, सांख्यिकी पत्रिका, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकायें, आयोगों एवं समिति के प्रतिवेदन एवं विभिन्न प्रकार के प्रकाशित समंकों को एकत्र कर प्रयोग किया है।

इलाहाबाद नगर के असंगठित क्षेत्र में सन् 1998 में कुल 6946 महिलायें कार्यरत थीं। कार्यरत महिलाओं का 7 00 प्रतिशत अर्थात् 400 महिलाओं को अध्ययन हेतु चयनित किया। प्रथम अनुसूची हेतु शोधकर्ता ने इलाहाबाद नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की इलाहाबाद नगर महापालिका के चयनित मोहल्लों में से 800 कार्यरत महिलाओं की सूची तैयार की गई। इस सूची में से दैव निदर्शन विधि के आधार पर 400 महिलाओं का चयन उनके कार्य और व्यवसाय समूह के आधार पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुसूची की सूचनायें एकत्र की। जिसे सारणी संख्या 1 5 में दर्शायी गयी है।

सारणी सख्या – 1:5

चयनित रोजगार महिलाओं का विवरण

क्रम सख्या	व्यवसाय समूह	सख्या
1	पशुपालन एव मुर्गी पालन	68
2	नौकरी	56
3	सामग्री निर्माण	72
4	मजदूर	124
5	फुटकर व्यवसायी	80
योग		400

चयनित रोजगाररत महिलाएं

अनुसूची की तैयारी :

अनुसूची की तैयारी करने के लिए शोधकर्ता ने रिसर्च मैथोलाजी (शोध प्राविधि) की पुस्तकों, सामाजिक-आर्थिक, अन्य ग्रन्थों एवं पुस्तकों का अध्ययन कर तैयार किया है। प्रश्नावली दो प्रकार की बनायी गयी है, प्रथम अनुसूची में रोजगार उनके व्यक्तिगत व्यवसाय से सम्बन्धित सूचनायें हैं। द्वितीय अनुसूची में द्वितीय आंकड़े एकत्र करने हेतु बनायी गयी है जिसमें राज्य, जनपद और नगर की सूचनायें बनायी गयी हैं।

प्रथम अनुसूची चयनित रोजगाररत महिलाओं से सम्बन्धित है इसको सरल बनाने के लिए शोधकर्ता ने अनुसूची को पाँच उपखण्डों में विभक्त है। (संलग्न प्रश्नावली परिशिष्ट-2) प्रथम भाग में असगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का परिचय लिया गया है। द्वितीय खण्ड में उनके जाति एवं व्यवसाय, शैक्षिक स्तर को लिया गया है।

द्वितीय अनुसूची मे द्वितीय आकडे राज्य, जनपद एव नगर के विभिन्न कार्यालयो के अभिलेख और प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओ मे से सकलित किया गया है।

तृतीय खण्ड में उनके कार्य के प्रकार एव समय को लिया गया है। चौथे खण्ड में कार्य कर रहे कठिनाइयों को सम्मिलित किया गया है। पाँचवें खण्ड में उनके अच्छे कार्य करने हेतु सरकारी कार्यक्रम के विषय में एवं व्यूह नीति हेतु प्रश्न बनाया गया है।

(1) व्यक्तिगत परिचय .

इस खण्ड में रोजगाररत महिलाओं का नाम, पता, उम्र, जाति, धर्म और परिवार की संख्या को सम्मिलित किया गया है।

(2) कार्य :

प्रश्नावली के द्वितीय खण्ड में रोजगार के प्रकार, मजदूरी, कार्य करने का समय, कार्यस्थल की दूरी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

(3) आर्थिक स्तर .

प्रश्नावली के इस तृतीय खण्ड में कार्य करने वाली महिलाओ का क्या आर्थिक स्तर था। उनके चल एवं अचल सम्पत्तियो का विवरण किया गया है।

(4) कठिनाईयाँ :

प्रश्नावली के इस चौथे खण्ड में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को क्या कठिनाई हुई है एवं उसका निराकरण कैसे हो इसका विवरण एकत्र किया गया है।

(5) सुझाव :

प्रश्नावली के पाँचवें खण्ड में अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का विचार लिया गया है कि किस प्रकार का कार्य करें, रोजगार कार्यक्रम से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं। और सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को किस तरीके से कार्यान्वित किया जाय एवं कार्य के विषय व्यूह नीति हेतु सुझाव सम्बन्धी प्रश्न हैं।

द्वितीय प्रश्नावली में देश की कुल जनसंख्या, कार्यरत महिलाओं की जनसंख्या, साक्षरता प्रतिशत आदि है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या, साक्षरता प्रतिशत, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वालों की सख्या है। तथा जनपद एवं नगर की परिवारों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, शिक्षा का स्वरूप, भूमि उपयोग, रोजगार में लगे व्यक्तियों का विवरण, कार्यक्रम सृजन हेतु जानकारी आदि एकत्र किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट संख्या-3)

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन विश्लेषण :

प्रश्नावली संकलन के बाद संकलित किये गये प्रथम प्रश्नावली को कार्यरत व्यवसाय के समूह के अनुसार विभक्त किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन के लिए पाँच समूह का निर्माण किया गया। समस्त आंकड़ों को वर्गीकृत एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात प्रतिशत के आधार पर तालिकाबद्ध ढंग से विश्लेषण किया गया। आंकड़ों को भाषा तथा अन्य रूपों के माध्यम से विश्लेषित किया गया। इस प्रकार से इस शोध पत्र को वैज्ञानिक पद्धति पर विश्लेषित आधार पर निष्कर्ष

प्राप्त किया गया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शोध को प्रदर्शित करने हेतु मानचित्र एवं रेखाचित्र भी तैयार किया गया है।

अनुसूची के समस्त प्रश्नों को सारणीयन के रूप में दिया, मास्टर शीट, तैयार की गई मास्टर शीट के आंकड़ों के आधार पर समान तालिकाओं का निर्माण किया गया। इस प्रकार मास्टर शीट के आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से तालिकाबद्ध करके अध्ययन हेतु व्यवस्थित किया गया।

व्यवसाय के प्रथम समूह में पशुपालन एवं मुर्गीपालन है। इसके अन्तर्गत दुग्ध व्यवसाय, सुअर पालन, मुर्गी पालन, कार्य कर रही रोजगाररत महिलाओं को रखा गया है।

द्वितीय व्यवसाय समूह में नौकरी को रखा गया है। इसमें मासिक वेतन पर कार्य करने वाली व्यक्तिगत नर्सरी स्कूलों की अध्यापिकाओं, ट्यूशन पढ़ाने वाली महिलाओं और बर्तन साफ करने वाली महिलाएं सम्मिलित हैं।

तृतीय व्यवसाय समूह में सामग्री निर्माण है। इसके अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाली, अचार बनाने वाली, टोकरी बनाने वाली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली, कढ़ाई-बुनाई में कार्यरत महिलाएं हैं।

चतुर्थ व्यवसाय के समूह में मजदूर हैं। जिसके अन्तर्गत दैनिक वेतन पर प्रतिदिन गृह निर्माण में मजदूरी कार्य करने वाली महिलाएं, और प्राइवेट दुकानों में कार्य करने वाली महिलाएं सम्मिलित हैं।

पंचम व्यवसाय समूह में फुटकर व्यवसाय है। इसके अन्तर्गत पान, फल, सब्जी, ब्यूटीशियन, मछली बेचने वाली, कपड़ा धुलाई में कार्यरत महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

****

द्वितीय अध्याय

❖ जनपद इलाहाबाद में नगर की स्थिति और समाजार्थिक स्वरूप

जनपद इलाहाबाद मे नगर की स्थिति और सामाजार्थिक स्वरूप

भारत का हृदय प्रदेश के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश 241068 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। प्रदेश को 13 मण्डलों में विभाजित किया गया है। जिसमें 70 जिले हैं। भौगोलिक रूप से उत्तर भारत में स्थित है जिसकी सीमा दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार, पश्चिम में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से लगती है। राज्य के उत्तर में उत्तरांचल राज्य और अर्न्तराष्ट्रीय सीमा में नेपाल देश है। राज्य को चार भौगोलिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक-आर्थिक तथा Ecologically विभाजित किया जा सकता है ये क्षेत्र हैं .-

1. पश्चिमी प्रदेश - यमुना बेसिन से निर्मित क्षेत्र
2. उत्तर प्रदेश - गंगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र
3. पूर्वी क्षेत्र - बडे पैमाने पर गंगा बेसिन से निर्मित क्षेत्र
4. बुन्देलखण्ड - विध्यांचल पर्वत श्रेणी से बना क्षेत्र

प्रदेश के ये उप क्षेत्र अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थितियों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और इन दृष्टियों से इन सभी क्षेत्रों के विकास का परिदृश्य अलग-अलग है। यद्यपि मूल रूप से अन्तर बहुत बड़ा नहीं है फिर भी जो दृष्टिगत है उसमें अन्तर निश्चित रूप से दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न है जहाँ सिंचाई की पूर्ण और पर्याप्त सुविधा है।

मध्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास नजर आता है किन्तु कृषि का विकास नहीं हुआ है। पूर्वी उ0प्र0 तथा बुन्देलखण्ड प्रदेश के सबसे विपन्न तथा अविकसित क्षेत्र है। इसलिए यहाँ किसी तरह का विकास नहीं दिखाई देता।

1. पश्चिमी क्षेत्र :

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषीय विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के सबसे सम्पन्न क्षेत्रों में है यह क्षेत्र सिंचाई के साधनों से पूर्ण रूपेण सम्पन्न है नहरों के जाल तथा ट्यूबवेलों ने इस क्षेत्र में हरित क्रांति को सफल

बनाया जो इस क्षेत्र के विकास के मूल में है। आर्थिक रूप से सम्पन्न यह क्षेत्र महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। समाज में उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी के नागरिक की है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में महिलाओं के विकास की दृष्टि से अत्यन्त सघन चेतना और कार्य की आवश्यकता है।

2. मध्य क्षेत्र :

परम्परागत रूप से मध्य क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है। यहाँ भूमि का बंटवारा जातीय आधार पर ही है और निम्न जातीय लोगों के पास सिंचित भूमि नहीं है। इस परिक्षेत्र में महिलाओं की गृह उद्योग सम्बन्धी काम की परम्परा है जैसे कसीदाकारी तथा चिकेन की कढ़ाई जिसने अब उद्योग का रूप ले लिया है।

3. पूर्वी क्षेत्र :

उत्तर प्रदेश का पूर्वी उपक्षेत्र भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा तथा पूरी तरह से सामंतवादी परम्पराओं का गढ़ है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का भार सबसे अधिक है। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इसी क्षेत्र में इलाहाबाद जनपद आता है। यहॉ पर महिलाओं के विकास की दृष्टि से उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में महिलायें घरेलू कार्यो के अलावा अन्य कार्य आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु करती हैं। यहाँ पर महिलाओं का शिक्षा स्तर सामान्य है।

4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र :

बुन्देलखण्ड का अधिकांश भाग असिंचित तथा ऊसर है। सिंचित क्षेत्र अत्यन्त कम तथा वर्षा बहुत कम होती है। इन्हीं कारणो से इस सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिसंख्य आबादी गरीबी रेखा के नीचे जाती है। कुछ जिलों, जैसे बांदा आदि में जनजीवन

इलाहाबाद नगर की स्थिति
भारत मे उत्तर प्रदेश की स्थिति
इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद नगर
उत्तरांचल
ने
पा
ल
य
मु
ना
न
दी
गं
गा
न
दी
रा
ज
स्
था
न
वि
हा
र
मध्य प्रदेश
इलाहाबाद जनपद
इलाहाबाद नगर

चित्र संख्याः 5

जंगलों पर आश्रित है। इस पूरे परिक्षेत्र में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा बहुत कम है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में मध्यकालीन सामंतवादी प्रवृत्तियाॅ थोड़ा बहुत अन्तर के साथ यथावत विद्यमान है जो इस क्षेत्र के सामाजिक विकास में बाधक है। सामान्यत यहाॅ महिलाओं की स्थिति पर भी मध्य कालीन प्रभाव है, अधिकांश महिलायें सामान्यतः भारतीय घरेलू महिलायें हैं।

जनपद इलाहाबाद में नगर की स्थिति और सामाजार्थिक स्वरूप :

इलाहाबाद जनपद $24^{0}47$ डिग्री और $25^{0}47$ डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}09$ डिग्री और $81^{0}19$ डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इलाहाबाद पूर्व से पश्चिम 63 कि0मी0 लम्बा और उत्तर से दक्षिण 109 कि0मी0 में चौड़ाई में फैला है। जिले की उत्तरी सीमा पर प्रतापगढ, पूर्वोत्तर जौनपुर, पूर्व में वाराणसी, पश्चिम में कौशाम्बी, दक्षिण पश्चिम में बांदा, दक्षिण पूर्व में मिर्जापुर तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य का रीवां जनपद स्थित है। इलाहाबाद के भौगोलिक विस्तार एवं प्राकृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए चार अप्रैल 1997 को राज्य सरकार द्वारा जनपद का पुनर्गठन किया गया। जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु कुछ भाग निकाल कर नवसृजित जनपद कौशाम्बी में कर दिया गया। इस दृष्टिकोण से जनपद का क्षेत्रफल कुछ कम हो गया वर्तमान समय में जनपद का क्षेत्रफल 5437.2 वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टिकोण से इलाहाबाद जनपद का प्रदेश में अट्ठारहवां स्थान है।

प्राकृतिक विषमताओं के द्वारा जनपद को 2 उपखण्डों में विभक्त किया जा सकता है जिन्हें गंगापार, यमुनापार कहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद में आठ तहसीलों, 20 विकासखण्ड, 9 नगर पंचायत, छावनी क्षेत्र-1 और 1 नगर निगम इलाहाबाद है। नगर निगम के अलावा 374 गाँव हैं जिसमें से 2,799 गाँव आबाद हैं और 275 गैर आबाद ग्राम हैं। इस प्रशासनिक ढाँचे को हम निम्न सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं।

सारणी – 21

जनपद का प्रशासनिक स्वरूप

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	कुल आबाद ग्राम	नगर पचायत, नगर निगम, छावनी क्षेत्र
1	सोरांव	1- कौड़िहार	207	1- लालगोपालगंज
	,,	2- होलागढ़	90	,,
	,,	3- मऊआइमा	93	2- मऊआइमा
	,,	4- सोरांव	106	,,
2	फूलपुर	5- बहरिया	199	,,
	,,	6- फूलपुर	148	3- फूलपुर
3.	हण्डिया	7- बहादुरपुर	154	4- झूंसी
	,,	8- प्रतापपुर	129	,,
	,,	9- सैदावार	156	,,
	,,	10- धनुपुर	190	,,
	,,	11- हण्डिया	126	5- हण्डिया
4	बारा	12- जसरा	109	6- शंकरगढ़
5	करछना	13- शंकरगढ़	185	,,
	,,	14- चाका	97	,,
	,,	15- करछना	119	,,
	,,	16- कौंधियारा	83	7- सिरसा
6.	मेजा	17- उरुवा	91	8- कोरांव
	,,	18- मेजा	148	9- भारतगंज
7	कोरांव	19- कोरांव	203	10-कन्टोमेन्ट बोर्ड
	,,	20- माण्डा	166	11- नगर निगम
कुल	7	20	2799	11

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2000-01 जनपद अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान इलाहाबाद, उ0प्र0।

उपर्युक्त सारणी से प्रतीत होता है कि इलाहाबाद नगर जनपद के प्रशासनिक ढॉचे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नगर के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर महापालिका तथा छावनी क्षेत्र भी सम्मिलित है। इलाहाबाद नगर 25^{0} अक्षांश उत्तर 81^{0}-50 डिग्री देशान्तर पूर्व में समुद्र तल से 303 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। नगर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर स्थित है। इलाहाबाद नगर को प्रयाग भी कहते हैं जो प्राचीन काल से हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। प्रयाग का उल्लेख महाकाव्य, पुराणों अन्य कृतियों में आया है। मनुस्मृति के अनुसार विशन- से प्रयाग का विस्तृत भूभाग मध्य प्रदेश में सम्मिलित था।[1] कुम्भ पुराण के अनुसार प्रयाग मण्डल पॉच प्रयोजन लगभग 410 किलोमीटर फैला हुआ था, मत्स्य पुराण के अनुसार इसके विस्तार प्रतिष्ठान में वासुकी सरोवर तथा नागों के निवास तक था।

ब्राह्मण तथा बौद्ध साहित्य के अनुसार प्रयाग का सम्बन्ध कुछ पौराणिक महान् विभूतियों से रहा है। महाभारत के अनुसार सृष्टि के देवता ब्रह्म ने यहाँ पर एक यज्ञ किया था जिससे इसका नाम प्रयाग पड़ा, 'प्रा' शब्द उत्तम एवं 'याज्ञ' शब्द यज्ञ का द्योतक है, इसे भाष्कर क्षेत्र भी कहा जाता था, और सोम, वरुण एवं प्रजापति का जन्म हुआ था।[2] चीनी यात्री ह्वेनसाग ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि प्रयाग में राजा हर्ष ने अपने संचित कोष को गरीबों, दरिद्रों, ब्राह्मणों, बौद्ध तथा जैन भिक्षुकों को दान रूप में अपने जेवरात, सामान जैसे- कपड़े, हार, कर्णफूल, कंगन और अपने मुकुटों को दान देकर एक उदाहरण स्थापित किया था।[3] नगर में अब भी इसी नाम का एक रेलवे स्टेशन प्रयाग है। गंगा और यमुना के संगम के पास ही एक ऊँचा टीला है जहाँ पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम था जिसमें राम के भाई भरत उनके आश्रम में मिलने आये थे। अपनी धार्मिक पवित्रता के कारण ये नगर अतीत काल से तीर्थराज के नाम से भी प्रसिद्ध है।

गौतम बुद्ध के समय वंश राज्य का अंग था। चन्द्रगुप्त मौर्य (302-297) के ई0पू0 विशाल साम्राज्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। चीनी यात्री फाह्यान गुप्त साम्राज्य, चन्द्रगुप्त के समय प्रयाग में आया था तो उसने प्रयाग को एक घनी

---

[1] मनुस्मृति - गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित पृष्ठ 79.
[2] द, जनरल ऑफ इलाहाबाद, हिस्टेरिकल सोसाइटी, इला0 खण्ड-I 1982.
[3] आर0एस0 त्रिपाठी, इण्डियन आरकियोलाजी, 7954-55.

जनसंख्या वाला नगर बताया था। राजा हर्ष के शासन में महान नगर था। राजा हर्ष प्रत्येक पाँचवें वर्ष एक महान सभा आयोजित कर निर्धन तथा धार्मिक लोगों को अपने कोष से दान देता था। अकबर के शासन में पुनः इस शाही नगर की स्थापना हुई जिसका नाम इलावास अथवा इलाहाबाद रखा था। सन् 1801 में अवध के नवाब सादअली खाँ ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया।

अंग्रेजों ने इसे प्रमुख सैनिक तथा मुख्यालय बनाया। पूर्वी सीमा पर यमुना के निकट सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए घर बनाये गये। उन्हीं के कार्यकाल में एक नये सिविल स्टेशन की नींव डाली गयी जिसका विस्तार कर्नलगंज से उत्तर की ओर होता गया और बढ़ते हुए नगर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नये बाजार कटरा की स्थापना की गयी। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सिविल स्टेशन तथा छावनी क्षेत्र का नवीनीकरण करके एक नयी बस्ती छावनी की स्थापना की सन् 1863 में नगर इलाहाबाद में नगर पाल की स्थापना की गयी। सन् 1960 में इलाहाबाद को नगर महापालिका बना दिया गया। वर्तमान समय में इसे नगर निगम से जाना जाता है। इलाहाबाद नगर का क्षेत्रफल 81 46 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नगर निगम का क्षेत्रफल 63.15 वर्ग किमी0 तथा छावनी का क्षेत्रफल 18 21 वर्ग किमी0 है। उत्तर से दक्षिण इसकी लम्बाई 17 किमी0 तथा पश्चिम से इसकी चौड़ाई लगभग 16 किमी0 है। प्रशासनिक प्रयोजन के लिए और नगर के विकास के लिए नगर को 70 वार्डो में विभाजित किया गया है। जिसे मानचित्र संख्या 2.2 में दिखाया गया है। नगर में वार्ड संख्या एवं मुहल्ले का नाम निम्नलिखित है।

वार्ड संख्या		वार्ड/मुहल्ले का नाम
1	–	मुंडेरा
2	–	मलाकराज
3	–	गोविन्दपुर
4	–	हरवारा
5	–	राजरूपपुर
6	–	निहालपुर

7 - दरियाबाद
8 - कृष्णनगर
9 - ममफोर्डगंज
10 - जहांगीराबाद
11 - टैगोर टाउन
12 - करैलाबाग
13 - रेलवे क्षेत्र
14 - बाघम्बरी गद्दी
15 - सुलेम सरांय
16 - सिविल लाइन्स क्षेत्र प्रथम
17 - सिविल लाइन्स क्षेत्र द्वितीय
18 - राजापुर
19 - मीरापुर
20 - कटघर
21 - एलनगंज
22 - फाफामऊ
23 - पूरा पड़ाइन
24 - दरियाबाद भाग-2
25 - नैनी
26 - पूरा मनोहरदास
27 - म्योराबाद
28 - सलोरी
29 - मधवापुर
30 - उमरपुर नीवा
31 - करैली
32 - चक भटाही
33 - चकदोंदी
34 - तेलियरगंज
35 - चक रघुनाथ
36 - शहराराबाग
37 - मोहत्सिमगंज
38 - दरभंगा
39 - रामबाग

40	–	मुट्ठीगंज
41	–	आजाद
42	–	मालवीय नगर
43	–	दारागंज
44	–	खुल्दाबाद
45	–	बख्तियारी
46	–	नई बस्ती
47	–	अलोपीबाग
48	–	तुलसीपुर
49	–	बेनीगंज
50	–	सरांयगढ़ी
51	–	बहादुरगंज
52	–	पूरा ढाकू
53	–	सुल्तानपुर
54	–	लूकरगंज
55	–	अतरसुइया
56	–	बादशाही मंडी
57	–	चौखण्डी
58	–	खलासी
59	–	रानी मण्डी
60	–	न्यू कटरा
61	–	कटरा
62	–	भारद्वाजपुरम
63	–	हिम्मतगंज
64	–	शाहगंज
65	–	पूरा दलेल
66	–	अटाला
67	–	दाराशाह अजमल
68	–	दोंदीपुर
69	–	बक्शी बाजार
70	–	मीरगंज[1]

[1] पुनर्गठित जनपद की जनसख्या (इसमें सृजित जनपद कौशाम्बी से नये भूभाग की जनसख्या सम्मिलित नहीं है)

समाजार्थिक दशाओं के अध्ययन में जनसंख्या का अध्ययन करना जरूरी होता है क्योंकि जनसंख्या सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावित करती है। इलाहाबाद की जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 3890613 थी जिसमें नगरीय जनसंख्या 954607 थी और ग्रामीण 2936006 थी, जो कि कुल जनसंख्या का 24.56 प्रतिशत जनसंख्या नगर में तथा गॉव में 75.44 प्रतिशत निवास करती थी। जनपद में नगर के विभिन्न वर्षो की जनसंख्या को सारणी एवं मानचित्र संख्या 2.2 में दिखाया गया है।

सारणी संख्या – 2:2

इलाहाबाद की जनसंख्या

वर्ष	नगरीय	ग्रामीण	कुल जनसंख्या
1961	443964	1994412	2438376
	(18.21)	(81.79)	(100 00)
1971	542103	2395175	2937278
	(18.46)	(81.54)	(100 00)
1981	773588	3023445	3797033
	(20.37)	(79.63)	(100 00)
1991	954607	2936006	3890613
	(24.54)	(75.46)	(100.00)
2001	1213828	3727682	4941510
	(24.56)	(75.44)	(100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

स्रोत : 1 समाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2000-2001 अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन सस्थान, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

2. कार्यालय जनगणना निदेशालय, (गृह मत्रालय भारत सरकार) लखनऊ, उ0प्र0-2001

सारणी संख्या 2:2 से प्रतीत होता है कि कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत जो कि हर दशक में वृद्धि होती रही है। सन् 1961 में जनसंख्या का 81 79

इलाहाबाद की जनसंख्या

प्रतिशत गाँव में थी तो नगर में 18 21 प्रतिशत थी। सन् 1971 में ग्रामीण क्षेत्र में 81.54 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 18 46 प्रतिशत थी। 1981 में 79 63 ग्रामीण और 20 37 प्रतिशत नगरीय हो गयी तथा 2001 में ग्रामीण क्षेत्र 75 44 और नगरीय क्षेत्र 24.56 प्रतिशत लोग रह रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रोजगार हेतु गांवों को छोड़कर नगर में आकर बसे हैं।

सारणी सख्या – 2·3

लिंग के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या

क्र0 सं0	वर्ष	नगर			जनपद		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	1971	542103	302891	239212	2937278	1547282	1389996
		(100 00)	(55 87)	(44 13)	(100 00)	(52 68)	(47 32)
2	1981	773588	424675	348913	3797033	2008771	1788262
		(100 00)	(54 90)	(45 10)	(100 00)	(52 90)	(47 10)
3	1991	954607	525277	429330	3890613	2077490	1813123
		(100.00)	(55 03)	(44 97)	(100 00)	(53 40)	(46 60)
4	2001	1213828	669572	544256	4941510	2625872	2315638
		(100 00)	(55 16)	(44 84)	(100.00)	(53.14)	(46 86)

(कोष्टक में प्रतिशत दर्शाया गया है)

स्रोत : (i) CENSUS OF INDIA 1971, 1981, 1991,

(ii) जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2001

(iii) कार्यालय जनगणना निदेशालय (गृह मंत्रालय भारत सरकार) उ0प्र0, लखनऊ-2001

सारणी संख्या 2:3 से प्रतीत होता है कि लिंग के अनुसार जनसंख्या में विभिन्नता है। वर्ष 1971 में पुरुष की जनसंख्या 55.87 थी तो महिलाओं की 44. 13 प्रतिशत जो कि पुरुषों की अपेक्षा कम थी। यही स्थिति सन् 1981 में देखने को मिली है जिसमें पुरुष 54.90 प्रतिशत महिला 45.10 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 में पुरुष 55.03 प्रतिशत महिलायें 44.97 प्रतिशत थीं और वर्ष 2001 में पुरुष

इलाहाबाद नगर की जनसंख्या
कुल
पुरुष
महिला
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
जनसंख्या
1971
1981
1991
2001
वर्ष

55.16 प्रतिशत हो गये और महिलायें 44.84 प्रतिशत हैं। वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम हुई है और वर्ष 2001 में और भी कम हो गयी है।

जनपद एवं नगर की जनसंख्या में लिंग अनुपात का अन्तर देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है उसे सारणी संख्या 2 4 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या . 2:4

प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

वर्ष	नगर	इलाहाबाद
1971	790	898
1981	822	890
1991	817	874
2001	813	882

स्रोत . (i) साख्यिकीय पत्रिका इलाहाबाद - 2000

(ii) सेन्सस आफ इण्डिया निदेशक, कार्यालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ

सारणी संख्या 2:4 से स्पष्ट होता है कि जनपद इलाहाबाद एवं नगर में विगत दशकों से महिलाओं की पुरुषों के अनुपात में कमी थी क्योंकि सन् 1971 में जनपद में प्रति 1000 पुरुषों में 898, नगर में 790 महिलायें थी वर्ष 1981 में जनपद में 890 और नगर में 822 महिलायें थीं। सन् 1991 में 874 जनपद में और नगर में 817 थी वर्ष 2001 में जनपद में 882 महिलायें थीं तो नगर में 813 महिलायें जनपद की तुलना में नगर में महिलाओं की कमी थी। नगर में 18. 7 प्रतिशत महिलायें और जनपद में 11.8 प्रतिशत महिलायें पुरुषों की अपेक्षा कम हैं।

नगर की जनसंख्या वृद्दि दर :

पुर्नगठित जनपद इलाहाबाद हो जाने के कारण विगत दशकों की जनगणना की सूचना आगठित नहीं की जा सकती है। जनपद के निकले भूभाग को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व जनपद की इलाहाबाद की वृद्धि दर इलाहाबाद का मानक होगी। जिसे निम्न तालिका संख्या 2:5 से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या – 2:5

नगर की जनसंख्या वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	नगर			जनपद		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1971	00	00	00	00	00	00
1981	40.21	45.86	42 70	29.82	28 65	29 27
1991	23.69	23.05	23.40	3.42	6.98	2 46
2001	27.47	26.77	27.15	26.40	27.72	27 01

स्रोत : (i) सांख्यिकी पत्रिका इलाहाबाद वर्ष 2001

(ii) कार्यालय जनगणना निदेशालय (गृह मत्रालय भारत सरकार) उ0प्र0 लखनऊ-2001

सारिणी संख्या 2:5 से प्रतीत होता है कि वर्ष 1971 से वर्ष 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर जनपद में 29.27 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की वृद्धि दर 29 82 प्रतिशत है तो महिलाओं की 26.65 प्रतिशत वृद्धि दर है जो पुरुषों की अपेक्षा कम है। नगर की वृद्धि दर इसकी अपेक्षा अधिक है जो कि नगर में कुल 42.70 वृद्धि हुयी है जिसमें पुरुषों की 40.21 और महिलाओं की 45 86 प्रतिशत है इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। 1981 से 1991 के दशक में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हुयी है किन्तु कम है क्योंकि 1991 की जनसंख्या का कुछ भाग पुर्नगठित जिले में चला गया है। फिर भी जनपद में कुल

2 46 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। जिसमें पुरुष 3 42 प्रतिशत और महिला की 6 48 प्रतिशत हुयी है। इसमें महिलाओं की प्रतिशत वृद्धि दर अधिक है। इलाहाबाद नगर की वृद्धि प्रतिशत अधिक है जिसमें पुरुषों की 23.69 और महिलाओं की 23.05 प्रतिशत है। 1991 से 2001 के दशक में नगर की जनसंख्या में वृद्धि दर 27 15 प्रतिशत थी तो इसी समय इलाहाबाद जनपद की वृद्धि दर 27.01 प्रतिशत है। नगर में पुरुषों की 27.47 प्रतिशत और महिलाओं की 26 77 प्रतिशत है और जनपद में पुरुष 26.40 प्रतिशत तथा महिलाओं की 27.72 है। इस प्रकार जनपद इलाहाबाद में जनसंख्या की वृद्धि दर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम है।

जनसंख्या में घनत्व :

सन् 1961 में जनसंख्या के अनुसार जनपद में जनसंख्या का घनत्व 156 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 थी तो नगर की जनसंख्या का घनत्व 5450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। वर्ष 1971 में 523 था तो वर्ष 1991 में बढ़कर 716 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गया है। नगर की जनसंख्या का 1971 में 6655 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था तो 1991 में बढकर 11719 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गयी। सन् 1900-2001 में जनपद का घनत्व 909 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी0 थी तो नगर की 14900 व्यक्ति वर्ग किमी0 है। जिसे सारणी संख्या 2·6 से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी सख्या – 2:6

नगर की जनसंख्या का घनत्व

वर्ष	नगर	इलाहाबाद (प्रति वर्ग किमी0)
1961	5450	156
1971	6655	523
1981	9497	-
1991	11719	716
2001	14900	909

स्रोत : (i) साख्यिकीय पत्रिका एवं जनपद का गजेटियर 1981, 1993

(ii) कार्यालय जनगणना निदेशालय, लखनऊ

उक्त तालिका से प्रतीत होता है कि जनसंख्या का घनत्व जनपद की अपेक्षा नगर का घनत्व प्रति वर्ग किमी0 अधिक है।

शिक्षा :

शिक्षा-मानव जीवन को पूर्ण रूप से परिष्कृत कर उसे सर्वगुण सम्पन्न बनाने और उसे गौरवपूर्ण उच्चतम स्थान दिलाने में शिक्षा सहायक होती है। सामाजिक-आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज को एक नयी दिशा दे सकता है, और दक्षतापूर्वक कार्य कर सकता है। इसलिए नगर की साक्षरता का अध्ययन करना आवश्यक है जिसे निम्न सारणी सख्या - 2:7 में दिखाया गया है।

सारणी संख्या - 2:7

नगर की साक्षरता

(प्रतिशत में)

वर्ष	नगर			जनपद		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1971	51 7	40.2	60 8	35.6	10.8	23.9
1981	64.76	43.66	55 24	41.5	12.8	28.8
1991	70 9	61.4	68 5	59 1	23 5	42.7
2001	519227 (77.55)	357348 (65.66)	876575 (72.22)	–	–	–

स्रोत : (i) सांख्यिकी पत्रिका इलाहाबाद विभिन्न वर्ष

(ii) जनगणना निदेशालय, लखनऊ (उ0प्र0)

सारणी संख्या 2:7 से प्रतीत होता है कि जनपद इलाहाबाद की साक्षरता प्रतिशत इलाहाबाद नगर से कम है। सन् 1971 में जनपद की साक्षरता प्रतिशत 23.9 थी तो नगर की 60.8 प्रतिशत थी अर्थात् जनपद की अपेक्षा नगर की साक्षरता प्रतिशत अधिक है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 51.7 है तो महिलाओं की उससे कम 40 2 प्रतिशत है।

वर्ष 1981 में जनपद में 28.8 प्रतिशत साक्षर थे तो नगर में 55.24 प्रतिशत थी इसमें पुरुष 64.76 और महिलायें 43.66 प्रतिशत साक्षर थीं। वर्ष 1991 में जनपद में 42.7 प्रतिशत है तो नगर में ये साक्षरता प्रतिशत 68.5

इलाहाबाद नगर की साक्षरता

प्रतिशत है जिसमें 70 9 पुरुष हैं तो 61 4 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। वर्ष 2001 में नगर की कुल साक्षरता 72 22 है जिसमें पुरुष 77 55 और महिला 65 66 प्रतिशत साक्षर हैं।

राज्य सरकार द्वारा साक्षरता उन्नयन हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं को जूनियर बेसिक विद्यालयों से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाली कन्याओं को विशेष अनुदान की सुविधा दी जा रही है। समाज में कमजोर वर्ग के छात्रों को नि शुल्क किताबें, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति और असेवित क्षेत्रों में नये स्कूल खोलने की व्यवस्था आदि है।

नगर में प्रावैधिक शिक्षा संस्थान Institute of Engineering & rural technology, मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, I.T.I, काष्ठ कला प्रशिक्षण केन्द्र हैं। नगर में प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, स्नातकोत्तर, स्नातक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं।

अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने सन् 1979-80 के अनौपचारिक शिक्षा योजना, भारत सरकार की मदद से अनौपचारिक शिक्षा की पूरक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था है जो सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य कारणों से स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं या किसी कारण शिक्षा मध्य में ही छोड़ दिया है उन्हें शिक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा द्वारा नगर में स्थापित इकाई द्वारा ये कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आरम्भ किया गया है। तथा बच्चों को साक्षर बनाया जा रहा है।

इलाहाबाद में विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक, पिछड़ी जाति एवं अन्य निर्धन छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सन् 1999-2000 में रूपये 1049.35 लाख छात्रों को बांटी या वितरित की गयी सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है।

चिकित्सा सुविधाए वर्ष 1999-2000
600
500
400
300
200
100
0
संख्या
ऐलोपैथिक चिकित्सालय एव औषधालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
आयुर्वेदिक चिकित्सालय औषधालय
यूनानी चिकित्सालय औषधालय
होम्योपैथिक चिकित्सालय
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र
केन्द्र एव उपकेन्द्र
चिकित्सा पद्धति

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य :

किसी भी क्षेत्र का विकास मानव शक्ति पर आधारित है। चिकित्सा मानव शक्ति की पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिये जरूरी है। मानव संसाधन के विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सन् 1982 में घोषित राष्ट्रीय नीति में वर्ष 2000 तक सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना की गयी थी। सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे थे कि मनुष्यों को ये लाभ मिल जाये। नगर में सरकार द्वारा नये एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना के साथ ही पुराने एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु नये आयुर्वेदिक, युनानी अस्पतालों एवं चिकित्सालय तथा होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना हुई है। इन चिकित्सा सुविधाओं को निम्न सारणी संख्या 2:8 से दर्शाया गया है.-

सारणी संख्या – 2:8

चिकित्सा सुविधायें 1999–2000

क्र0सं0	मद	इलाहाबाद नगर
1	ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय	60
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	81
3	आयुर्वेदिक चिकित्सालय औषधालय	31
4.	यूनानी चिकित्सालय औषधालय	04
5.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	31
6.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	480
7.	केन्द्र एवं उपकेन्द्र	480

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका जनपद इला0 वर्ष 2001।

चिकित्सा सुविधाओं में जनसंख्या का भार पड़ता है। जनसंख्या भार जितना ही कम होगा जनस्वास्थ्य उतना ही सुदृढ़ होगा। इलाहाबाद में वर्ष 1999-2000 चिकित्सा सुविधाओं पर जनसंख्या भार को सारणी संख्या 2:9 में प्रस्तुत किया है :-

चिकित्सा सुविधाओं पर जनसंख्या भार
जनसंख्या भार
150000
125000
100000
75000
50000
25000
0
ऐलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय
यूनानी चिकित्सालय/औषधालय
होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय
ऐलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय/
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
चिकित्सा पद्धति

सारणी संख्या – 2:9

चिकित्सालय सुविधाओं पर जनसख्या भार

क्र0स0	चिकित्सा पद्धति	जनसंख्या
1	ऐलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय	64844
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	48032
3.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय	125504
4.	यूनानी चिकित्सालय/औषधालय	972553
5	होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय	125504
6.	ऐलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	27593

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका/समाजर्थिक समीक्षा 2000-01.

सारणी संख्या 2:9 से स्पष्ट होता है कि सन्दर्भित पद्धतियों में लोगों ने ऐलोपैथिक पद्धति द्वारा चिकित्सा का माध्यम अधिक सुना है क्योंकि ऐलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनसंख्या भार ~~140469~~ 64844 है जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जनसंख्या भार 125504 है और यूनानी चिकित्सालय में इससे भी कम 972553 जनसंख्या भार है। होम्योपैथिक चिकित्सालय में जनसंख्या भार ~~15504~~ 125504 है। ऐलोपैथिक चिकित्सा महंगी होने के बाद भी तुरन्त आराम होने के कारण जनसमुदाय ने इस पद्धति को अपनाया है। ऐलोपैथिक चिकित्सालय/पद्धति पर जनसंख्या भार कम किये जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है, मानव को मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने में समस्या होती है, वहीं लोगों को रोजगार कम सुलभ हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जनपद में परिवार नियोजन सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधायें परिवार नियोजन राजकीय एवं निजी चिकित्सा केन्द्रों पर अपनाया जा रहा है। सरकार द्वारा परिवार नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

आपरेशन, बन्ध्याकरण, पिल्स, यूटर्स, सी0सी0 तथा लोकनिपेशन कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

जन्मदर एवं मृत्युदर के अनुपात के आधार पर जनसंख्या में वृद्धिदर निर्भर करती है। ये कल्याणकारी उद्देश्य होता है कि जनसंख्या में एक ओर जन्मदर में गिरावट की जाये तो दूसरी ओर जनसमुदाय को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधायें देकर मृत्युदर में कमी लायी जाय। जन्मदर में कमी लाने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो दूसरी ओर जनसमुदाय में अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में सक्रिय है। इलाहाबाद की जन्मदर तथा मृत्युदर प्रति हजार 21 00 व 9 0 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

जल सम्पूर्त्ती :

मानव को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल का उपयोग करना आवश्यक है। पानी मनुष्य, जीव, प्राणियों का जीवन आधार है उद्योगों के विकास और औद्योगीकरण के कारण प्राकृतिक श्रोतों से मिलने वाला जल दूषित हुआ है। शुद्ध पेयजल जनसमुदाय को उपलब्ध कराये जाने के लिए व्यापक कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाकर, ट्यूबवेल द्वारा और इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाकर शुद्ध पानी उपलब्ध करायी जा रही है। शुद्ध जलपूर्त्ती का कार्यक्रम प्रमुख रूप से जल निगम विभाग और ग्राम विकास विभाग द्वारा किये जाते हैं। लोगों को पानी मिले मानक के अनुसार प्रत्येक उसके 250 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प पर स्थापित किया जाना है।

श्रम शक्ति :

आर्थिक विकास की पूंजी श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति के अन्तर्गत समान्यतया 18-60 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की गणना की जाती है। इस आयु वर्ग के लोगों से रोजगार युक्त होने की सम्भावना की जाती है। 1981 की जनगणना के आॅकड़े के अनुसार कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का अंश 51.4 प्रतिशत थी। इलाहाबाद की श्रम शक्ति को सारणी संख्या 2:10 प्रस्तुत की जा रही है।

सारणी सख्या – 2:10

दशकों मे श्रम शक्ति का प्रतिशत

क्र0सं0	विवरण	वर्ष 1981	वर्ष 1991	प्रतिशत वृद्धि
1	कुल कर्मकारों का जनसंख्या से	29 6	31 5	(+) 6'4
	प्रतिशत	70 8	68.5	(-) 2.7
2.	आश्रितों का प्रतिशत	02 4	0.22	(-) 9.4
3.	प्रति अर्जक पर आश्रितों की संख्या			

स्रोत : जिला कार्यालय अर्थ एव संख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान, इलाहाबाद उ0प्र0।

उपयुक्त सारणी से प्रतीत होता है कि 1981 से 1991 के दशक में कुल कर्मकारों की जनसंख्या में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि आश्रितों की संख्या में गिरावट आयी है। क्योंकि 1981 में 70 8 प्रतिशत श्रम शक्ति थी तो 1991 में 68.5 प्रतिशत हो गयी जो कि (-) 2 7 प्रतिशत है। प्रति अर्जक 1981 में 02 4 व्यक्ति आश्रित थे तो 1991 में ये संख्या घटकर 0.22 हो गयी है जो कि यह प्रतिशत वृद्धि (-) 9.4 है।

इलाहाबाद में वर्ष 1981 में कुल कर्मकार 1124461 कर्मकार थे वर्ष 1991 में कर्मकार की संख्या 1551562 हो गयी थी। जनसंख्या 1981 में 3797033 एवं 1991 में 4921310 थी तो जनसंख्या वृद्धि 29.6 प्रतिशत हुई है और कर्मकार वृद्धि 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसे सारणी संख्या 2:11 में दर्शाया गया है।

सारणी सख्या – 2:11

कर्मकरों का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	कर्मकर की संख्या
1	1981	1124461
2	1991	1551562
3	1998	1978663

उपयुक्त सारिणी से प्रतीत होता है कि इलाहाबाद जनपद में कर्मकर की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 से 1991 तक 427101 लोग बढ़े हैं। 1991 से 1998 के बीच में 4,27101 कर्मकर की संख्या में वृद्धि हुयी है इससे स्पष्ट होता है कि श्रमशक्ति में जनपद की स्थिति ठीक है।

सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगाररत व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा स्वावलम्बी उद्योग स्थापित करने में सरकार आर्थिक मदद दे रही है। श्रम शक्ति के उपयोग को सरल बनाने हेतु जनपद में दो सेवायोजन कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जिनके माध्यम से बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों को कार्य हेतु रोजगार उपलब्ध कराये जाते हैं। और उनके श्रमशक्ति का लाभ उन्हें उपलब्ध हो रहा है।

वित्तीय संस्थायें :

क्षेत्र के आर्थिक विकास में धन का स्थान सर्वोपरि है। धन प्राप्त करने में वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय संस्थायें एक ओर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, घरेलू उद्योग की स्थापना में सहयोग देती है। वही वित्तीय संस्थायें नागरिकों को उनकी अर्जित पूंजी का संरक्षण भी है। इलाहाबाद में वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक एवं अन्य निजी बैंक स्थापित हैं। इलाहाबाद के प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को सारणी संख्या 2:12 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 2:12

इलाहाबाद में वित्तीय संस्थायें (वर्ष 1999-2000)

क्र0सं0	संस्थाओं का विवरण	शाखाओं की संख्या		
		कुल	ग्रामीण	नगरीय
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक	169	56	113
2.	व्यवसायिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67	64	3
3.	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	10	02	8
योग		246	122	124
प्रति बैंक पर जनसंख्या भार		158155	240650	7698

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2000-2001 अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान इलाहाबाद उ0प्र0।

इलाहाबाद में वित्तीय संस्थायें वर्ष1999-2000

सारणी संख्या 2:12 से प्रतीत होता है कि जनसंख्या भार कुल जनपद में 158155 व्यक्ति है जबकि नगरीय क्षेत्र में 7698 व्यक्ति है और ग्रामीण क्षेत्र में 240650 व्यक्ति हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाओं का भार नगरीय क्षेत्र की तुलना में तीन गुना अधिक है।

कल्याण कार्यक्रम :

भारतीय संविधान के अनुसार कमजोर वर्ग असहाय, शोषित एवं सुविधाहीन, विमुक्त जातियाँ और अन्य पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम चालू करने का दिशा निर्देश है। अनुसूचित जातियाँ/ जनजातियाँ एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास हेतु प्रयत्न करना हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व है। जिससे वो लोग भी समाज की मुख्यधारा में जुड़कर समाज का मुख्य अंग बन सकें। इलाहाबाद में परिस्थितिक संतुलन को पुर्नस्थापित करने, सूखे की विवशता कम करने, क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने तथा ग्रामीण बेरोजगार, निर्बल व्यक्तियों को रोजगार हेतु कार्यक्रम चलाये गये हैं। शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बच्चों को छात्रवृत्ति, विकलांगों, निराश्रित विधवाओं, उपेक्षित महिलाओं को अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन, आवास विहीन व्यक्ति को आवास दिलाने हेतु योजनायें चालू हैं।

(1) छात्रवृत्ति :

वर्ष 2000-01 निर्बल एवं कमजोर परिवारों के बच्चों का शेक्षिक स्तर उँचा उठाने के उद्देश्य से 204310 बच्चों को चुना गया था इन परिवार के बच्चों को रूपये 1049.35 लाख रूपये छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

(2) विकलांग पेंशन :

समाज के विकलांग व्यक्तियों को जिनके जीवन निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं है उनको विकलांग पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2001 में 4167 विकलांगों का चयन कर 62.10 लाख रूपये पेंशन बांटी गयी है।

(3) निराश्रित विधवा पेंशन :

वर्ष 2000-01 में 7015 निराश्रित विधवाओं को चयन कर 84.30 लाख पेंशन वितरित किया गया।

(4) निराश्रित परिवारों की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान :

समाज में देखा गया है कि गरीब एवं निर्धन निराश्रित परिवार की लड़कियों की शादी करने में आर्थिक कठिनाई होती है सरकार ने सन् 2000-01 में 271 लड़कियों की शादी हेतु 270.10 लाख रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित किया।

(5) परिवारिक लाभ योजना :

सन् 2000-01 में 303 परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 27 69 लाख रूपये की सहायता धनराशि वितरित की गयी।

(6) मातृत्व लाभ योजना :

इलाहाबाद में वर्ष 2000-01 में मातृत्व लाभ योजना में 3214 महिलाओं को 38 06 लाख रूपये सहायता धनराशि वितरित की गयी।

(7) राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना :

असहाय, कमजोर और निर्बल व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दिया गया है। सन् 2000-01 में राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था योजना के अन्तर्गत 25579 व्यक्तियों को 341.19 लाख रूपये पेंशन वितरित किया गया।

(8) पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम ऋण की सहायता :

इस ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 2000-01 में 35 लाभार्थियों का चयन कर विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए 12 55 लाख रूपये का ऋण वितरण सुलभ कराया गया।

(9) आवास योजना :

आवास योजना के अन्तर्गत सन् 2000-01 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आवासविहीन परिवारों के लिए आवास निर्माण सरकार द्वारा कराया गया। इस आवास निर्माण 306.47 लाख रूपया व्यय किया गया।

(10) जवाहर ग्राम समृद्ध योजना :

ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे निर्बल, कमजोर व्यक्ति के लिए सरकार रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु, उनके आर्थिक स्तर को मजबूत करने और समाज की परिसम्पत्तियों को स्थापित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का लक्ष्य था। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बाढ़ नियन्त्रण, लघु एवं मध्यम सिंचाई, भूमि जल संरक्षण, स्कूल पंचायत भवन, बन्धीकरण, पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प और छोटे-छोटे मार्गो का निर्माण किये जा रहे हैं।

(11) पेयजल योजना :

इस योजना के अन्तर्गत सन् 99-2000 में कार्यान्वित सभी योजनाओं के अन्तर्गत 10035 हैण्डपम्प और ट्यूबबेल स्थापित कर पानी अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना :

अक्टूबर 1921 में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना चालू की गयी। इसी योजना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सन् 1995-96 से अम्बेदकर ग्राम विकास योजना चालू की गयी उन दोनों के अतिरिक्त गाँधी विकास ग्राम योजना 8 अगस्त 1995 से प्रारम्भ की गयी। इन योजनाओं में चयनित ग्राम के सर्वोणीय विकास हेतु सभी विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों को विकेन्द्रित रूप से चालू करने हेतु अपनायी गयी। और विभिन्न भाग के व्यक्तिगत लाभार्थियों को सामाजिक सुविधाओं के कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1999-2000 से स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत 3056 लोगों को लाभ मिला है।

पशुपालन :

पशुपालन का विकास कृषि कार्य को समय से सम्पादित कराने के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पशुधन की उपलब्धता मानव में सामाजिक, आर्थिक विकास का अंग है। पशुधन विकास हेतु पशुओं के

नस्ल में सुधार, बीमारियों की रोकथाम, पौष्टिक आहार की व्यवस्था, उनके स्वस्थ रहने हेतु पशु चिकित्सालयों की स्थापना तथा पशु पालन प्रशिक्षण अत्यन्त जरूरी है। इलाहाबाद में 2000-01 में 86 पशु चिकित्सालय, 88 पशु विकास केन्द्र, 83 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, उपकेन्द्र, 32 भेड़ विकास केन्द्र स्थापित हैं। इन सबके माध्यम से जानवरों के स्वास्थ्य सेवा में विस्तार, रोगों के उपचार, अच्छे किस्म के पशुओं के प्रजनन की सुविधायें मिली हैं। पशुओं को स्वास्थ्यवर्धक चारा उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन की तकनीक विकसित की जा रही है। इलाहाबाद में विभिन्न वर्षो की पशु जनगणना के अनुसार पशुओं को सारणी संख्या 2:13 में इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

सारणी संख्या 2:13

इलाहाबाद में पशुधन का विवरण

क्र0सं0	मद	वर्ष			
		1988	1993	1993 (पुर्नगठित)	1997
1	कुल पशुधन	2081991	2289824	1630126	1564738
2	गो जातीय	885494	952016	721579	643097
3	महिषवंशीय	412905	459319	313419	389217
4.	भेड़	157414	186743	313419	140501
5.	बकरा, बकरी	311840	318379	132341	234647
6.	घोड़ा, टट्टू	8124	8704	207699	4599
7.	सुअर	126640	176059	6298	141133
8.	अन्य पशु	179571	188604	107883	11544
9.	मुर्गी, मुर्गा	174990	206917	140907	385412
10.	अन्य कुक्कुट	81590	118802	184723	70533
		256580	252070	10520	455945

स्रोत : (1) समाजार्थिक समीक्षा वर्ष 2000-01, अर्थ एवं सांख्यकीय प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, इलाहाबाद, उ0प्र0

सारणी संख्या 2·13 से प्रतीत होता है कि पशुधन में वृद्धि हुई है। सन् 1988 की तुलना में 1993 में गोजातीय पशुओं में गो जातीय पशुधन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माहिष वंशीय पशुधन में 25 66 प्रतिशत और 77 4 प्रतिशत सुअर पालन में वृद्धि हुई है।

दुग्ध व्यवसाय :

दुग्ध व्यवसाय एक राज्य की सम्मानित कार्यक्रम है। इसमें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और लोग दुग्ध का उत्पादन कर उचित मूल्य प्राप्त करते हैं। इलाहाबाद में 405, दुग्ध सहकारी समितियों और 18235 दुग्ध उत्पादन और अन्य केन्द्र के माध्यम से इलाहाबाद नगर के लगभग 25000 लीटर दूध की आपूर्ति प्रतिदिन होती है। दुग्ध विकास के लिए जनपद में दुग्ध इकाई की स्थापना की गयी है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में लगे लोगों को उचित मूल्य भुगतान का प्रोत्साहन मिलता है।

मत्स्य पालन :

मत्स्य पालन रोजगार की एक प्रमुख योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैले तालाबों का सदुपयोग कर उसमें मछली पालन का कार्य करके व्यक्तियों के जीवन स्तर को उँचा उठाता है। मत्स्य पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना का सफल कार्यान्वयन एवं प्रसार तथा रियायती दर पर ऋण देने की व्यवस्था, बीज वितरण में भी अनुदान दिया जाता है। मछुआरों की आकस्मिकता के लिए बीमा तकनीक विकसित राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना भी चालू है। इलाहाबाद में विभागीय 21 जलाशय है जो 579 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। मत्स्य विकास के लिए जनपद में 23 सहकारी समितियाँ भी कार्य कर रही हैं।

****

तृतीय अध्याय

❖ नगरीय अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक दशाएं

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समाजिक दशायें

नगर के आर्थिक विकास के साथ-साथ महिला श्रमिकों की संख्या मे वृद्धि हुई है। चूंकि महिलाये समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए शहरी विकास महिलाओं के बिना आपेक्षित विकास नही किया जा सकता है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अनुपात में अन्तर है, जबकि कार्य कर रही महिलाओं की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ महिलाओं का सामाजिक स्तर उसी अनुपात में बढ़ा है। इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का 7 प्रतिशत अर्थात 400 रोजगारत महिलाओं को नगर के 16 वार्डो से अध्ययन हेतु चयन किया गया है। जिनका समाजिक दशाओ का विवरण निम्नवत है-

पारिवारिक स्थिति :

परिवार की भूमिका समाजीकरण में बचपन तक ही प्रभावी नही होती है अपितु उसका प्रभाव किशोरावस्था एवं प्रौढ़ अवस्था तक देखा गया है। संरक्षको के व्यवहारों से किशोर एव युवा अपमानित होते हैं तथा हीन भावनाओं की भूमिका करने के लिये वाध्य होते है। यही कारण होता है कि ये आगे चलकर आक्रोशी बन जाते हैं, जिससे इनका विकास रूक जाता है। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, किन्तु उच्चशिक्षा और औद्योगीकरण के कारण आज संयुक्त परिवार को चुनौतियां मिल रही हैं। संयुक्त परिवार टूट रहा है और महिलायें रोजगार करना अधिक पसंद कर रही हैं। संयुक्त परिवार में रहना अपने को कष्ट्दायक समझती हैं। परिवार में देखा गया है कि रोजगाररत होने के कारण ये महिलायें परिवार के अन्य सदस्यों को मदद करती है।

महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर माना गया है। प्रारम्भ में घर की महिलायें वस्तु निर्माण,कृषि,बुनाई, सिलाई इत्यादि कार्य करती हैं, जिससे इन्हें कोई घर से पृथक वेतन नहीं मिलता है इन्हे आर्थिक कार्यो में सहयोग एवं क्रिया-कलापों को मान्यता

नही मिलती है। महिलाओं का मूल कर्तव्य घर एवं बच्चों की व्यवस्था था। आज माना गया है, किन्तु इन महिलाओं की भूमिका मार्ग दर्शक ही नही वरन् समस्त प्रमुख पारिवारिक विषयों पर उनके सुझाव विशेष रखता रहता है । परिवार में उनके बढ़ते हुये प्रभाव के कारण आत्म निर्भरता, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज में इनकी स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि परिवार का स्वरूप आज भी पुरूष प्रधान है फिर भी इन्हे परिवार में सम्मान जनक स्थिति है। जिसे सारणी संख्या 3 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–3:1

परिवार में महिलाओं को प्राप्त सम्मान

क्रम सं0	सम्मान की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	काफी सम्मान	9	2.25
2	सामान्य	100	25.00
3	समान्य सम्मान	241	60.25
4	कोई सम्मान नही	50	12 50
योग		400	100.00

सारणी संख्या 3:1 से स्पष्ट होता है कि अनौपचारिक्ताओं मे रोजगाररत महिलाओं को सबसे अधिक 60.25 प्रतिशत सामान्य सम्मान की स्थिति परिवार से मिलती है। 25.00 प्रतिशत महिलाओं को सम्मान मिलता होता है इस प्रकार 82.25% 50लोगो को काफी सम्मान मिलता हुआ है। लेकिन 12.50 प्रतिशत महिलाओं को आज भी परिवार से सम्मान नही मिलता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में घर से बाहर कार्य करने के अतिरिक्त इन महिलाओं का परिवार में क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके विषय में रोजगाररत महिलाओं ने बताया है जिसे संख्या 3:2 में दर्शाया गया है–

सारणी संख्या 3:2

परिवार में महिलाओं का उत्तरदायित्व

क्रम सं0	परिवार में उत्तरदायित्व	संख्या	प्रतिशत
1	बच्चों का पालन पोषण	302	75.50
2	भोजन बनाना	275	68.75
3	कपड़ा धोना	281	70.25
4	घर की सफाई	300	75.00
5	पति एवं अन्य सेवा	40	10.00

सारणी संख्या 3:2 से प्रतीत हेाता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का अपने कार्य के अलावा उनका घर में बच्चों का पालन पोषण के प्रति वरियता प्रथम कोटि का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार का उत्तरदायित्व 75.50 प्रतिशत महिलायें निभा रही है। दूसरे वरियाता कोटि में घर की सामाग्री का उत्तरदायित्व है जिसका 75.00 प्रतिशत है। तीसरे वरियता कोटि में कपड़ा धोना है जिसका प्रतिशत 70.25 है चतुर्थ कोटि में भोजन बनाना है जिसका प्रतिशत 68.75 है । सबसे निम्न कोटि का उत्तरदायित्व 10 प्रतिशत महिलाओं के पति एवं अन्य लोगों की सेवा करना है।

महिलाओं की जनसंख्या :

नगर में एक निश्चित समय पर जनसंख्या का वह आकार जो समस्त साधनों के पूर्ण उपयोग एवं अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए उचित मात्रा में श्रमशक्ति (जनसंख्या) की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति के कारण भौतिक साधनों का प्रयोग करता है। नये प्रयत्नों तथा नयी खोजों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को संवारता है और आर्थिक विकास का रास्ता निकालता है। जनसंख्या जिस स्थान में अधिक है उस स्थान में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, निम्न आय, निम्न विनियोग का स्तर, और निम्न जीवन स्तर आदि समस्या उत्पन्न होती है जिससे आर्थिक विकास में बाधा

आती है। प्रो0 करवर (Curver) का कथन उचित लगता है। "धनी वातावरण के बीच भी समुदाय और राष्ट्र निर्धन है अथवा मिट्टी की उर्वरता अथवा प्रचुर प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी पतन तथा गरीबी की ओर चले गये हैं केवल इस लिए की यहाॅ मानवीय तत्व निम्न कोटि का रहा है, अथवा उसके बिगड़ जाने, नष्ट हो जाने के लिए छोड़ दिया जाता है।"[1]

उत्पादन एवं उपभोग के विभिन्नता के आधार पर आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। आर्थिक विकास में जनसंख्या की भूमिका को जानने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या क्या है वृद्धि के कारण कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार व चयनित महिलाओं की जनसंख्या का विवरण निम्नवत है जिसे सारणी संख्या में 3:3मे स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 3:3

चयनित परिवारों की जनसंख्या का विवरण

कम संख्या	समूह	जनसंख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	432	19.49
2	महिलाये	512	23.11
3.	बच्चे	1272	57.40
	कुल	2216	100 00

सारणी संख्या 3:3 से प्रतीत होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में चयनित महिलाओं के परिवार की संख्या 22x16 है जिसमें 19 49 प्रतिशत पुरुष, 23.11 प्रतिशत महिलायें 57.40 प्रतिशत बच्चे हैं। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण इन महिलाओं के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अधिक है।

चयनित महिलाओं के व्यवसाय समूह के अनुसार उनके परिवार की जनसंख्या इस प्रकार है :-

---

[1] एस0जी0 दुबे एवं श्री आर0पी0 मिश्र (1972) जनाकिंकी एव जनसख्या अध्ययन, साहित्य भवन, आगरा।

महिलाओं के व्यवसाय समूह के आधार पर जनसंख्या
बच्चे
महिला
पुरुष
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
जनसंख्या
पशुपालन एव मुर्गीपालन
नौकरी
सामग्री निर्माण
मजदूर
फुटकर व्यापार
योग
व्यवसाय समूह

चित्र संख्या 12

सारणी सख्या 3·4

महिलाओ के व्यवसाय समूह के आधार पर जनसंख्या

क्र0स0	व्यवसाय समूह	बच्चे	महिला	पुरुष	योग
1-	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	188 (8.48)	88 (3 97)	76 (3.43)	352 (15 88)
2-	नौकरी	140 (6.32)	80 (3.61)	64 (2.89)	284 (12.82)
3-	सामग्री निर्माण	172 (7.76)	92 (4 15)	68 (3.07)	332 (14 98)
4-	मजदूर	440 (19 86)	148 (6.68)	124 (5.59)	712 (32.13)
5-	फुटकर व्यापार	332 (14 98)	104 (4 70)	100 (4 51)	536 (24 19)
	योग	1272 (57.40)	512 (23.11)	432 (19.49)	2216 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:4 से प्रतीत होता है कि व्यवसाय समूह के आधार पर रोजगार रत महिलाओं में अन्तर देखने को मिलता है। कुल जनसंख्या परिवार की जनसंख्या का 15.88 प्रतिशत, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के समूह में कार्यरत महिलाओं की है। जिसमें 8.48 प्रतिशत बच्चे 3.47 पुरुष, 3.97 महिलायें हैं। 12 82 प्रतिशत नौकरी करने वाली समूह की महिलाओं की जनसंख्या है। जिसमें 6.32 प्रतिशत बच्चे 3.61 महिलायें 2.89 प्रतिशत पुरुषों की संख्या है। सामग्री निर्माण में रोजगार रत महिलाओं की जनसंख्या 14.98 प्रतिशत है जिसमें 7.76 बच्चे 4.15 महिला, 3.07 पुरुष हैं, मजदूर व्यवसाय समूह में कार्यरत महिलाओं के परिवार की संख्या 32.13 प्रतिशत है जिसमें 19.86 बच्चे 6.68 प्रतिशत महिलायें 5.59

रोजगाररत महिलाओ की आयु का विवरण

प्रतिशत पुरुष हैं। फुटकर व्यापार समूह में रोजगाररत महिलाओं की परिवार की संख्या 24 19 प्रतिशत है जिसमें 14.98 बच्चे, 4.70 महिलायें, 4.51 पुरुष हैं।

रोजगाररत महिलाओं की आयु का विवरण :

चयनित रोजगाररत महिलाओं के आयु का अध्ययन भी किया गया है यह अध्ययन रोजगाररत महिलाओं के कार्य व्यवसाय समूह के आधार पर आयु का विवरण तैयार किया गया है। आयु का वर्ग सबसे प्रथम क्रम के काम करने वाली महिलाओं को जिसकी आयु 20 वर्ष से कम थी उन्हें रखा, द्वितीय क्रम में 28 वर्ष से अधिक 30 वर्ष तक, तृतीय में 30 से अधिक से 40 वर्ष तक किया है। चतुर्थ में 48 से अधिक 60 वर्ष तक, और अन्त में 60 वर्ष से अधिक आयु काम करने वाली महिलाओं का समूह दर्शाया है जो निम्न सारणी से स्पष्ट है :-

सारणी संख्या 3:5

रोजगाररत महिलाओं की आयु का विवरण

क्र0सं0	व्यवसाय समूह	आयु का वर्ग				
		20 वर्ष से कम उम्र	20 वर्ष से 30 वर्ष	30 वर्ष से 40 वर्ष	40 वर्ष से 60 वर्ष	60 वर्ष से अधिक
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	12 (8 96)	20 (17.24)	24 (25 00)	8 (18 18)	4 (40 00)
2	नौकरी	12 (8 96)	20 (17.24)	12 (12 50)	10 (22 73)	2 (20 00)
3	सामग्री निर्माण	28 (20 89)	16 (13.79)	14 (14 58)	10 (22.73)	4 (40 00)
4	मजदूर	50 (37 31)	36 (31.04)	32 (33 34)	6 (13.63)	(-)
5	फुटकर विक्रेता	32 (23 88)	24 (20 69)	14 (14 58)	10 (22 73)	(-)
	योग	134 (100 00)	116 (100.00)	96 (100.00)	44 (100.00)	10 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

प्रतीत होता है कि 20 वर्ष से कम उम्र में काम करने वाली कुल महिलाओं में से पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह में 8.96 प्रतिशत महिलाये काम करती है।

नौकरी व्यवस्था समूह में भी काम करने वाली 8 96 प्रतिशत महिलाये है। समाग्री निर्माण व्यवस्था समूह 20.89 प्रतिशत महिलाये कार्य करती है। मजदूर व्यवस्था समूह में 37.61 प्रतिशत और फुटकर व्यापार समूह में 23.88 प्रतिशत महिलाये इस आयु समूह में कार्य करती है।

20 से अधिक 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के समूह मे पशुपालन मुर्गी पालन कार्य करने वाली व्यवसाय समूह में महिलाये 17.24 प्रतिशत है। नौकरी व्यवस्था समूह में कार्य करने वाली 17.24 प्रतिशत महिलाये है। सामाग्री निर्माण समूह में 13.79 प्रतिशत है। मजदूर व्यवस्था समूह में कार्य करने वाली 31 04 प्रतिशत महिलाये है। फुटकर व्यवस्था समूह में 20.69 प्रतिशत महिलाये इस आयु वर्ग में कार्य कर रही है।

30 वर्ष से अधिक 40 वर्ष के आयु वर्ग के समूह में पशुपालन मुर्गी पालन कार्य करने वाली व्यवस्था समूह मे 25 00 प्रतिशत महिलाये है। नौकरी व्यवस्था समूह में 12.50 प्रतिशत महिलाये है। समाग्री निर्माण व्यवस्था समूह में 14.58 प्रतिशत महिलाये है। मजदूर व्यवस्था समूह में कार्य करने वाली 33.34 प्रतिशत महिलाये है। फुटकर व्यवस्था समूह मे कार्य करने वाली महिलाये 14 58 प्रतिशत 40 से अधक 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के समूह मे पशुपालन एवं मुर्गी पालन कार्य करने वाली व्यवस्था समूह में महिलाये 18-18 प्रतिशत है। नौकरी व्यवसाय समूह में कार्य करने वाली 22 73 प्रतिशत है। समाग्री निर्माण समूह में कार्य करने वाली 13 63 प्रतिशत महिलाये है। फुट्कर व्यवसाय समूह मे 22 73 प्रतिशत महिलाये इस आयु वर्ग मे कार्य कर रही है।

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग समूह मे पशुपालन एवं मुर्गी पालन कार्य करने वाली समूह मे 40 10 प्रतिशत महिलाये है। नौकरी व्यवसाय समूह के इस आयु वर्ग की 20 प्रतिशत महिलाये कार्य करती है। समाग्री निर्माण व्यवसाय समूह मे 10 प्रतिशत महिलाये कार्य कर रही है। मजदूर एवं फुट्कर व्यवसाय समूह में इस वर्ग की कोइ महिलाये कार्य नही करती है।

सारणी संख्या 3:5 से स्पष्ट है कि रोजगाररत 400 महिलाओं में 33 50 प्रतिशत रोजगाररत महिलायें 20 वर्ष तक आयु वर्ग की हैं। 28 से 30 वर्ष तक आयु को महिलायें 29 00 प्रतिशत हैं, 30 से अधिक 40 वर्ष तक आयु वर्ग की 24 प्रतिशत महिलायें हैं। 40 से अधिक 60 वर्ष तक आयु वर्ग की महिलायें 11 प्रतिशत और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलायें 2 5 प्रतिशत हैं।

महिलाओं की धार्मिक स्थिति :

धर्म–जाति, प्राकृतिक प्राणियों शक्तियों, स्थानों तथा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों एवं रीतियों की एक सुसंगत प्रणाली है। धर्म विधि तथा राजतंत्र जैसी संस्था नहीं है जो कि शक्तियों का निर्धारण एवं प्रतिबन्ध करे और न इन परिवार संस्था की ही तरह है जो कि आचरण के लिए सहायता प्रदान करे। धर्म एक ऐसी संस्था है जो सापेक्षया दुःखत एवं अपारदर्शक है। तथा सत्ता से परे है। ये परलोक से सम्बन्धित है। धर्म संस्था मानव की परिस्थितिय़ों से सम्बन्धित होती है इसलिए इसका व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म मानव आकांक्षाओं का प्रतिभूत रूप में तो नैतिकता के रूप में जनादेश के उद्गम स्थल एवं व्यक्ति की आन्तरिक शान्ति तथा मानव जाति की संस्कृति के रूप में प्रकट होती है।

धर्म अन्य संस्थाओं जैसे परिवार, राज के आर्थिक, संस्थाओं को प्रभावित करता हैं। मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही अवसर प्राप्त करता है तथा भूमिका का सम्पादन करता है। मैक्स वेवर ने कहा है कि धर्म और अवधारणाओं की समस्या से सम्बन्धित है।[1]मानव मात्र सांवेगिक समायोजन ही नहीं चाहता है वरन् बौद्धिक आश्वासन भी चाहता है, विशेषकर जब वह दुःख एवं मृत्यु की समस्याओं का सामना करता है। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में व्यक्ति अपेक्षित तथा वास्तविक घटनाओं की वमैदता को जानना चाहता है। वह अन्याय, दुख एवं मृत्यु को समझना चाहता है। धर्म ही इन प्रश्नों का उत्तर देता है तथा सत्यता

---

[1] वानसन हेरी एम0 – समाजशास्त्र : एक विधिवत विवेचन अनु0 योगेश अटल कल्याणी, पब्लिशर्स लुधियाना, दिल्ली, 1970 पृ0388, 392.

तक पहुँचने के लिए मार्ग संकेत करता है। अतएव सभी समाजों तथा संस्कृतियों में धर्म की महत्ता स्पष्ट है।[1]

अनेक विद्वानों ने कहा है कि धर्म व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित है। इसलिए समाज व्यवस्था धर्म संस्था से अत्यधिक प्रभावित एवं संचालित है। धर्मो के आधार पर व्यक्तियों का व्यवहार एवं सक्रियता विकसित होती है। धर्म समाज की परम्परा रही है धर्म से नैतिकता, मानवता, त्याग, अहिंसा, प्रेम, दया, सत्य एवं भाईचारे का संदेश मिलता है। ये मान लिया जाता ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं करता है के निश्चित रूप से उपरोक्त सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करता होगा। धर्म में विद्यमान कुप्रभावों एवं दोषों के बावजूद भी दायित्तयों ने धर्म में विद्यमान नैतिकता को स्वीकार किया है। अधिकांश उत्तरदातियों ने धर्म की नैतिकता को एकमात्र आधार नहीं मानती हैं। उनके अनुसार नास्तिक व्यक्ति उच्च नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो सकता है उत्तरदातियों के परिवारों की धार्मिक दृष्टिकोण, तथा धर्म का विवरण परम्पराओं के समर्थन की स्थिति को क्रमश. सारणी संख्या 3:6, 3:7, 3:8 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 3:6

परिवार के सदस्यों की धार्मिक प्रवृत्ति

क्र0सं0	धार्मिक प्रवृत्ति	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	319	79.75
2.	नहीं	81	20.25
योग		400	100.00

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि 400 महिलाओं के परिवार में 79 75 प्रतिशत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। 20.25 प्रतिशत महिलायें धार्मिक प्रकृति पर विश्वास नही करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति के कारण ही धार्मिक परम्परा को तोड़ने में महिलायें व्याकुल नहीं होती हैं और यथा स्थिति का ही पोषण करती हैं।

---

[1] त्रिपाठी श्वेता - भारतीय नव संविधान लागू होने के पश्चात् भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति समाज विकास सकाय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, 1992

सारणी संख्या 3:7

धार्मिक दृष्टिकोण का स्वरूप:-

क्र0सं0	दृष्टिकोण	संख्या	प्रतिशत
1.	अन्धभक्ति/ अधिक कट्टरता	212	53 00
2.	सहिष्णुता	88	22.00
3	अप्रयोज्य	100	25 00
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के परिवार में धर्म के प्रति अधिक कट्टरता पायी गयी है जिसका 53 00 ~~जिसका~~ है। 22 00 प्रतिशत महिलाओ के परिवार का धर्म के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। 25.00 प्रतिशत महिलाओ के परिवार का दृष्टिकोण अप्रयोज्य है।

आयु विवाहों की संख्या, वैवाहिक व्यवहार, सन्तानों की संख्या इत्यादि तत्वों के निर्धारण करने में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत चयनित महिलाओं में मुख्यत. हिन्दू धर्म को मानने वाली 84 5 प्रतिशत, मुसलमान धर्म को मानने वाले 12.25 प्रतिशत और सिक्ख के धर्म को मानने वाली 1.5 प्रतिशत और ईसाई धर्म को मानने वाली 1. 75 प्रतिशत महिलायें हैं। जिसे सारणी संख्या 3:8 में निम्नवत दर्शाया गया है।

सारणी सख्या 3:8

रोजगाररत महिलाओं के धर्म का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	धर्म				
		हिन्दू	मुसलमान	सिख	ईसाई	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	60	8	-	-	68
2.	नौकरी	50	3	-	2	56
3.	सामग्री निर्माण	48	24	-	-	72
4.	मजदूर	110	8	2	4	124
5.	फुटकर व्यापार	70	6	3	1	80
	योग	338 (84.5)	49 (12.25)	6 (1.5)	7 (1.75)	400 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

महिलाओं के जाति
पशुपालन एव मुर्गीपालन
नौकरी
सामग्री निर्माण
मजदूर
फुटकर विक्रेता
70
60
50
40
30
20
10
0
संख्या
सामान्य
पिछड़ी
अनु0जाति/अनु0 जनजाति
जाति

चित्र सख्या 14

सारणी संख्या 3:8 से प्रतीत होता है कि हिन्दू धर्म को मानने वाले ज्यादा महिलायें हैं जिसका 84.5 प्रतिशत है। और इसके बाद मुसलमान धर्म को मानने वाली इसके महिलाये दे जिनका 12.25 प्रतिशत है। बाद क्रमशः इसाई और सिक्ख धर्म को मानने वाली कार्यरत महिलायें हैं जिसका प्रतिशत क्रमशः 1.5 और 1.75 है।

जाति के अनुसार जनसंख्या का विवरण :

रोजगाररत महिलाओं का सामाजिक विश्लेषण करने में महिलाओं के जाति का अध्ययन करना आवश्यक है। अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकांश पिछड़ी एवं अनुसूचित जनजाति की महिलायें कार्य करती हैं। रोजगाररत महिलाओं की जाति का विवरण निम्न सारणी संख्या 3:9 में दर्शाया गया है।

सारणी सख्या 3:9

महिलाओ के जाति का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	जाति (सख्या)			योग
		सामान्य	पिछडी	अनु0जाति/अनु0 जनजाति	
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	8 (11.76)	44 (25.58)	16 (10.00)	68 (17 00)
2.	नौकरी	16 (23.53)	24 (13.95)	16 (10 00)	56 (14.00)
3.	सामग्री निर्माण	12 (17.65)	20 (11.63)	40 (25.00)	72 (18.00)
4.	मजदूर	8 (11.76)	56 (32.56)	60 (37.50)	124 (31.00)
5.	फुटकर विक्रेता	24 (35.30)	28 (16.28)	28 (17.50)	80 (20.00)
	योग	68 (100.00) (17.00)	172 (100.00) (43.00)	160 (100.00) (40.00)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सामान्य जाति की कुल महिलायो में पशुपालन एवं मुर्गी पालन व्यवसाय समूह मे 11.76 प्रतिशत नौकरी व्यवसाय समूह में 23.53 प्रतिशत, सामाग्री निर्मा व्यवसाय समूह में 17.65 प्रतिशत, मजदूर व्यवसाय समूह में 11.76 प्रतिशत और फुटकर विक्रेता व्यवसाय समूह में 35. 30 प्रतिशत महिलाये है।

सारणी संख्या 3:9 से स्पष्ट है कि रोजगाररत महिलाओं में अनौपचारिक क्षेत्र में पिछड़ी जाति की महिलायें सबसे ज्यादा कार्य कर रही हैं क्योंकि इनका 43.0 है। 40 00 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलायें कार्य कर रही हैं और सामान्य जाति की केवल 17.00 प्रतिशत महिलायें ही अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

महिलाओं का वैवाहिक विवरण :

महिलाओं के समाजीकरण में या कहें कि सामाजिक जीवन में विवाह की भूमिका आवश्यक है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न मूल्यों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की क्षमता विकसित होती अपितु जीवन कार्य को सन्तुष्ट करते हुए पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए सक्षम बनाता है। हमारे हिन्दू संस्कार में विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया है। विभिन्न समाजशास्त्रीयों ने विवाह को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया है :-

1. विवाह एक संस्था स्यमं स्थायी सम्बन्ध है जिसमें एक पुरुष और एक महिला समाज में अपनी प्रतिष्ठा की हानि के बिना सन्तान उत्पन्न करने के लिए समाजिक स्वीकृत पाते हैं।[1]किन्तु हम उपरोक्त परिभाषा के अनुसार नहीं है।
2 महिला से ये अपेक्षा की जाती है कि वे केवल अपने पुरुष के साथ संभोग करे, किन्तु पुरुष जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त संभोग करता है उसके लिए उसे छिपाना जरूरी नहीं है। संस्कार या विधि सम्यक पुराण एवं महिला का वह संगठन या एका होना जिसमें की काम तृप्ति की सुरक्षा, अन्तरित विकास का अवसर तथा संस्कृति का विस्तार करता है।
3. पूर्व निर्धारित नियत से दो विपरीत लिंगियों का मिलन विवाह है जिसका उद्देश्य परिवार विकास का कार्य सुख प्रदान करना है।

---

[1] वानसन हेरी एम : एक विधिवत विवेचन, अनु0 योगेश अटल कल्याणी, पब्लिशर्स लुधियाना दिल्ली 1970, पृ0145.

उपरोक्त अवधारणाओं से स्पष्ट है कि कोई भी समाज विवाह को अनियमित नहीं रहने दे सकता है। क्योकि बच्चों के पालन-पोषण और सदैव ऐसे सम्मान सम्मिलित होते हैं जो ये बताते हैं कि किन व्यक्तियों के साथ किन परिस्थितियों में और किस प्रकार विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। एक बार विवाह हो जाने पर उनसे ये अपेक्षायें होगी और यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्ध किन परिस्थितियों में तोड़ा जा सकता है। विवाह परिवार द्वारा समायोजित होते हैं और एक विवाह सजातीय तथा सगोत्र निर्णय पर आधारित होते हैं अधिकांश जातियों में विवाह आवश्यक है। लड़के-लड़कियों की अपेक्षायें गौण रहती है। विवाह सम्बन्धी मानसिक तैयारी नहीं पायी जाती है और न ही वर कन्या काम शिक्षा से परिचित होते हैं। विवाह 18 वर्ष के आस-पास होता है जिससे उनमें कोई परिपक्वता नहीं रहती है विवाह किसी भी प्रकार का हो या किसी भी संस्कृति से प्रभावित हो, किन्तु सभी विवाहों से यही अपेक्षा की जाती है कि विवाह के दोनों घटक पुरुष एवं स्त्री सुखी हों, समायोजक तथा वेद उद्देश्य अभिमुख हो।[1] विवाह के उद्देश्यों की बात है वह सभी में समान रूप से पाये जाते हैं। जैसे :-

(1) काम जीवन की तुष्टि
(2) संन्तानोत्पत्ति
(3) संस्कृति विस्तार की प्राप्ति

उपरोक्त उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि स्त्री एवं पुरुष शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों। यदि ऐसा नहीं होता है तो विवाह व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक नहीं होगा। और दूसरी ओर स्वस्थ दम्पत्तियों को भी विवाह के दोष प्रभावित करते हैं इसमें व्यक्ति की मनःस्थिति खराब हो जाती है। श्री केनिथ वाकर ने कहा है कि सफल विवाह के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में पति-पत्नी में समन्वय का होना आवश्यक है :-

(1) बौद्धिक
(2) संवेगिक
(3) काम

---

[1] त्रिपाठी श्वेता, भारतीय नव सविधान लागू होने के पश्चात भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज विकास संकाय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, 1992.

अर्थात पुरुष-महिला दोनों में रुचियों तथा बौद्धिकता के क्षेत्र में काफी समानता होनी चाहिए और वे एक दूसरे से सांवेगिक लगाव रखे तथा काम जीवन में भी सन्तुष्ट हो। अनौपचारिक साक्षात्कार के दौरान उत्तरदायित्वों में वैवाहिक जीवन के प्रति सन्तोष व्यक्त किया किन्तु अनेक ने यह बात कही है कि विवाह के आरम्भ में उन्हें जीवन साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता से वंचित रखा जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही चयनित महिलाओं का विवाह परिवार द्वारा निश्चित एवं नियोजित किया जाता है। और महिलाओं ने बताया है कि हमारे यहाँ बाल विवाह अभी भी होता है जिसका कारण धार्मिक मान्यता है किन्तु महिलाओं का विश्वास है कि लड़की की शादी रजोदर्शन के बाद ही हो जानी चाहिए। विवाह के बाद हिन्दू जाति में गौना की भी प्रथा है। इसके बाद ही पति-पत्नी का मिलन होता है। बाल विवाह में शादी एवं गौना की अवधि में लड़की माता के घर में रहती है। जब लड़के लड़की वयस्क होते हैं तब विवाह के साथ ही गौना हो जाता है ये प्रथा शिक्षित लोगों में अधिक है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं का वैवाहिक विवरण इस प्रकार है।

सारणी संख्या 3:10

रोजगाररत महिलाओं का वैवाहिक विवरण

क्र0सं0	व्यवसाय समूह	संख्या		योग
		अविवाहित	विवाहित	
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	2 (0.50)	66 (16.50)	68 (17.00)
2.	नौकरी	36 (9.00)	20 (5.00)	56 (14.00)
3.	सामग्री निर्माण	20 (5.00)	52 (13.00)	72 (18.00)
4.	मजदूर	24 (6.00)	100 (25.00)	124 (31.00)
5.	फुटकर विक्रेता	16 (4.00)	64 (16.00)	80 (20.00)
	कुल	98 (24.50)	302 (75.50)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:10 से प्रतीत होता है कि कार्यरत महिलाओं में 75 50 प्रतिशत महिलायें विवाहित हैं और 24 50 प्रतिशत महिलायें अविवाहित हैं। व्यवसाय समूह के आधार पर विवाहित महिलाओं में 16.50 प्रतिशत, पशुपालन एवं मुर्गीपालन, 5 00 प्रतिशत, 13.00 प्रतिशत सामग्री निर्माण, 25.00 प्रतिशत मजदूर और 16.00 प्रतिशत फुटकर विक्रेता समूह में कार्यरत हैं। अविवाहित महिलाओं में 0.50 प्रतिशत पशुपालन एवं मुर्गी पालन, 9.00 प्रतिशत नौकरी, 5 00 प्रतिशत सामग्री निर्माण, 6.00 प्रतिशत मजदूर और 4.00 प्रतिशत फुटकर व्यापार में महिलायें हैं।

विवाहित महिलाओं ने अपने विवाह की आयु के सन्दर्भ में बताया है जिसका विवरण सारणी संख्या 3:11 मे है।

सारणी संख्या 3:11

रोजगार महिलाओ के लिए विवाह आयु का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	18 वर्ष के पूर्व	18 वर्ष से 25 वर्ष	25 से 35 वर्ष	35 से अधिक	योग
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	5	35	22	4	66
2.	नौकरी	1	12	7	-	20
3.	सामग्री निर्माण	6	27	18	1	52
4.	मजदूर	50	40	10	-	100
5.	फुटकर व्यापार	19	40	4	1	64
	योग	81 (26.82)	154 (50.99)	61 (20.20)	6 (1.99)	302 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:11 से प्रतीत होता है कि विवाहित महिलाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष के पूर्व 26.82 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हो गया था। 18 से 25 वर्ष तक की आयु में 50.99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ था। 25 से 35

वर्ष तक की आयु की 20.20 प्रतिशत महिलाओं का और 35 वर्ष के अधिक आयु में 1 99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ था।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं में लड़के-लड़कियों के पसंद की अथवा उनकी इच्छा से विवाह नहीं होता। सर्वाधिक विवाह पुरुष ही तय करता है चाहे वे माता-पिता हो या घर का मुखिया पुरुष की इच्छा से इस सम्बन्ध में चयनित महिलाओं ने परिवार में विवाह स्वरूप को बताया जिसे सारणी संख्या 3:12 मे दर्शाया गया है।

सारणी सख्या 3:12

चयनित महिलाओं के अनुसार विवाह स्वरूप

क्र0सं0	विवाह स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	माता-पिता की इच्छा से	100	25 00
2.	घर के मुखिया, की इच्छा से	278	69 50
3.	प्रेम विवाह	19	2.25
4.	अन्य	13	3.25
	योग	400	100.00

सारणी संख्या 3:12 से प्रतीत होता है कि सर्वाधिक विवाह घर के मुखिया की इच्छा के अनुसार सम्पन्न होत है क्योंकि इनका प्रतिशत 69.50 है। इसके बाद 25.00 प्रतिशत विवाह माता-पिता की राय से सम्पन्न होते हैं और 2.25 प्रतिशत प्रेम विवाह और 3.25 प्रतिशत अन्य लोगों की राय से विवाह सम्पन्न होते हैं।

सारणी संख्या 3:13

परिवार में विवाह की मानसिक तैयारी

क्र0सं0	परिवार में विवाह की मानसिक तैयारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	80	20.00
2.	नहीं	320	80.00
	योग	400	100.00

महिलाओं का वर्तमान वैवाहिक स्वरूप

वैवाहिक स्वरूप

सारणी संख्या 3:13 से स्पष्ट है कि महिलाओं के विवाह की मानसिक तैयारी के बारे में पूछा गया तो 20.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनका विवाह होते समय परिवारों में विवाह सम्बन्ध मानसिक सुविधा थी और मानसिक और 80 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में विवाह सम्बन्ध कोई मानसिक सुविधा नही है। जबकि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लड़कियो को मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। जिसे सारणी संख्या 3:13 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 3:14

चयनित रोजगाररत महिलाओं का वर्तमान वैवाहिक स्वरूप

क्र0सं0	पति के साथ	विधवा	परित्याग	अलग निवास	योग
1 पशुपालन एवं मुर्गीपालन	58 (19.21)	4 (1 33)	2 (0 66)	2 (0 66)	66 (21.86)
2 नौकरी	16 (5.30)	2 (0 66)	2 (0.66)	-	20 (6 62)
3 सामग्री निर्माण	50 (16 56)	2 (0 66)	-	-	52 (17 22)
4 मजदूर	88 (29 14)	4 (1 33)	4 (1 33)	4 (1.33)	100 (33 11)
5. फुटकर विक्रेता	56 (18 53)	4 (1 32)	2 (0 66)	2 (0 66)	64 (21 19)
योग	268 (88 74)	16 (5.30)	10 (3 31)	8 (2.65)	302 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अकित है)

सारणी संख्या 3:14 से प्रतीत होता है कि विवाह हो जाने के बाद रोजगाररत महिलाओं की वर्तमान समय मे वैवाहिक दशा इस प्रकार थी। जिसे सारणी संख्या 3:14 दिखाया गया है। विवाहित 302 महिलाओं में पति के साथ 88.74 प्रतिशत महिलायें रह रही हैं। 5.30 प्रतिशत महिलायें विधवा हो चुकी हैं। 3.31 प्रतिशत महिलायें अपने पति को छोड़ चुकी हैं अर्थात् पति-पत्नी के कोई सम्बन्ध नहीं है 2. 65 प्रतिशत महिलायें अलग से रहती हैं किन्तु अपने पति को कानूनी रूप से

परित्याग नहीं की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक महिलायें अपने पति के साथ निवास कर सामाजिक स्तर अच्छा बना रही हैं।

शिक्षा :

मनुष्य पैदा होने से ही शिक्षा प्रारम्भ करता है और मृत्यु तक शिक्षा ग्रहण करता रहता है जब बालक परिवार से बाहर खेलने और पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता तब तक समान और विशेष में अन्तर करने में असमर्थ होता है। स्कूल से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है जिनके आधार पर वह छात्रों के साथ व्यवहार करता है चाहे वो किसी भी परिवार से आया हो। किशोरावस्था के पूर्व व्यक्ति में सभी भूमिकायें पैदा होती हैं और उनका स्थान कार्य उपलब्ध गुणों के आधार पर दिया जाता है।[1]इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा इस प्रकार से व्यक्ति के गुणों पर बल देता है। और बालक अपनी संस्कृति मान्यताओं के अनुरूप गुणों से तदात्म्य स्थापित करता है। साहित्यकारों ने भी इस अवस्था को स्वीकारते ही कहा हुए कि बच्चा ही व्यक्ति का पिता होता है। (द चाइल्ड इज दि फादर ऑफ मैन)।

बालक के गुणों के विकास मे दी जाने वाली शिक्षा के उद्देश्य, उसके कार्यक्रमों, विद्यालय की भौतिक स्थिति, अध्यापक, शिक्षा एवं परीक्षा पद्धति, प्रशासन तथा राजनैतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती हैं। शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार किया जाय तो कई उद्देश्य दिखायी पड़ते हैं। सभी उद्देश्यों का एक समान उद्देश्य हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना।

प्रारम्भिक या प्राइमरी स्कूल बच्चों को सामुदायिक जीवन यापन के लिए तैयार करता है और इसके योग्य में सहायता प्रदान करती है। आज के वैज्ञानिक युग में ही व्यक्ति के समाजीकरण मे विद्यालय की सर्वाधिक भूमिका होती है। विद्यालय में विद्यार्थियों का व्यवहार संयमित तथा विकसित होता है। उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय का उद्देश्य वैचारिक, उत्पादक, वैज्ञानिक, चिकित्सा तथा ऐसे समाज सुधारकों का निर्माण करना है और प्रशिक्षण लोगों के कार्य में निपुणता की ट्रेनिंग देता है कि वे जिससे देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप समाज को सबल बनाने में समर्थ हो सके।

डॉ0 जगदीश सहाय : समाज दर्शन की भूमिका, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी 1970.

शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास द्वारा उसे आदर्श स्वरूप नागरिक बनाती है। वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में महिलाओं का उचित मानसिक विकास नहीं हो सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं के 60.00 प्रतिशत उत्तरदातियों का विचार था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से असन्तुष्ट हैं। 33.50 प्रतिशत अशिक्षित महिलाओं ने प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असक्षम बताया। और 6.5 प्रतिशत उत्तरदातियों ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक मानती हैं। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नही है अपितु तकनीक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव है। शिक्षा समाजिक जागरूकता एवं विचारों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक है।

समाज में आज भी शिक्षित लोगों को सम्मान मिलता है। इलाहाबाद नगर तो शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है। इसलिए यहाँ पर महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता रही है। चयनित महिलाओं के शैक्षिक स्थिति को निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 3:15

रोजगाररत महिलाओं की शाक्षरता

क्र0सं0	व्यवसाय का समूह	शैक्षिक स्थिति				योग	
		शाक्षर		निरक्षर			
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	44	64.71	24	35.29	68	100 00
2.	नौकरी	32	57.14	24	42.86	56	100 00
3.	सामग्री निर्माण	60	83 33	12	16 67	72	100 00
4	मजदूर	50	40.32	74	59.68	124	100.00
5.	फुटकर विकेता	80	100.00	–	–	80	100 00
	योग	266	66.50	134	33 50	400	100 00

सारणी संख्या 3:15 से स्पष्ट होता है कि 66.50 प्रतिशत महिलायें शिक्षित और 33.50 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। पशुपालन एवं मुर्गी पालन व्यवसाय के समूह में 64.71 प्रतिशत महिलायें शिक्षित हैं। और 35.29 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। नौकरी व्यवसाय समूह में 57.14 प्रतिशत शिक्षित हैं और 42.86

प्रतिशत महिलायें अशिक्षित हैं। सामग्री व्यवसाय समूह में 83 33 प्रतिशत शिक्षित और 16 67 अशिक्षित हैं। मजदूर व्यवसाय समूह में 40.32 प्रतिशत महिलायें शिक्षित और 59.68 प्रतिशत अशिक्षित हैं। फुटकर व्यवसाय समूह में 100.00 प्रतिशत महिलायें शिक्षित हैं अशिक्षित महिलायें कोई नहीं है। पाँचों व्यवसाय समूह में सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाये फुटकर व्यवसाय समूह की हैं और सबसे ज्यादा अशिक्षित महिलाये मजदूर व्यवसाय समूह की हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत शिक्षित महिलाओं का शैक्षिक स्तर प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक है। जिसे निम्न सारणी संख्या 3:16 से स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 3:16

रोजगाररत महिलाओं का शैक्षिक विवरण

(सख्या)

क्र0सं0	व्यवसाय का समूह	शैक्षिक विवरण				योग
		प्राइमरी	सेकेण्डरी	उच्च	तकनीकी	
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	36 (81.82)	8 (18.18)	-	-	44 (100 00)
2	नौकरी	10 (31.25)	2 (6.25)	16 (50.0)	4 (12.50)	32 (100 00)
3.	सामग्री निर्माण	50 (83.33)	6 (10.00)	-	4 (6.67)	60 (100 00)
4.	मजदूर	46 (92 00)	4 (8 00)	-	-	50 (100.00)
5.	फुटकर व्यापार	70 (87 50)	18 (12 50)	-	-	80 (100 00)
	योग	212 (79 70)	30 (11 28)	16 (6 01)	8 (3 01)	266 (100 00)

(कोष्ठक मे प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:16 से स्पष्ट होता है कि रोजगाररत महिलाओं में 79 70 प्रतिशत महिलायें प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। 11.28 प्रतिशत महिलायें सेकेण्ड्री स्कूल तक, 6.01 प्रतिशत महिलायें उच्च शिक्षा और 3 10 तकनीकी शिक्षा ग्रहण की हैं।

पशुपालन एवं मुर्गीपालन के समूह में शिक्षित महिलाओं में 81.82 महिलायें प्राइमरी स्तर और 18.18 प्रतिशत महिलायें सकेण्ड्री स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की है।

नौकरी व्यवसाय समूह में शिक्षित महिलाओं में 31.25 प्राइमरी शिक्षा, 6 25 सेकेण्ड्री, 50 प्रतिशत उच्च, 12.50 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा ग्रहण की हैं।

सामग्री निर्माण समूह में 83.33 प्रतिशत प्राइमरी, 10.00 प्रतिशत सेकेण्ड्री और 6 67 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा ग्रहण की हैं

मजदूर व्यवसाय समूह में 92 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल और 8 00 प्रतिशत सेकेण्ड्री स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की है। फुटकर विक्रेता समूह में शिक्षित महिलाओं में 87.50 प्रतिशत महिलायें प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण किये और 12.50 प्रतिशत सेकेण्ड्री स्कूल तक पढ़ी है। व्यवसाय समूहों में सबसे ज्यादा नौकरी समूह में शिक्षा ग्रहण की है, सबसे कम स्तर की शिक्षा मजदूर व्यवसाय समूह के लोग हैं।

रोजगाररत महिलाओं के परिवार का शैक्षिक स्तर ऊँचा होना उन्हें समाज में उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाता है। इसलिए उनके परिवार का शैक्षिक विवरण बताना आवश्यक है। परिवार के बच्चे जो स्कूल अभी नहीं जाते हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है उन्हें अशिक्षित समूह में रखा गया है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें अंकित समूह में रखा गया है इसे निम्नवत सारणी संख्या 3:17 से स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 3:17

महिलाओं के परिवार का शैक्षिक विवरण

क्र0सं0	समूह	अशिक्षित		शिक्षित		योग	
		सख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	184	8.30	248	11.19	432	19.40
2.	महिला	204	9.21	308	13.90	512	23.10
3.	बच्चे	508	22.92	764	34.48	1272	57.40
	कुल	896	40.43	1320	59.57	2216	100.00

सारणी संख्या 3:17 से प्रतीत होता है कि 40 43 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं और 59 57 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। अशिक्षित व्यक्तियों में 8 30 प्रतिशत पुरुष और 9.21 प्रतिशत महिलायें और 22 92 प्रतिशत बच्चे हैं। शिक्षित लोगों में 11 19 प्रतिशत पुरुष, 13.90 प्रतिशत महिला, 34.48 प्रतिशत बच्चे हैं।

महिलाओं के परिवार में शिक्षित लोगों का शिक्षा का स्तर निम्नवत है। जिसे सारणी संख्या 3:18 में दिखाया गया है।

सारणी सख्या 3:18

परिवार का शैक्षिक स्तर

क्र0 सं0	समूह का विवरण	प्राइमरी	सेकेण्डरी	उच्च	तकनीकी	योग
1.	पुरुष	204 (15.45)	40 (3.04)	4 (0.30)	– (–)	248 (18.79)
2.	महिला	240 (18.19)	44 (3.33)	16 (1.21)	8 (0.61)	308 (23.34)
3	बच्चे	716 (54.24)	48 (3.63)	– (–)	– (–)	764 (57.87)
	योग	1160 (87.88)	132 (10.00)	24 (1.51)	8 (0.61)	1320 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:18 से प्रतीत होता है कि रोजगाररत महिलाओं के परिवार में शिक्षित पुरुषों में 15.45 प्रतिशत, प्राइमरी स्तर तक अध्ययन किया है। 3 04 प्रतिशत, सेकेण्डरी स्कूल और 30.00 प्रतिशत, उच्च शिक्षा तक अध्ययन ग्रहण किया। महिला वर्ग में 18.19 प्रतिशत, प्राइमरी शिक्षा, 3.33 प्रतिशत, सेकेण्डरी, 1 21 प्रतिशत, उच्च शिक्षा और 0 61 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा ग्रहण किया। बच्चों में 54 24 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल में 3.63 प्रतिशत सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्यो का 87.88 प्रतिशत प्राइमरी, स्तर शिक्षा, 10.00 प्रतिशत सेकेण्डरी, 1.51 प्रतिशत उच्च शिक्षा और 0.61 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा का शैक्षिक स्तर है।

चयनित महिलाओं में 2.00 प्रतिशत महिलाये प्रशिक्षित थीं और 98.00 प्रतिशत महिलायें रोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। जो कि सारणी संख्या 3:19 में दर्शाया गया है :-

सारणी संख्या 3:19

रोजगाररत महिलाओं का प्रशिक्षण का विवरण

क्र0सं0	व्यवसाय का समूह	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	योग
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	-	68 (17 00)	68 (17 00)
2.	नौकरी	4 (1 00)	52 (13.00)	56 (14 00)
3	सामग्री निर्माण	4 (1.00)	68 (17.00)	72 (18 00)
4.	मजदूर	-	124 (31.00)	124 (31 00)
5	फुटकर व्यापार	-	80 (20 00)	80 (20 00)
	योग	8 (2.00)	392 (98.00)	400 (100 00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 3:19 से प्रतीत होता है कि पशुपालन एवं मुर्गीपालन मजदूर और फुटकर व्यापार में कोई भी महिला प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। नौकरी और फुटकर व्यवसाय समूह में एक-एक प्रतिशत रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशिक्षित न होने के कारण महिलाओं के कार्य में गुणवत्ता नहीं आयेगी और मजदूरी भी प्रशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा कम प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य चिकित्सा :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यशील महिलाओं के अधिक विकास को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है

कि उनका पूर्ण क्षमता का उपयोग हो। महिलाओं के विकास में चिकित्सा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति पूर्णमय सुदृढ़ न होने के कारण वे अपने स्वास्थ्य का परीक्षण उपयुक्त समय पर करा नहीं पाती। कुछ महिलायें तो इतनी रूढ़वादी हैं कि वो अंग्रेजी दवाओं को करना पसन्द नहीं करती जो कि उनके जीवन के लिए घातक है। कुछ महिलाओं को स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होते हुए भी उन्हें परिवार नियोजन के कार्यो के विषय में ज्ञान ही नहीं है। जो कि इनके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।

सारणी सख्या 3.20

महिलाओ के चिकित्सा केन्द्र की दूरी

क्र0सं0	चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय	घर से दूरी (किलोमीटर)			
		0–2 5	2.5–5	5 से अधिक	योग
1	एलोपैथिक चिकित्सालय	200 (62 50)	150 (37 50)	50 (12 50)	400 (100 00)
2.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	60 (15 00)	100 (25 00)	240 (60 00)	400 (100 00)
3	यूनानी चिकित्सालय	85 (21 25)	105 (26.25)	210 (52.50)	400 (100 00)
4.	होम्योपैथिक चिकित्सालय	90 (22 50)	120 (30 00)	190 (47 50)	400 (100 00)
5.	मातृशिशु कल्याण केन्द्र	210 (52 50)	150 (37 50)	40 (10.00)	400 (100.00)
	योग	645 (32.25)	625 (31.25)	730 (36.50)	2000 (100 00)

सारणी संख्या 3:20 से स्पष्ट होता है कि 32.25 प्रतिशत महिलाओं को चिकित्सा सुविधा 2 5 किलोमीटर के दूरी के अन्दर ही सुलभ है और 31 25 प्रतिशत महिलाओं को 2.5 किलोमीटर की दूरी से लेकर 5 किलोमीटर दूरी तक और 36.50 प्रतिशत महिलाओं को 5 किलोमीटर की अधिक दूरी से चिकित्सा केन्द्रों की सुविधा है।

ऐलोपैथिक चिकित्सालय में कुल चयनित महिलाओं की घर से दूरी 2.5 किलोमीटर के अन्तर्गत 62.50 प्रतिशत है। 2.5 में से 5 किलोमीटर की दूरी पर

37.50 प्रतिशत महिलाओं का चिकित्सालय है। और 5 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सालय 12.50 प्रतिशत महिलाओं के घर से है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की दूरी महिलाओं के घर से 2.5 किलोमीटर के अन्दर और 2.5 से 5 किलोमीटर के अन्दर और 5 किलोमीटर की दूरी से क्रमशः 15 0 प्रतिशत, 25.0 प्रतिशत और 60 प्रतिशत महिलाओं के घर से है।

यूनानी चिकित्सालय की दूरी 2.5 किलोमीटर के अन्दर, 2 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर से अधिक क्रमशः 21.25 प्रतिशत, 26.25 प्रतिशत, 52.50 प्रतिशत महिलाओं के घर से हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सालय उनके घर 2.5 से कम दूरी, 2.5 किलोमीटर से अधिक 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 22 50 क्रमश· प्रतिशत 30.00, प्रतिशत 47.50 प्रतिशत है।

शिशु कल्याण केन्द्र, मातृ शिक्षा चिकित्सालय उनके घर से 2.5 से कम दूरी, 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्रमश· 52 50 प्रतिशत, 37.50 प्रतिशत और 10.00 प्रतिशत महिलाओं का घर है। बढ़ती हुयी जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन के विभिन्न कार्य चलाये जा रहे है। इस विषय में चयनित महिलाओं से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने परिवार नियोजन के विषय में ज्ञान होने का विवरण इस प्रकार दिया है। जिस सारणी संख्या 3:21 में दिया गया है।

सारणी संख्या 3:21

परिवार नियोजन के विषय में जानकारी

क्र0सं0	विवरण	जानकारी (संख्या)	प्रतिशत
1.	हाँ	345	86 25
2	नहीं	55	13.75
	योग	400	100.00

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि कार्यरत महिलाओं को परिवार नियोजन की जानकारी व्यापक रूप में है। 86.25 प्रतिशत महिलायें परिवार नियोजन के विषय मे जानकारी सम्बन्धी 13.75 प्रतिशत महिलायें परिवार नियोजन के विषय में जानकारी ही नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी महिलाओं का परिवार नियोजन के विषय में काम नही है।

परिवार नियोजन सूचना के माध्यम

चित्र संख्या 16

सारणी संख्या 3:22

परिवार नियोजन के सूचना के माध्यम

क्र0सं0	सूचना के माध्यम	सूचना की	
		सख्या	प्रतिशत
1.	समाचार पत्र	20	5.00
2.	विभिन्न पत्र पत्रिकायें	40	10 00
3.	टी0वी0	40	10.00
4.	सहेली	175	43.75
5.	स्वास्थ्य केन्द्र	105	26 25
6.	ज्ञात नहीं	20	5.00
	योग	400	100

सारणी संख्या 3:22 से स्पष्ट होता है कि परिवार नियोजन सूचना को व्यापक बनाने में सहेली स्वास्थ्य केन्द्र, टी0वी0 एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की भूमिकायें महत्वपूर्ण हैं और समाचार पत्र ने भी सशक्त भूमिका निभाई होगी। उक्त माध्यमों की जानकारी के बाद भी परिवार नियोजन के विषय में महिलाओं को जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा 43 75 प्रतिशत जानकारी देने का माध्यम सहेली रही है। उसके बाद स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसका माध्यम 26.25 प्रतिशत है।

उपरोक्त स्वास्थ्य एवं सुविधायें उपलब्ध होने के कारण रोजगार महिलाओं को परेशानी होने के कारण अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं भयंकर बीमारी का इलाज नहीं कर पाती है जिसको निम्न सारणी संख्या 3123 मे देखा जा सकता है।

सारणी संख्या 3:23

महिलाओ के उपचार न हो पाने का विवरण

क्र0सं0	उपचार के न होने के कारण	संख्या	प्रतिशत
1	धन का अभाव	350	87 50
2.	रूढ़िवादिता	12	3.00
3.	अज्ञानता	18	4.50
4.	दूरी अधिक और समयाभाव होने के कारण	20	5.00
	योग	400	100

सारणी संख्या 3·23 से प्रतीत होता है कि महिलाओं से धन अभाव के कारण 87 50 प्रतिशत महिलायें अपना स्वास्थ्य परीक्षण एवं अपने बीमारी का पूर्ण इलाज नहीं करा पातीं है। 3.00 प्रतिशत महिलायें रूढवादिता के कारण, 4 5 प्रतिशत को रोग की जानकारी न होने के कारण और 5 00 प्रतिशत महिलायें अन्य कारण जैसे घर की दूरी, अधिक समयाभाव के कारण अपने स्वास्थ्य का परीक्षण एवं सही ढंग से चिकित्सा नहीं करा पातीं है।

****

चतुर्थ अध्याय

❖ नगरीय अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की आर्थिक दशाएं

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की आर्थिक दशाएं :

महिलाओं का आर्थिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है इसकी शुद्धता सम्पन्नता पर महिलाओं के जीवन के दूसरे पक्ष निर्मित होते हैं और समाज का जीवन रूप प्रदान करता है। अर्थ प्राप्त का साधन शुद्ध होना चाहिए आज महिलायें औद्योगीकरण के दुष्परिणाम के कारण, वह निरन्तर परिवर्तनशील परिस्थितियों में जूझ रही हैं। महिलाओं में अत्यधिक मानसिक तनाव उत्पन्न होने से उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सुखी जीवन के लिये महात्मा गाँधी ने कहा था कि कार्य के साथ आराम और आराम के साथ कार्य होना चाहिए ताकि व्यक्तित्व संगठित बना रहे। आर्थिक संरचना पर ध्यान दें तो उनके दो घटक प्रमुख रूप से सामने आते हैं। (1) उत्पादक :- जिसमें रोजगार से लेकर प्रबन्धक तथा साहसी तक भी आते हैं, जिनका लक्ष्य अधिकतम उत्पादन करना होता है। (2) उपभोग :- दूसरे घटक के रूप में उपभोक्ता आते हैं जो कि उत्पादित वस्तु का उपभोग करते हैं। इसमें छोटे बच्चे, बेरोजगार युवा, व्यक्तियों तथा सेवा निवृत्ति व्यक्ति तो आते ही है और साथ ही साथ उत्पादक लोग भी उपयोग के रूप में होते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं अपनी उपलब्धियों के आधार पर सन्तुष्ट नहीं है। यद्यपि उनकी मान्यता उपलब्धियों के आधार पर ही होती है फिर भी आत्मगत सन्तुष्टि में ही आराम का अनुभव करती है, और उसी के आधार पर स्वीकृत की अपेक्षा रखती है। महिलाओं के आर्थिक जीवन में वेतन तथा पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वेतन से उसकी सन्तुष्टि अनेक महिलायें अच्छे वेतन एंव प्रस्तावित में भी नाराज रहते हैं एंव दूसरे तरह की नौकरी में जाने की इच्छा करती

है जिनमें की उन्हें कम वेतन तथा कम प्रास्थिति होती है। महिलाओं का व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत उत्पादन एंव उपभोग पर ही नहीं निर्भर करता है। अपितु सम्पूर्ण परिवार के आर्थिक जीवन पर यानि परिवार के सभी सदस्य किस प्रकार के कार्य में लगे हैं, परिवार में कुल आमदनी क्या है, कार्य एंव आमदनी के प्रति परिवार की सन्तुष्टि कैसी है, परिवार में बच्चे लोग बचपन से परिवार की आर्थिकी जीवन शैली का अनुभव करते रहते है इसके आधार पर अन्त·क्रियाएं विकसित होती रहती है।

मानव व्यवहारों तथा व्यक्तित्व विकास में आर्थिक मूल्यों का विशेष महत्व है। गीता में कहा गया है कि सम्पत्ति हीन व्यक्ति दरिद्र नहीं है वरन् वे व्यक्ति है जिसका चरित्र गिर गया है। आर्थिक असुरक्षा, विपन्नता का अनुभव, बेरोजगारी तथा अनुपयुक्त रोजगार और बार-बार कार्य बदलने से महिलायें न केवल असुरक्षा प्रदान करती है वरन् अलग होने के लिये बाध्य करती है। उनमें लज्जा एंव अपराध भाव बढ़ता है तथा अत्यधिक चिन्तायें भी विकसित हो जाती है ये सारी मनोदशायें ही महिलाओं को मानसिक रोगी बना देती है। अध्ययन में पाया गया है कि वेरोजगार परिवार को संरक्षण के कारण उसके बच्चे वाहर अपने मित्र नहीं बना पाते हैं, जिससे वे बाहर की परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाते हैं उनमें उस आर्थिक जीवन के कारण अनेक मनोरोग पैदा हो जाते हैं।

जिस परिवार में आर्थिक विपन्नता की स्थिति है आर्थिक असुरक्षा का अभाव मन के अति गहराई वाले भाग के अहम रूप में स्थित होता है। परिणामस्वरूप ऐसे परिवारों के बच्चों में विश्वास जागृति नहीं हो पाता है और न ही किसी कार्य में नेतृत्व प्रदान कर पाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलायें अच्छी कभी नहीं हैं और न ही बन पाती हैं क्योंकि असुरक्षा भाव के कारण उनमें व्याप्त चिन्तायें

बढ़ जाती हैं। और इन चिन्ताओं के कारण इनके कार्य इनकी क्षमताओं से अधिक शक्तिशाली दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में महिलायें परिस्थिति का सही आंकलन नहीं कर पाती और गलत आंकलन के कारण उनके व्यवहार समयानुकूल एवं परिस्थितियों में नहीं होते हैं।

रोजगार के अवसर, कार्य की पद्धति, रोजगार के प्रति स्पर्द्धा, कार्य की अवधि, रोजगार लगने की आयु, बेकारी में परिवार की आर्थिक सहायता तथा आर्थिक सहायता का स्वरूप और रोजगाररत लोगों से परिवार की अपेक्षायें, तथा रोजगार को सन्तुष्टी, महिलाओं के मानसिक पक्ष को अधिक प्रभावित करती हैं। महिलाओं के अन्दर अनेक प्रकार के व्यवहार विकसित होते हैं जो काम करने के पूर्व नहीं होते है। जिन कार्यो में महिलायें सन्तुष्ट रहती है उनमें पाया गया है कि कार्यो के प्रति महिलाओं में रंगायात्मक सम्बन्ध आ जाता है जिसके कारण वे थकान का अनुभव नहीं करती एंव न ही निराश होती हैं। ऐसे कार्य को अच्छा कार्य या अच्छा पेशा[1] माना जाता है।

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के कार्य करने के व्यवसाय कई हैं। चयनित महिलाओं के व्यवसाय को सारणी संख्या 4.1 में दर्शाया गया है :-

---

1' स्यले ए लेबी एण्ड लारेस- साइको न्यूरोसिस एण्ड इकोनामिक लाइफ दि सोसियोलाजी आफ मेन्टल डिस्आजेस, स्टैपलैस प्रेस, लन्दन, 1968 पृ0 12

सारणी संख्या 4:1

चयनित महिलाओं के व्यवसाय का विवरण

क्रम सं0	व्यवसाय का समूह				
	समूह का नाम	संख्या	समूह में सम्मिलित व्यवसाय		
			क्र0सं0	नाम	संख्या
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	68 (17.00)	1 2 3	दुग्ध व्यवसाय सुअर पालन मुर्गी पालन	48 (12.00) 4 (1.00) 12 (4.00)
2	नौकरी	56. (14.00)	1 2	व्यक्तिगत प्राथमिक विद्यालय मे अध्यापक वर्तन सफाई	16 (4.00) 40 (10.00)
3	सामग्री निर्माण	72 (18.00)	1 2 3 4 5	बीड़ी बनाना अचार बनाना कढ़ाई,बुनाई,रंगाई टोकरी बनाना मिट्टी के वर्तन बनाना	12 (3.00) 8 (2.00) 36 (9.00) 8 (2.00) 8 (2 00)
4	मजदूर	124 (31 00)	1 2	गृह निर्माण में कार्यरत दुकान में कार्यरत	108 (27 0) 16 (4 00)
5	फुटकर व्यापार	80 (20.00)	1 2 3 4 5 6	पान फल सब्जी व्यूटीशियन मछली बेचना किराने की दुकान	8 (2.00) 8 (2.00) 42 (10 50) 8 (2 00) 8 (2.00) 6 (1 50)
	योग	400(100)	18		400 (100)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 4:1 से प्रतीत होता है इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में चयनित रोजगाररत महिलायें 18 प्रकार के कार्य करती हैं जिसे 5 समूहों में विभक्त किया गया है। पशुपालन एंव मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में 17 प्रतिशत महिलायें

कार्य कर रही हैं जिसमें दुग्ध बेचने में 12.00 प्रतिशत महिलायें रोजगाररत हैं, सुअर पालन में 1 00 प्रतिशत और मुर्गीपालन में 4 00 प्रतिशत महिलायें रोजगाररत हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में 14.00 प्रतिशत महिलायें रोजगाररत हैं जिसमें व्यक्तिगत प्राइमरी स्कूल और घरों में अध्यापन का कार्य करती हैं। वे 4.00 प्रतिशत हैं और घरों में बर्तन साफ करने वाली महिला 10.00 प्रतिशत हैं।

सामग्री निर्माण समूह में 18.00 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं जिसमें 3. 00 प्रतिशत महिलायें बीड़ी बनाती हैं, 2.00 प्रतिशत महिलायें अचार बनाती हैं 9 00 प्रतिशत महिलायें कढ़ाई बुनाई और रंगाई का कार्य करती हैं, 2.00 प्रतिशत टोकरी बनाने का कार्य और 2.00 प्रतिशत महिलायें मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य करती हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में 31.00 प्रतिशत महिलायें रोजगाररत हैं जिसमें 27.00 प्रतिशत गृह निर्माण में मजदूरी का कार्य करती हैं और 4.00 प्रतिशत दुकानों में कार्य करती हैं।

फुटकर विक्रेता समूह में 20.00 प्रतिशत महिलायें रोजगाररत हैं जिसमें 2. 00 प्रतिशत महिलायें के पान की दुकान है, 2.00 प्रतिशत महिलाओं के फल की दुकान है। 10 50 प्रतिशत सब्जी की दुकान 2.00 प्रतिशत महिलाओं की ब्यूटीशियन की दुकान, 2.00 प्रतिशत महिलायें मछली बेचती हैं। और 1.50 प्रतिशत महिलायें किराने की दुकान खोली हैं। महिलाओं के कार्य देखने से स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा 27 00 प्रतिशत महिलायें गृह निर्माण में मजदूरी का कार्य कर रही है और सबसे कम 1 प्रतिशत सुअर पालन का कार्य करती है।

विभिन्न कार्यो में लगी महिलायें अपने कार्यो से सन्तुष्ट है या सन्तुष्ट नहीं है। जिसे सारणी संख्या 4:2 से स्पष्ट किया गया है :-

कार्य से सन्तुष्टी

चित्र सख्या 17

सारणी संख्या 4:2
कार्य से स्वयं सन्तुष्ट का विवरण

क्रम सं0	विवरण	सन्तुष्टीकरण की	
		संख्या	प्रतिशत
1	सन्तुष्ट	109	27.25
2	अधिक सन्तुष्ट	28	7 00
3	सन्तुष्ट नहीं	248	62 00
4	निरूत्तर	15	3.75
	योग	400	100.00

सारणी संख्या 4:2 से प्रतीत होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलायें अपने रोजगार से उन्हें सन्तुष्टी प्राप्त नहीं है क्योंकि उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा 62.00 प्रतिशत है। 34.25 प्रतिशत महिलायें अपने कार्य से सन्तुष्ट है। जिसमें 27 25 सन्तुष्ट के दर्जे में है और 7.00 प्रतिशत महिलायें अधिक सन्तुष्ट है। 3.75 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर इस सम्बन्ध में नहीं दिया। महिलाओं ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर तथा सन्तुष्ट तभी हो सकते हैं जब उनके कार्य क्षमता के अनुसार कार्य मिल जाये। कार्य उनके पसन्द का होना चाहिए और स्त्रियों को कुछ रोजगार में आरक्षण होना चाहिए और उन्हें उनकी पसन्दगी के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। कार्य पसन्दगी को सारणी संख्या 4:3 से स्पष्ट किया हैः-

सारणी संख्या 4:3

चयनित महिलाओ के रोजगार की पसन्दगी

क्र0सं0	पसन्दगी	संख्या	प्रतिशत
1	अध्यापन कार्य	32	8 00
2	प्रशासनिक सेवा	16	4.00
3	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	50	12 50
4	महिला एवं बाल विकास सेवा	40	10 00
5	पुलिस प्रशासन	15	3 75
6	स्वास्थ्य सेवा	40	10 00
7	व्यापार	100	25 00
8	घरेलू कार्य	57	14 25
9	अन्य	50	12 50
	योग	400	100

सारणी संख्या 4:3 से प्रतीत होता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं की पसन्दगी व्यापार से है जिनका सबसे अधिक 25.00 प्रतिशत पसन्दगी है। और सबसे कम पुलिस विभाग की सेवा पसन्द की है जिनका प्रतिशत 3.75 है।

14.25 प्रतिशत घरेलू कार्य में कार्य करना पसन्द करती है तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी के रूप में काम करने की पसन्दगी 12.50 प्रतिशत महिलाओं की है 10.00 महिला एवं बाल विकास सेवा, स्वास्थ सेवा में 10.00 प्रतिशत पसन्दगी है। 8.00 प्रतिशत महिलायें अध्ययन कार्य पसन्द करती हैं, 4.00 प्रतिशत महिलायें प्रशासनिक सेवा में कार्य करना पसन्द करती हैं और 12.50 प्रतिशत महिलायें अन्य कार्यों को पसन्द किया है।

सारणी संख्या 4:4

व्यवसाय से परिवार के लिए सन्तुष्टी का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	असंतुष्ट लोग	परिवार के सन्तुष्ट लोग			
			सरक्षक	पति	अन्यलोग	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	8 (2.00)	30 7.50	20 5.00	10 2.50	68 17.00
2	नौकरी	10 (2.50)	25 6.25	12 3.00	9 2.25	56 14.00
3	सामग्री निर्माण	8 (2.00)	12 (3.00)	42 (10.50)	10 (2.50)	72 (18.00)
4	मजदूर	8 (2.00)	20 5.00	80 20.00	16 4.00	124 31.00
5	फुटकर व्यापार	2 0.50	15 3.75	53 13.25	10 2 50	80 20.00
	योग	36 (9.00)	102 (25.50)	207 (51.75)	55 (13.75)	400 (100.00)

कार्य कर रही महिलाओं के परिवार के लोग उनके कार्य करने से ज्यादा सन्तुष्ट हैं। सारणी संख्या 4:4 से प्रतीत होता है कि 91 00 प्रतिशत महिलाओं के कार्य से सन्तुष्ट है और केवल 9.00 प्रतिशत महिलाओं के कार्य से असन्तुष्ट है। सन्तुष्ट में सबसे ज्यादा महिलाओं के पति हैं जिनका प्रतिशत 51.75 प्रतिशत है और 25.50 प्रतिशत संरक्षक और 13.75 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के अन्य लोग उनके कार्य से सन्तुष्ट हैं।

पशुपालन एंव मुर्गी व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के परिवार के मुखिया संरक्षक 7.50 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं से सन्तुष्ट हैं। 5.00 प्रतिशत महिलाओं के पति और 2.50 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं के परिवार के अन्य लोग सन्तुष्ट हैं।

और 2.00 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं के उनके कार्य से परिवार के लोग असन्तुष्ट हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में कार्यरत महिलाओं के परिवार के मुखिया संरक्षक 6.25 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं से उनकी कार्य करने से सन्तुष्ट है। 3 00 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं से उनके कार्य करने से पति और 2.25 प्रतिशत महिलाओं के अन्य लोग उनके कार्य से सन्तुष्ट हैं।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में परिवार के 18.00 प्रतिशत सन्तुष्ट हैं और 2.00 प्रतिशत असन्तुष्ट हैं। 3.00 प्रतिशत महिलाओं के मुखिया/संरक्षक; 10.50 प्रतिशत महिलाओं के पति, 2.50 प्रतिशत परिवार के अन्य लोग सन्तुष्ट हैं।

मजदूर समुदाय में 31.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोगों में से 29. 00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग सन्तुष्ट और 2.00 प्रतिशत असन्तुष्ट हैं। 5.00 प्रतिशत महिलाओं के मुखिया/संरक्षक, 20.00 प्रतिशत पति, 4.00 प्रतिशत अन्य लोग संतुष्ट हैं।

फुटकर व्यवसाय समूह में कार्यरत 20.00 प्रतिशत महिलाओं में से 19.50 प्रतिशत महिलाओं से उनके परिवार के लोग सन्तुष्ट हैं। और 0.50 प्रतिशत असन्तुष्ट थे, 3.75 प्रतिशत मुखिया/संरक्षक 13.25 प्रतिशत पति और 2.50 प्रतिशत अन्य लोग सन्तुष्ट हैं। स्पष्ट होता है कि उक्त व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं से उनके परिवार के लोग कम असन्तुष्ट थे। क्योंकि आज सभी परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में कामकाजी महिलायें हों।

सम्पत्ति :

मानव के आर्थिक विकास में सम्पत्ति होना आवश्यक है। धन के बिना उसका जीविकोपार्जन नहीं हो सकता उसी तरह महिलाओं को भी रहने के लिये घर चाहिए, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति धन, सम्पत्ति द्वारा हो सकती है। इलाहाबाद नगर में चयनित कार्यरत महिलाओं की सम्पत्ति का विवरण जैसे - मकान, टी0वी0, ट्रांजिस्टर, घड़ी, सोफा, आलमारी एवं पशु सम्पदा के बारे में चयनित महिलाओं से विवरण एकत्र किया गया। इस विवरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है।

महिलाओं एवं उनके परिवार के रहने के लिये घर की आवश्यकता होती है। इनके घर स्वयं के हैं या किराये पर लेकर निवास करती है। जिसका विवरण सारणी 4:5 में निम्नवत है।

सारणी संख्या 4:5

चयनित महिलाओं के मकान/घर का विवरण

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	महान की स्वामित्व		
		निजी मकान	किराये पर	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	68 (17.00)	-	68 (17.00)
2	नौकरी	53 (13.25)	3 (0.75)	56 (14.00)
3	सामग्री निर्माण	70 (17.50)	2 (0.50)	72 (18.00)
4	मजदूर	10 (2.50)	23 (5.75)	124 (31.00)
5	फुटकर व्यापार	74 (18.50)	6 (1.50)	80 (20.00)
	योग	366 (91.50)	34 (8.50)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 4:5 से प्रतीत होता है कि 91.50 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने निजी मकान है और 8.50 प्रतिशत महिलायें किराये पर मकान लेकर रहती हैं। पशुपालन एवं मुर्गीपालन के पास निजी मकान है नौकरी करने वाले व्यवसाय समूह के महिलाओं के पास 13.25 प्रतिशत के पास निजी मकान है और 0.50 प्रतिशत किराये पर हैं। मजदूर समूह के महिलाओं के पास 24.25 प्रतिशत निजी मकान है और 5.75 प्रतिशत किराये पर रहती हैं। फुटकर व्यवसाय समूह के महिलाओं के पास 18.50 प्रतिशत के निजी मकान है और 1.50 प्रतिशत महिलायें किराये पर रहती हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं के पास मकान है और मजदूर समूह महिलाओं के पास मकान की कमी है।

सारणी संख्या 4:6

महिलाओं के निजी मकान की कीमत

(रूपये में)

क्र0सं0	व्यवसाय समूह	अनुमानित मकान की कीमत	प्रति महिला
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	1504000	22118
2	नौकरी	1930000	36415
3	सामग्री निर्माण	1450000	20714
4	मजदूर	2686000	26594
5	फुटकर व्यापार	1346000	18189
	योग	8916000	24361

सारणी संख्या 4:6 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के निजी मकान में रहने वाली महिलाओं के मकान की कीमत में भूमि की कीमत सम्मिलित नहीं है। सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में पशुपालन एवं मुर्गीपालन कार्य करने वाली महिलाओं की निजी मकान की कुल कीमत 15,04,000 है जो कि प्रति महिला रूपये 22118 की सम्पत्ति है। नौकरी करने वाली समुदाय की महिलाओं के पास निजी मकान की कीमत रूपये 1930000 है जो प्रति महिला रूपये 36415 है। सामग्री निर्माण समूह में महिलाओं के मकान की कीमत रूपये 14,50,000 है और प्रति महिलाओं के पास रूपये 20714 है। मजदूर समुदाय के पास मकान की कीमत रूपये 26,86,000 है तो प्रति महिला 26,594 है। फुटकर व्यापार समूह में निजी मकान की कीमत रूपये 13,46,000 है तो प्रति महिला रूपये 18,189 रू0 महिला के हिस्से में पड़ती है। इस तरह कुल मकान की कीमत रूपये 89,16,000 है जो प्रति महिला के हिस्से रूपये 24,361 पड़ता है।

सारणी संख्या 4:7

परिवार में घरेलू प्रयोग की सामग्री का विवरण

क्र0सं0	सम्पदा का नाम	हां	नहीं	योग
1	टी0वी0	52 (13 00)	348 (87.00)	400 (100.00)
2	ट्रांजिस्टर	136 (34.00)	264 (66 00)	400 (100 00)
3	घड़ी	260 (65.00)	140 (35.00)	400 (100 00)
4	सायकिल,मोटर सायकिल, स्कूटर	140 (35.00)	260 (65 00)	400 (100.00)
5	अन्य सम्पदा	52 (13.00)	348 (87.00)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अकित है)

सारणी संख्या 4:7 से प्रतीत होती है कि घरेलू उपयोग की महिलाओं के पास सम्पदा में टी0वी0, 13.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है और 87.00 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। ट्रांजिस्टर 34.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है और 66. 00 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। 65.00 प्रतिशत महिलाओं के पास घड़ी है और 35.00 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। साईकिल/मोटर साईकिल/स्कूटर 35.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है 65.00 महिलायें परिवार के पास नहीं है। अन्य सम्पदा में जैसे, अलमारी, सोफा, आदि सामान 13.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में है और 87.00 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थति सुदृढ़ नहीं है।

सारणी संख्या 4:8

परिवार के घरेलू सामग्री की कीमत

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	सामग्री की कीमत (रूपये में)					
		टी0वी0	टाजिस्टर	घड़ी	साइकिल	अन्य	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	8000	8000	12,400	27200	24800	80,400
2	नौकरी	32000	5200	11,600	32000	21000	1,01,800
3	सामग्री निर्माण	48000	8200	16,300	22,200	8000	1,02,700
4	मजदूर	38000	15200	25700	42000	-	120900
5	फुटकर व्यापार	53200	9600	17100	30000	24000	133900
	योग	179200 (448)	46200 (115)	83100 (208)	153400 (384)	77,800 (194)	539700 (1349)

(कोष्ठक में अंकित कीमत प्रति परिवार है)

सारणी संख्या 4.8 से प्रतीत होता है कि कार्यरत महिलाओं के पास कुल टी0वी, पर वर्तमान समय में उसकी कीमत रू0 179200, और ट्रांजिस्टर पर रूपये, 46200 है। घड़ी पर रू0 83100, साइकिल पर रू0 153400, अन्य सामानों पर रू0 77800 कीमत की सामग्री है। व्यवसाय समूह के अनुसार पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के घर पर कुल रू0 8000 ट्रांजिस्टर में, रू0 8000 टी0 वी0 मे, रूपया 12400 घड़ी में, रू0 27200 साइकिल और अन्य सामानों पर रू0 24800 रू0 कीमत की सामग्री उपलब्ध थी।

नौकरी व्यवसाय समूह में महिलाओं के पास टी0वी0 की कीमत रू0 48000, ट्रांजिस्टर की कीमत रू0 8200, घड़ी रू0 11600, साइकिल रू0 32000 और अन्य समानों की कीमत रू0 21000 थी।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूहों के पास टी0वी0 रू0 48000, ट्रांजिस्टर रू0 8200, घड़ी रू0 16300, साइकिल रू0 22200, और अन्य समान की कीमत रू0 8000 है।

मजदूर व्यवसाय समूह में टी0वी0 की कीमत रू0 38000, ट्रांजिस्टर रू0 15200 रू0, घड़ी रू0 25700, और साइकिल रू0 42000 है।

फुटकर व्यापार समूह में टी0वी0 रू0 53200, ट्रांजिस्टर रू0 9600, घड़ी रू0 17100, और साइकिल रू0 30000 और अन्य समानों में रू0 24000 है। इस प्रकार रू0 80,400 पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय समूह, रू0 101800 नौकरी व्यवसाय समूह, रू0 102700 सामाग्री निर्माण व्यवसाय समूह, रूपये 120900 मजदूर व्यवसाय समूह, रू0 13390 फुटकर व्यापार समूह के पास वर्तमान घरेलू उपयोग की सामाग्री थीं जो कुल सामानों का प्रति व्यक्ति औसत रूपये निकाला जाय तो प्रति महिला रू0 1349 है जो कि उनके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ के लक्षण दिखायी नहीं पड़ते हैं।

रोजगाररत महिलाओं के पास पशु सम्पदा भी थी इससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलती है। पशु सम्पदा को सारणी संख्या 4:9 में दर्शाया गया है।

पशु सम्पदा का विवरण
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
संख्या
भैस
गाय
बकरी
भेड
सुअर
मुर्गी
गदहा
पशु सम्पदा

चित्र संख्या 18

सारणी संख्या 4:9

पशु सम्पदा का विवरण

क्र0सं0	नाम	पशुओं का विवरण	
		संख्या	रूपये
1	भैंस	108	722000
2	गाय	92	258000
3	बकरी	184	161600
4	भेड़	40	32000
5	सुअर	100	144000
6	मुर्गी	420	10400
7	गदहा	8	10000
	योग	952	1338000

सारणी संख्या 4:9 से प्रतीत होता है कि पशुओं एवं मुर्गी पालन समुदाय की कुल संख्या 952 है जिनकी कीमत रू0 1338000 महिलाओं ने बताया। कुल कार्यरत महिलाओं के पास कुल भैंसे 108 है, गाय 92, बकरी 184, भेड़ 40, सुअर 100, गदहा 8, मुर्गी 420 है। उक्त जानवरों का वर्तमान मूल्य महिलाओं ने बताया कुल भैंस का मूल्य रू0 722000 है। गाय रू0 258000, बकरी रू0 161600, भेड़ रू0 32000, सुअर रू0 144000, गदहा रू0 10000 और मुर्गी रू0 10400 है। स्पष्ट होता है कि प्रति महिला परिवार के औसतन 3345 हिस्सा आता है।

महिलाओं के सम्पदा का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रति महिला की परिवार में वर्तमान समय में औसतन रूपये 29055 की सम्पत्ति मौजूद थी। आज के आर्थिक विकास की गति को देखते हुए उचित नहीं है इसका कारण उनके बचत

की कमी, सभी सदस्यों को रोजगार न मिलना, उचित मजदूरी प्राप्त न होना इत्यादि कारण देखने को मिले।

कार्य करने के कारण :

चयनित रोजगाररत महिलाओं में कार्य करने के कारणों में भिन्नता देखने को मिली है। कुछ महिलाओं ने अपना कार्य करने का उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति खराब, परिवार में तनाव के कारण, अतिरिक्त समय का उपयोग करने के लिये, व्यक्तिगत सन्तोष हेतु और सामाजिक स्तर ऊँचा करने हेतु बताया है। जिसे सारणी संख्या 4:10 में दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या 4:10

महिलाओं के कार्य करने के कारण

(प्रतिशत में)

क्र0 सं0	कुल का प्रतिशत						
	व्यवसाय समूह	आर्थिक स्थिति दयनीय	पारिवारिक कारण	अतिरिक्त समय का सदुपयोग	व्यक्तिगत सन्तोष	सामाजिक स्तर ऊँचा हेतु	कुल महिलाओं की संख्या का प्रतिशत
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	88.24	2.94	5.88	11.76	90.00	100
2	नौकरी	71.43	7.14	14.29	-	96.43	100
3	सामग्री निर्माण	69.40	2.78	22.22	2.78	97.22	100
4	मजदूर	100	12.90	1.61	6.45	48.39	100
5	फुटकर व्यापार	26.50	7.50	55.00	55.00	75.00	100
	औसत	81.00	7.50	8.50	5.50	78.00	100

सारणी संख्या 4:10 से प्रतीत होता है कि रोजगाररत महिलाओं के कार्य करने का प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति दयनीय होना है क्योंकि 81.00 प्रतिशत महिलाओं ने इसका कारण बताया है। 78.00 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक स्तर ऊँचा करने हेतु, 8.50 प्रतिशत महिलायें अपना समय बिताने हेतु, 7.50 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक कारणों से 5.50 प्रतिशत अपने सन्तुष्टी के कारण करती है।

पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में कार्यरत महिलाओं ने कार्य करने का कारण बताया कि जिसमें 88.24 प्रतिशत महिलाओं की आर्थिक स्थिति, 2 94 प्रतिशत पारिवारिक कारण, 5 88 प्रतिशत अतिरिक्त समय का सदुपयोग, 11.76 प्रतिशत व्यक्तिगत सन्तोष के कारण और 90 00 प्रतिशत सामाजिक स्तर को ऊँचा रखने के लिये कार्य कर रही हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में लगी महिलाओं ने कार्य करने का कारण बताया कि जिसमें 71 43 प्रतिशत आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, 7.14 प्रतिशत पारिवारिक कारण, 14 29 प्रतिशत अतिरिक्त समय के सदुपयोग के कारण, 96 43 प्रतिशत सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये कार्य कर रही हैं।

सामग्री निर्माण समूह में लगी महिलाओं ने कार्य करने कारण बताया कि जिसमें 69.40 प्रतिशत आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, 2.78 प्रतिशत पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण, 22.22 प्रतिशत अतिरिक्त समय के सुदुपयोग के कारण, 2.78 प्रतिशत व्यक्तिगत सन्तोष के कारण, 97.22 प्रतिशत सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कार्य करती हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में लगी महिलाओं ने कार्य करने का कारण बताया कि जिनमें 100 00 प्रतिशत आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, 12.90 प्रतिशत पारिवारिक कारण 1.61 प्रतिशत अतिरिक्त समय के सदुपयोग के कारण, 6.45 प्रतिशत व्यक्तिगत सन्तोष के कारण, 48.39 प्रतिशत आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिये महिलायें कार्य कर रही हैं।

फुटकर व्यवसाय समूह में लगी महिलाओं ने कार्य करने का कारण बताया कि जिसमें 26.50 प्रतिशत आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, 7 50 प्रतिशत पारिवारिक कारण 55.00 प्रतिशत अतिरिक्त समय के सदुपयोग के कारण, 55.00 प्रतिशत व्यक्तिगत सन्तोष और 75.00 प्रतिशत महिलायें सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के कारण कार्य करती हैं।

कार्य करने के स्थान की दूरी :

नगर ने अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के कार्य क्षेत्र की दूरी का अध्ययन किया गया है महिलाओं के घर से नजदीक कार्य करने से उनकी समय की बचत यातायात की धनराशि की बचत और सुरक्षा प्राप्त होती है। घर से अधिक दूरी पर कार्य करने में लोगों को आने-जाने में समय अधिक लगना, यात्रा पर व्याय होना, रास्ते में असुरक्षा की भावना रहती है। महिलाओं के कार्य करने की दूरी को चार वर्गो में विभक्त कर अध्ययन किया गया है।

प्रथम वर्ग में 0-1 किमी0 की दूरी में कार्य करने वाली महिलायें हैं दूसरे वर्ग में 1 किमी0 से 2 कि0मी0 की दूरी तक कार्य करने वाली महिलायें तीसरे वर्ग से 2 से अधिक 4 किमी0 तक के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलायें हैं। और चतुर्थ वर्ग में 4 किमी0 अधिक दूरी के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मिलत किया गया है। जिसे सारणी संख्या 4:11 में दर्शायी है।

सारणी संख्या 4:11

कार्य करने की दूरी

(किलोमीटर में)

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	0–1	1–2	2–4	4 से अधिक	कुल महिलाओं की संख्या
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	30 (44.12)	32 (47.06)	6 (8.82)	-	68 (100.00)
2	नौकरी	12 (21.43)	16 (28.57)	24 (42.86)	4 (7.14)	56 (100.00)
3	सामग्री निर्माण	40 (55.56)	20 (27.78)	10 (13.89)	2 (2.77)	72 (100 00)
4	मजदूर	8 (6.45)	60 (48.39)	20 (16.13)	36 (29.03)	124 (100.00)
5	फुटकर व्यापार	20 (25.00)	40 (50.00)	16 (20.00)	4 (5.00)	80 (100.00)
	योग	110 (27.50)	168 (42.00)	76 (19 00)	46 (11.50)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 4·11 से प्रतीत होता है कि नगर में कार्य करने वाली कुल 400 महिलाओं में से 110 महिलायें अर्थात् 27.50 प्रतिशत महिलायें उनका कार्य क्षेत्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 168 महिलाओं अर्थात 42.00 प्रतिशत महिलाओं के कार्य क्षेत्र की दूरी उनके घर से 1 किलोमीटर से 2 किलो मीटर के बीच हैं। 76.00 प्रतिशत महिलाओं में अर्थात् 19 00 प्रतिशत महिलायें अपने घर से 2 किलोमीटर से अधिक 4 कि0मी0 की दूरी तक कार्य करने प्रतिदिन जाती हैं। 11 50 प्रतिशत महिलायें अर्थात् 86 महिलायें अपने घर से 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कार्य हेतु करने जाती हैं।

व्यवसाय समूह के अनुसार पशुपालन एवं मुर्गीपालन महिलाओं में रोजगाररत 68 महिलाओं में 30 महिलायें अर्थात् 44.12 प्रतिशत महिलायें अपने घर से 1 किलो0मी0 की दूरी में कार्य करती है और 32 महिला अर्थात् 47.00 प्रतिशत महिला 1 कि0मी0 से अधिक 2 कि0मी0 तक कार्य करती है। 6 महिलायें अर्थात् 8.82 प्रतिशत 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर में यह कार्य करती है और 4 से अधिक की दूरी में कोई भी महिलायें कार्य नहीं करती।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 56 महिलाओं में से अपने घर से 1 कि0मी0 की दूरी में कार्य करने वाली 12 अर्थात् 21.43 प्रतिशत, एक किलोमीटर से अधिक 2 किलोमीटर तक 16 महिलायें अर्थात् 28.57 प्रतिशत, 2 से 4 किमी0 की दूरी पर कार्य करने वाली 24 अर्थात् 4286 प्रतिशत, 4 से अधिक दूरी पर कार्य करने वाली 7.14 प्रतिशत महिलायें हैं।

सामग्री निर्माण समूह में रोजगाररत महिलाओं में से 72 महिलाओं में अपने घर से 1 कि0मी0 की दूरी में कार्य करने वाली 40 अर्थात् 55.56 प्रतिशत है। 1 से अधिक 2 किलोमीटर तक 20 अर्थात 27.78 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं। 2 से चार किलोमीटर की दूरी पर कार्य करने वाली महिलायें 10 अर्थात् 13.89 प्रतिशत है। 4 से अधिक दूरी 'पर कार्य करने विाली महिलायें 2 अर्थात 2.77 प्रतिशत है।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 124 महिलाओं में से अपने घर से 1 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली महिलाएं 8 अर्थात् 6 45 प्रतिशत, 1 से 2 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली 60 अर्थात 18.39 प्रतिशत 2 से 4 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली 20 अर्थात् 16.13 प्रतिशत 4 से अधिक दूरी पर कार्य करने वाली महिलायें 36 अर्थात् 29.03 प्रतिशत हैं। फुटकर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 80 महिलायें अपने घर से 1 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली महिलायें 20 अर्थात् 25.00 प्रतिशत 1 से 2 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली 40 अर्थात् 50.00 प्रतिशत, 2 से 4 कि0मी0 की दूरी पर कार्य करने वाली महिलायें 16 अर्थात 20.04 प्रतिशत, 4 से अधिक दूरी पर कार्य करने वाली महिलायें 4 अर्थात् 5.00 प्रतिशत महिलायें हैं।

सारणी संख्या 4:12

महिलाओं के दैनिक कार्य का समय (घंटों में)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	4 से कम	4–6	6–8	8 से अधिक	कुल महिलाओं की संख्या
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	16 (23.53)	4 (5.88)	48 (70.59)	–	68 (100.00)
2	नौकरी	2 (3.57)	12 (21.43)	42 (75 00)	–	56 (100.00)
3	सामग्री निर्माण	–	38 (52.78)	32 (44.44)	2 (2.78)	72 (100.00)
4	मजदूर	–	–	116 (93.55)	8 (6.45)	124 (100.00)
5	फुटकर व्यापार	–	20 (25.00)	44 (55.00)	16 (20. 00)	80 (100.00)
	योग	18 (4.50)	74 (18.50)	282 (70.50)	26 (6.50)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

महिलाओं के दैनिक कार्य का समय :

महिलाओं के कार्य करने के समय का उनके स्वास्थ पर प्रभाव पड़ता है। अधिक समय तक कार्य करने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनको तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जो महिलायें 6 से 8 घंटे कार्य करती रहती हैं वो स्वस्थ रहती हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए उनके दैनिक कार्य का अध्ययन करना आवश्यक है। जिसे सारणी संख्या 4:12 में दर्शायी है।

सारणी संख्या 4:12 से प्रतीत होता है कि नगर के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलायें 4 घंटे से कम 9 महिलायें हैं जिनका प्रतिशत 4.50 है। 4 घंटे से अधिक काम करने वाली कुल महिलाओं 18.50 प्रतिशत है 6 से 8 घंटे तक कार्य करने वाली महिलाओं में 17 50 प्रतिशत महिलायें हैं और 8 से अधिक घंटे काम करने वाली महिलायें 6 50 प्रतिशत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सबमें अधिक 70.50 प्रतिशत महिलायें 6 से 8 घंटे काम करती हैं। और सबमें 4 घंटे से कम अर्थात् 4.50 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं।

व्यवसाय समूह में कार्य करने वाली महिलाओं में पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह में 68 है इसमें 4 घंटे से अधिक कार्य करने वाली 16 अर्थात् 23.53 प्रतिशत है। 4 से 8 घंटे कार्य करने वाली 4 अर्थात् 5 88 प्रतिशत है। 6 से 8 घंटे कार्य करने वाली महिलायें 48 अर्थात् 70.59 प्रतिशत महिलायें हैं। 8 से अधिक घंटे काम करने वाली कोई महिलायें नहीं हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में कार्य करने वाली कुल 56 महिलायें हैं जो 4 घंटे से अधिक कार्य करने वाली 2 अर्थात् 3 57 प्रतिशत है। 4 से 6 घंटे कार्य करने वाली 12 अर्थात 21.43 प्रतिशत है 6 से 8 घंटे तक कार्य करने वाली महिलायें 42 अर्थात 75.00 प्रतिशत हैं। 8 से अधिक घण्टे काम करने वाली कोई महिलाएं नहीं है।

सामाग्री निर्माण में कार्य करने वाली कुल महिलायें 72 हैं जो 4 घंटे से कम कार्य करने वाली कोई महिलायें नहीं हैं। 4 से 6 घंटे कार्य करने वाली महिलायें 38 अर्थात् 52 78 प्रतिशत 6 से 8 घटे कार्य करने वाली महिलायें 32 अर्थात् 44 44 प्रतिशत और 8 से अधिक कार्य करने वाली महिलायें अर्थात 2 78 प्रतिशत हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में लगी कुल महिलायें 124 हैं जो 4 घंटे से कम काम करने वाली कोई महिलायें नहीं हैं। 4 से 6 घंटे काम करने वाली भी कोई महिलायें नहीं है। 6 से 8 घंटे काम करने वाली महिलायें 116 अर्थात् 93.55 प्रतिशत, 8 से अधिक कार्य करने वाली महिलायें 8 अर्थात 6 45 प्रतिशत हैं।

फुटकर व्यापार समूह में कार्य करने वाली कुल 80 महिलायें हैं जो कि 4 घंटे से कम काम करने वाली कोई महिलायें नहीं है। 4 से 6 घंटे काम करने वाली 20 अर्थात् 25.00 प्रतिशत महिलाएं है 6 से 8 घंटे कार्य करने वाली महिलायें 44 अर्थात् 55.00 प्रतिशत है और 8 घण्टे से अधिक कार्य करने वाली महिलाएं 16 अर्थात 20.00 प्रतिशत महिलायें हैं।

कार्यरत महिला की पारिश्रमिक एवं आय :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं का पारिश्रमिक अध्ययन करने के लिये व्यवसाय समूह के अनुसार कार्यरत महिलाओं का पारिश्रमिक ज्ञात किया गया है। उनके द्वारा किये गये कार्यो से प्राप्त मासिक, अर्द्ध मासिक, सप्ताहिक, प्रतिदिन किस प्रकार वे मजदूरी पाती है उसे निकाला गया है। जो महिलायें घर में स्वकार्य कर रही है उनके द्वारा कमायी गयी राशि से प्राप्त आय को मजदूरी के साथ दर्शाया गया है। जिसे सारणी संख्या 4:13 में स्पष्ट किया गया है :-

सारणी संख्या 4:13

कार्यरत महिलाओं के पारिश्रमिक का विवरण

(महिलाओ की सख्या)

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	मासिक	अर्द्ध मासिक	साप्ताहिक	प्रतिदिन	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	30 (44.12)	4 (5.88)	16 (23.53)	18 (26 47)	68 (100 00)
2	नौकरी	52 (92.86)	2 (3.57)	2 (3.57)	-	56 (100.00)
3	सामग्री निर्माण	10 (13.89)	12 (16.67)	20 (27.78)	30 (41 66)	72 (100 00)
4	मजदूर	-	2 (1.61)	22 (17.74)	100 (80.65)	124 (100.00)
5	फुटकर व्यापार	8 (10.00)	-	2 (2.50)	70 (87.50)	80 (100.00)
योग		100 (25.00)	20 (5.00)	62 (15.50)	218 (54.50)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है)

सारणी संख्या 4:13 से प्रतीत होता है कि महिलाओं को पारिश्रमिक प्रतिदिन ज्यादा लोगों को प्राप्त होता है और सबसे कम अर्द्धमासिक पारिश्रमिक मिलता है 25.00 प्रतिशत रोजगाररत महिलाओं को मासिक पारिश्रमिक मिल जाता है और 5.00 प्रतिशत महिलाओं को अर्द्धमासिक परिश्रमिक मिलता 15.50 प्रतिशत महिलाओं को सप्ताहिक उनके कार्य का परिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। 54.50 प्रतिशत रोजगाररत महिलाओं को उन्हें प्रतिदिन उनके कार्य का परिश्रमिक प्राप्त हो जाता है।

पशुपालन एंव मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 44.12 प्रतिशत महिलाओं को उनके रोजगार से होने वाली बिक्री की धनराशि मासिक प्राप्त होती है। 5.88 प्रतिशत महिलाओं को अर्द्धमासिक, 23.53 प्रतिशत महिलाओं को साप्ताहिक, 26.47 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन उनके कार्य का बिक्री धनराशि प्राप्त हो जाती है।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलायें में 92.86 प्रतिशत महिलाओं को उनके रोजगार से मासिक आय प्राप्त होती है 3.57 महिलाओं को अर्द्ध मासिक, 3.57 प्रतिशत महिलाओं को साप्ताहिक और प्रतिदिन में कोई महिलायें नहीं है।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 13.89 प्रतिशत महिलाओं को उनके रोजगार से मासिक धनराशि प्राप्त होती है, 16 67 प्रतिशत महिलाओं को अर्द्धमासिक, 27.78 प्रतिशत महिलाओं को साप्ताहिक और 41 66 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन उनके द्वारा विक्रय की गयी धनराशि प्राप्त हो जाती है।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं को मासिक आय में कोई महिलायें नहीं हैं 1.61 प्रतिशत महिलायें को मजदूरी अर्द्ध मासिक मिलती है। 17 74 प्रतिशत महिलाओं को साप्ताहिक परिश्रमिक मिल जाती है और 80.65 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन उनके कार्य का पारिश्रमिक प्राप्त होता है।

फुटकर व्यापार समूह में 10.00 प्रतिशत महिलाओं को उनके व्यापार से होने वाले बिक्री की धनराशि ग्राहकों से प्राप्त होती है अर्द्ध मासिक में कोई महिला नहीं है। 2.50 प्रतिशत महिलाओं को साप्ताहिक और 87.50 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन उनके विक्रय किये गये समान की धनराशि प्राप्त होती है।

सारणी संख्या 4:14

महिलाओं की प्रतिदिन औसत पारिश्रमिक

क्रम सं0	व्यवसाय समूह	प्रतिदिन (रूपये में)
1.	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	36
2	नौकरी	31
3.	सामग्री निर्माण	38
4.	मजदूर	38
5.	फुटकर व्यापार	41
	कुल औसत	38

सारणी संख्या 4:14 से स्पष्ट होता है कि नगर में रोजगाररत महिलाओं की प्रतिदिन पारिश्रमिक कुल महिलाओं का औसत रूपये 38 है व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गीपालन महिलाओं की प्रतिदिन पारिश्रमिक औसत मजदूरी रूपये 36 है।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं की औसत मजदूरी प्रतिदिन रू0 31 है सामग्री निर्माण व्यवसाय में रोजगाररत महिलाओं की रूपये 38 है। मजदूर व्यवसाय समूह में भी महिलाओं को मजदूरी प्रतिदिन रूपये 38 ही है।

फुटकर व्यापार समूह में महिलायें प्रतिदिन औसत मजदूरी रूपये 41 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फुटकर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं की औसत मजदूरी अधिक है तो नौकरी व्यवसाय समूह में औसत मजदूरी सबसे कम है।

सारणी संख्या 4:15

महिलाओं की मासिक आय का विवरणः

(संख्या)

क्र0 सं0	व्यवसाय का समूह	मासिक आय का समूह					
		रू0 500 तक	501से रू0 1000 तक	1001से रू0 1500 तक	रू0 1501 से रू0 2000 तक	2000 से अधिक	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	2 (2.94)	30 (44.12)	24 (35.29)	10 (14.71)	2 (2.94)	68 (100.00)
2	नौकरी	4 (7.14)	40 (71.43)	9 (16.07)	2 (3.57)	1 (1.79)	56 (100.00)
3	सामग्री निर्माण	10 (13.89)	17 (23.61)	35 (48.61)	10 (13.89)	- -	72 (100.00)
4	मजदूर	-	41 (33.07)	81 (65.32)	2 (1.61)	- -	124 (100 00)
5	फुटकर व्यापार	-	30 (37 50)	41 (51.25)	8 (10.00)	1 (1.25)	80 (100.00)
योग		16 (4.00)	158 (39.50)	190 (47 50)	32 (8.00)	4 (1.00)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है।)

सारणी संख्या 4.15 से प्रतीत होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की मासिक आय रू0 1001 से 1500 रू0 तक पाने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है इन महिलाओं की संख्या का 47.50 प्रतिशत है। सबसे कम रू0 2000 से अधिक पाने वाली महिलायें हैं जिनकी संख्या का कुल 1.00 प्रतिशत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मासिक 500 रू0से कम पाने वाली 4.00 प्रतिशत महिलायें हैं। रू. 501 से अधिक रू. 1000 तक पाने वाली महिलायें 39.50 प्रतिशत महिलायें हैं। रू.1001 से रू. 1500 तक पानी वाली 47.50

प्रतिशत महिलाए है। रू. 1501 से रू 2000 तक पाने वाली 8.00 प्रतिशत महिलायें हैं और 2000 से अधिक पाने वाली 1.00 प्रतिशत महिलायें हैं।

पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में 2 94 प्रतिशत महिलाओं की रू. 500 मासिक आय है। 44.12 प्रतिशत महिलाओं की रू 501 से रू. 1000 तक मासिक आय है। 35.29 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू. 1001 से 1500 रू0 तक है। 14 71 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू. 1501 से रू. 2000 तक है और 2 94 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 2000 रू0 से अधिक है।

नौकरी व्यवसाय समूह में 7.14 प्रतिशत महिलाओं की रू. 500 तक मासिक आय है। 71.43 प्रतिशत महिलाओं की रू. 501 से रू. 1000 तक मासिक आय है। 16.07 प्रतिशत महिलाओं की रू. 1001 से 1500 रू0 तक है। 3.57 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू. 1501 से अधिक रू. 2000 तक है और 1.79 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू. 2000 से अधिक है।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में 13 89 प्रतिशत महिलाओं की 500 रू0 तक मासिक आय है। 23.61 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू. 501 से रू 1000 तक है। 48.61 प्रतिशत महिलाओं की रू.1001 से 1500 रू0 तक है। 13.89 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय रू 1501 से अधिक 2000 रूपये तक है। और रू. 2000 से अधिक पाने वाली महिलाओं की इस व्यवसाय समूह में कोई आय नहीं है।

मजदूरी व्यवसाय समूह में रू 500 तक पानी वाली कोई महिलायें नही हैं और रू 501 से रू. 1000 तक 33.07 प्रतिशत महिलायें मासिक आय प्राप्त करती हैं। रू 1001 से रू.1500 तक 65 32 प्रतिशत महिलायें मासिक आय प्राप्त करती हैं। रू.1501 से अधिक रू. 2000 तक 1.61 प्रतिशत महिलायें मासिक आय प्राप्त करती हैं। और रू. 2000 से अधिक महिलायें इस व्यवसाय समूह में कोई कार्य नहीं करती हैं।

फुटकर व्यापार समूह में रू. 500 तक आय प्राप्त करने वाली कोई महिलायें नहीं है। 37.50 प्रतिशत महिलाओं रू. 501 से रू. 1000 तक मासिक आय है। 51.25 प्रतिशत महिलाओं की रू0 1001 से अधिक रू.1500 तक मासिक आय है। 10.00 प्रतिशत महिलाओं की रू. 1501 से अधिक रू. 2000 तक मासिक

आय है। 1.25 प्रतिशत महिलाओं की रू. 2000 से अधिक मासिक आय प्राप्त होती है।

सारणी संख्या 4:16

व्यवसाय समूह के आधार पर मासिक आय

क्र0सं0	व्यवसाय का समूह	कुल मासिक आय	प्रति महिला मासिक आय
1	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	74045	1089
2	नौकरी	52015	929
3	सामग्री निर्माण	82262	1143
4	मजदूर	143125	1154
5	फुटकर व्यापार	99295	1241
	योग	450742	1127

नगर में रोजगाररत महिलाओं की मासिक आय व्यवसाय समूह के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है जैसा कि सारणी संख्या 4:16 से स्पष्ट है कि पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में प्रति महिला की मासिक आय रू0 1089 है और नौकरी व्यवसाय समूह में रू 929 प्रति महिला मासिक आय, समाग्री निर्माण समूह में रू0 1143 प्रति महिला मासिक आय है। मजदूर व्यवसाय समूह में रू. 1154 प्रति महिला मासिक आय है। फुटकर व्यपार समूह में रू. 1241 है। फुटकर विक्रेता समूह में महिलाओं की मासिक आय अधिक है तो नौकरी समूह में लगी महिलाओं की मासिक आय कम है।

कुल रोजगाररत महिलाओं की कुल मासिक आय रू0 450742 है। पशुपालन एवं मुर्गीपालन व्यवसाय समूह में रू0 74045, नौकरी व्यवसाय समूह में रू0 52015, समाग्री निर्माण व्यवसाय समूह में रू0 143125, फुटकर व्यवसाय समूह में रू0 99295 मासिक आय है।

पंचम अध्याय

❖ नगरीय अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समस्यायें

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समस्यायें

इलाहाबाद नगर में रोजगाररत महिलाओं का समाजार्थिक दशाओं का अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाये समस्याओं से ग्रसित रही है। महिलाओं का समाज में महतवपूर्ण भूमिका होती है । इसलिये इन समस्याओं का पता लगाना आवश्यक है। समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने हेतु निम्नवत बिन्दुओं पर अध्ययन किया गया है-

सामाजिक समस्यायें :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को सामाजिक समस्यायें उन्हें काम करने में प्रभावित करती है। समाज में पुरूष प्रधान होने के कारण महिलाओं को, जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वह सम्मान परिवार से नही मिलता है। 12.50 प्रतिशत महिलाओं को उनके परिवार में इस प्रकार के कार्य करने के बदले सम्मान प्राप्त नही हुआ है। जिससे महिलाओं को कार्य करने में मानसिक कठिनाइयां होती है। वह एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर रही है जिसे सारणी संख्या 5:1 में स्पष्ट किया गया है-

सारणी संख्या 5:1

सम्मान प्राप्त न होने के कारण –

क्रमसं0	परिवार में सम्मान न देने के कारण	प्रतिशत
1	महिलायें घर से बाहर कार्य न करें।	18.00
2	शारीरिक शोषण की शंका	18.00
3	महिलायें स्वतंत्र हो जायेंगी	20.00
4	परिवार की सेवा नही करेंगी	30.00
5	अन्य	14.00

सारणी संख्या 5:1 से प्रतीत होता है कि उनके परिवार के लोग उनके कार्य करने में समस्यायें पैदा करते हैं। जैसा कि 18.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार के लोगों का कहना रहता है कि घर से बाहर किसी दूसरे परिवार में

सम्मान न होने के कारण
35
30
25
20
15
10
5
0
संख्या (प्रतिशत में)
महिलायें घर से बाहर कार्य न करें।
शारीरिक शोषण की शंका
महिलायें स्वतंत्र हो जायेंगी
परिवार की सेवा नही करेंगी
अन्य
कारण

चित्र संख्या 19

या अन्य जगह जाकर कार्य न करें अपितु वो अपने घर की चहरदिवारी तक सीमित रहें । इससे महिलाओं को कार्य करने का मनोबल टूट जाता है और परिवार में तनाव की स्थिति आ जाती है। 18.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोगों को उनके कार्य स्थल पर कार्य करने के कारण उन्हें शंकायें रहती है कि हमारे परिवार की महिला वहां कार्य कर रही है तो उसका शारीरिक शोषण हुआ होगा। महिलाओ ने शारीरिक शोषण को स्वीकारा नही है अपितु परिवार को शंकाए रहती है इसलिये उन्हें कार्य करने में यह कठिनाई की अनुभूति होती है।

20.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग उन्हे कार्य करने से हतोत्साहित करते है कि महिलाएं कार्य करेगी तो इन्हें धन प्राप्त होगा तो घर में किसी भी मुखियॉ/पुरूष की बात नही सुनेगी और इनपर परिवार का अंकुश नही रहेगा। महिलाएं स्वतन्त्रता पूर्वक समाज में विचरण करेंगी इसके भय से महिलाओं को परिवार से सम्मान प्राप्त नही होता। जिससे महिलाओं के लिए एक समस्या बनी हुई है।

30.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार को भय व्याप्त है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलायें 8-10 घंटे घर से बाहर रहती है तो वें काम करके शारीरिक रूप से थकान महसूस करती हैं जिससे घर में आने पर परिवार की सेवा न कर पाने के कारण उन्हें परिवार में कोई सम्मान प्राप्त नही होता है। इस कारण परिवार में तनाव बना रहता है और एक समस्या इन कामकाजी महिलाओं के सामने आ जाती है।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं में सम्मान प्राप्त न होने वाली महिलाओं में 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया की उक्त कारणों के अलावा उन्हें अन्य कारणों जैसे घर में देर से आना, बच्चों की उचित देखभाल न कर पाना, महिलाओं के तरफ के रिश्तेदार आ जाने से उनके परिवार के लोग सम्मान नहीं देते है, जिससे उन्हें काम करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समस्या थी कि उनका विवाह उनकी इच्छा अनुसार सम्पन्न नही होता है। विवाह हो जाने के बाद परिवार के मुखिया या माता पिता के इच्छा से विवाह हो जाने के बाद वे अपने पति के साथ रहने के लिये बाध्य हो जाती है इसलिये वे मानसिक रूप से अपने को तैयार नही

विवाह सम्बन्धी समस्यायें
पशुपालन एव मुर्गीपालन
नौकरी
सामग्री निर्माण
मजदूर
फुटकर व्यवसाय
कुल
350
300
250
200
150
100
50
0
संख्या
कम आयु
वर का चयन
उत्तर नही दिया
समस्यायें

चित्र सख्या 20

कर पाती है। विवाह महिलाओं की इच्छा एवं विकल्प निवारण से जीवन साथी चुनने का प्रबल कम्म होने के कारण आगे चलकर परिवार में विरोध एवं असहयोग का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है विवाह की औसत आयु 18 वर्ष रखा गया है, कम आयु में विवाह हो जाने से उन्हें शारीरिक समस्यायें, परिपक्व न होने के कारण बिमारी आदि समस्यायें आती हैं। उत्तरदातियों ने साक्षात्कार में बताया कि प्रायः विवाह लड़के की पढ़ाई, अच्छी नौकरी, उसके चरित्र और उसके खानदान को देखकर की जाती है। उनके अनुसार महिलायें न होने के कारण वैवाहिक असमायोजन की घटनायें महिलाओं के जीवन में घटती है। जैसा कि कुछ उत्तरादातियों ने बताया कि पुरूष के कठोर स्वभाव के कारण और उनकी रूचियों में विभिन्नता होना, असमायोजन का एक कारण रहा है। विवाह में होने वाली समस्याओं में कुछ महिलाओं को एक से अधिक समस्यें थी जिस सारणी संख्या 5:2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 5:2

विवाह सम्बन्धी समस्यायें

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	समस्या				कुल रोजगाररत महिलाएं
		दहेज	कम आयु	वर का चयन	उत्तर नही दिया	
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	64 (16.00)	5 (1.25)	60 (15.00)	2 (0.50)	68
2	नौकरी	50 (12.50)	1 (0.25)	40 (10.00)	06 (1.50)	56
3	सामग्री निर्माण	56 (14.00)	6 (1.50)	50 (12.50)	10 (2.50)	72
4	मजदूर	100 (25.00)	50 (12.50)	100 (25.00)	24 (6.00)	124
5	फुटकर व्यवसाय	69 (17.25)	19 (4.75)	50 (12.50)	16 (4.00)	80
	कुल	339 (84.75)	81 (20 25)	300 (75.00)	58 (14.50)	400 (100 00

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है।)

सारणी संख्या 5:2 से प्रतीत होता है कि कार्यरत महिलाओं के परिवार में विवाह सम्बन्धी समस्यायें थी। समस्याओं में सबसे अधिक दहेज प्रथा और सबसे कम आयु में शादी की समस्यायें देखने को मिली है। 84.75 महिलाओं का विचार था कि उनके परिवार में वर द्वारा दहेज की मांग होने के कारण उनकी शादी होने में कठिनाई हुई है। 20.25 प्रतिशत महिलाओं का विचार था कि उनके परिवार में उनका विवाह कम आयु में ही कर दिये थे जो कि मानसिक रूप से तैयार नही थीं। 75.00 प्रतिशत महिलाओं का विचार था कि उनको परिवार के लोग पति चुनने का अवसर ही नही दिया गया अपितु उनकी राय लिये बिना शादी कर दिये जिससे महिलाएं मन पसंद पति का चयन नही कर पायीं। 14.50 प्रतिशत महिलाओं ने अपने विवाह सम्बन्धी कोई उत्तर नही दिया।

व्यवसाय समूह के अनुसार पशुपालन एवं मुर्गीपालन समूह में 16.00 प्रतिशत महिलायें दहेज की समस्यायें बताती हैं। 1.25 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में विवाह होने की समस्यायें बतायी । 15.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति के चयन में अवसर नही दिया गया 0.50 प्रतिशत महिलाओं ने इसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया।

नौकरी व्यवसाय समूह में 12.50 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज की समस्यायें बतायी हैं। 0.25 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में विवाह होने की समस्याये बतायी । 10.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया है कि उन्हें पति के चयन में अवसर नही दिया गया। 1.50 प्रतिशत महिलाओं ने इससे सम्बन्धित कोई उत्तर नही दिया।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में 14.00 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज की समस्यायें बतायी है। 1.50 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में विवाह होने की समस्यायें बतायी। 12.50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति के चयन में अवसर नही दिया गया। 2.50 प्रतिशत महिलाओं ने इससे सम्बन्धित कोई उत्तर नहीं दिया।

मजदूर व्यवसाय समूह में 25.00 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज की समस्यायें बतायी है। 12.50 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में होने वाली विवाह की समस्यायें बतायी। 25.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति के चयन के

लिए अवसर नही दिया गया। 6.00 प्रतिशत महिलाओं ने इससे सम्बन्धित कोई उत्तर नही दिया।

फुटकर व्यवसाय समूह में 17.25 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज की समस्यायें बतायी है। 4 75 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में होने वाली समस्यायें बतायी। 12 50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें पति के चयन के लिये अवसर ही नहीं दिया गया। 4.00 प्रतिशत महिलाओं ने इससे सम्बन्धित कोई उत्तर नही दिया।

स्वास्थ्य की समस्यायें :

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं एवं उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियाँ थीं। चयनित उत्तरदातियों का कहना था कि घर एवं घर के बाहर अधिक समय तक कार्य करने, परिवार में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अपने एवं परिवार का उपचार सही समय नही करा पाती है। चिकित्सकों की शुल्क अधिक होने कारण, दवाएं मंहगी होने के कारण और सरकारी चिकित्सालयों में समय अधिक लगने के कारण इलाज नही हो पाता। इन सभी तथ्यों को सारणी संख्या 5:3 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 5:3

महिलाओ की उचित चिकित्सा न होने के कारण:

(सख्या)

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	समस्या				योग
		धन का अभाव एवं मंहगी दवाये	रूढ़िवादिता	अज्ञानता	समयाभाव एवं दूरी	
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	61 (89.71)	1 (1.47)	1 (1.47)	5 (7.35)	68 (100.00)
2	नौकरी	50 (89.29)	1 (1.78)	1 (1.78)	4 (7.15)	56 (100.00)
3	सामग्री निर्माण	66 (91.67)	1 (1.39)	1 (1.39)	4 (5.55)	72 (100.00)
4	मजदूर	95 (76.61)	8 (6.45)	15 (12.10)	6 (4.84)	124 (100.00)
5	फुटकर व्यवसाय	78 (97.50)	1 (1.25)	-	1 (1.25)	80 (100.00)
	कुल	350 (87.50)	12 .(3.00)	18 (4.50)	5 (5.0)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है।)

सारणी संख्या 5:4 से प्रतीत होता है कि धन की कमी एव दवायें मंहगी होने के कारण 87.50 प्रतिशत महिलायें अपना या परिवार का इलाज न कर पाने की समस्या बतायी। 3.00 प्रतिशत महिलायें अपनी रूढ़िवादिता के कारण चिकित्सा न करने का कारण बतायी। 4.50 प्रतिशत महिलाओं को बीमारी की जानकारी न होने के कारण स्वयं का या परिवार की चिकित्सा नही करा पायी। 5.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि काम में अधिकता होने के कारण और अस्पताल दूर होने के कारण स्वयं का इलाज नही करा पाती है।

व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गीपालन समूह में रोजगाररत महिलाओं में 89.71 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि धन की कमी और दवायें मंहगी होने के कारण अपना और परिवार के लोगों का इलाज नही करा पाती हैं, जिससे उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं में प्रमुख समस्या है। रूढ़िवादिता के कारण 1.47 प्रतिशत महिलायें और अज्ञानता के कारण 1.47 प्रतिश महिलायें भी अपनी एवं परिवार का उपचार नही करा पाती है। 7.35 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि काम के कारण समय न होना और अस्पताल की दूरी होने के कारण वे अपना और परिवार का इलाज नही करा पाती हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 89.29 प्रतिशत महिलाओं ने बताया की धन की कमी और दवायें मंहगी होने के कारण अपना और परिवार के लोगों का इलाज नही करा पाती हैं जिससे उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं में प्रमुख समस्या है। 1.75 प्रतिशत महिलायें रूढ़िवादिता के कारण, 1.78 प्रतिशत महिलायें अज्ञानता के कारण अपना इलाज नही कर पाती है। 7.15 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि काम के कारण समय न होना और अस्पताल की दूरी होने के कारण वे स्वयं और अपने परिवार का इलाज नही करा पाती है।

सामग्री निर्माण समूह में रोजगाररत महिलाओं में 91.67 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि धन की कमी और दवायें मंहगी होने के कारण स्वयं का और परिवार के लोगों का इलाज नही करा पाती है जिससे उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं में

प्रमुख समस्या है। 1.39 प्रतिशत महिलायें रूढ़िवादिता के कारण और 1.39 प्रतिशत महिलाऐं अज्ञानता के कारण अपना इलाज नही करा पाती है जिससे उक्त कारण का चिकित्सा सम्बन्धी परेशानी बतायी है। 5.55 प्रतिशत महिलायें समय न होने और अस्पताल की दूरी होने के कारण वे स्वयं और अपने परिवार का इलाज नही कर पाती हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 76.61 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि धन की कमी और दवायें मंहगी होने के कारण स्वयं का और परिवार के लोगों का इलाज नही करा पाती हैं, जिससे उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं में प्रमुख समस्या हैं। 6.45 प्रतिशत महिलाऐं रूढ़िवादिता के कारण अपना इलाज नही करा पाती हैं। 12.10 प्रतिशत महिलाये अज्ञानता के कारण अपना इलाज नही कर पाती हैं। 4.84 प्रतिशत समय न होने और अस्पताल की दूरी होने के कारण वे स्वयं और अपने परिवार का इलाज नहीं कर पाती जो कि उक्त चिकित्सा सम्बन्धी समस्यायें हैं।

फुटकर ब्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 97 50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि धन की कमी और दवाएं मंहगी होने के कारण स्वंय का और अपने परिवार का इलाज नही करा पाती जिससे उन्हे चिकित्सा सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1.25 प्रतिशत महिलाऐं रूढ़िवादिता के कारण अपना इलाज नही करा पाती है। इस समूह में अज्ञानता सम्बंधी समस्याओं को किसी महिलाओं ने नही स्पष्ट किया है। 1.25 प्रतिशत महिलाओं के पास समय न होने के कारण वे स्वंय व अपने परिवार का इलाज नही करा पाती हैं।

शिक्षा की समस्यायें :

महिला साक्षरता अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास के लिये महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाओं की साक्षरता का देश के सम्पूर्ण विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं ने अपने साक्षात्कार में बताया कि पुरूष प्रधान समाज होने के बाद भी जब एक

पुरूष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और जब एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता हैं । लगता है कि इलाहाबाद नगर की तपोभूमि से प्रभावित रहे पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इन्हीं तथ्यों का समर्थन करते हुए कथा था कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवर की शिक्षा है समय की मांग है कि महिलाओं की साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाय और शिक्षण में उन्हें भागीदार बनाया जा सके।[1]

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं में 33.50 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित थीं। इन लोगों का कहना था कि परिवार में शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण नही था घरों से स्कूल की दूरी, अधिक कमाई की लालच में स्कूल नही जा पाना, स्कूलों में प्रवेश लेने के बाद बहुत सी स्त्रियां पढ़ाई नही कर पाती है। घर–परिवार की आर्थिक स्थिति, जन साधारण की उदासीनता, समाजिक–दृष्टि से लड़के का महत्व और लड़की के प्रति भेद-भाव लड़कियों का जल्दी विवाह, महिलाओं को नौ वर्ष या इससे कम आयु में श्रम साध्य कार्यो में लगा देना, छोटे भाई बहनों की देखभाल, घरेलू कार्यो में उनकी मदद करने के अलावा स्कूलों में महिला शिक्षकों की कमी भी लडकियों द्वारा पढाई छोड़ने का एक कारण है। जिसे हम सारणी संख्या 5:4 से स्पष्ट कर सकते है।

सारणी संख्या 5:4

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं में अशिक्षा के कारण

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	समस्या (प्रतिशत में)					
		आर्थिक कारण	लिंग भेदभाव	जल्दी विवाह	कम आयु मे कामकाज	परिवारिक समस्याये	अन्य कारण
1	पशुपालन एव मुर्गीपालन	6.50	3 00	1 25	2 00	3 50	.75
2	नौकरी	5.50	2 50	0.75	1.50	3.00	75
3	सामग्री निर्माण	7.50	3.00	1.50	2.00	3.25	.75
4	मजदूर	8.75	5.25	11.25	25.00	2 00	1.25
5	फुटकर व्यवसाय	7.25	3.00	4.75	0.75	3.25	1.00
कुल		35.50	16.75	19.50	8.75	15.00	4.50

[1] मो0 हारूल महिला साक्षरता : दशा और दिशा, योजना नवम्बर (1999)

सारणी संख्या 5·4 से प्रतीत होता है कि इलाहाबाद नगर में रोजगाररत महिलाओं ने अपनी समस्याओं में बताया कि वे अशिक्षित एवं पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त न कर पाने के कारणों में 35.50 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें समस्यायें पैदा हुई है। जिससे वे शिक्षा से वंचित रही है। 16.75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि लिंग भेद-भाव के कारण शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें थीं। 19.50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि कम आयु में परिवार के लोग विवाह कर देने के कारण शिक्षित नही हो पायी है। 8.75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि कम आयु में काम करने के कारण शिक्षा से वंचित रही है। 15.00 प्रतिशत महिलाओं ने अपने परिवारकि समस्याओं के कारण अशिक्षित रही है। 4 50 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है।

व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गी पालन व्यवसाय समूह में 6 50 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक स्थिति, 3.50 प्रतिशत महिलाओं ने लिंग भेद-भाव, 1.25 प्रतिशत महिलाओं ने बाल विवाह सम्बन्धी समस्यायें बतायी। 2.00 प्रतिशत महिलाओं में कम आयु में काम करना, 3.00 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक समस्यायें 0.75 ने अन्य कारण शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में 5.50 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक स्थिति, 2 50 प्रतिशत महिलाओं ने लिंग भेदभाव, 0.75 प्रतिशत में बाल विवाह, समबन्धी समस्यायें बतायी, 1.50 प्रतिशत महिलाओं ने कम आयु में काम करना, 3.00 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक समस्यायें, 0.75 प्रतिशत ने अन्य कारण शिक्षा सम्बन्धी अपनी समस्यायें बतायी हैं।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में 7 50 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, 3.00 प्रतिशत महिलायें लिंग भेदभाव होने के कारण, 1.50 प्रतिशत महिलायें बाल विवाह हो जाने के कारण, 2.00 प्रतिशत महिलायें कम आयु में काम करने के कारण 3.25 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण, 0.75 प्रतिशत महिलायें थी जो अन्य कारण शिक्षा सम्बन्धी अपनी समस्यायें बतायी हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में 8.75 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, 5 25 प्रतिशत लिंग भेदभाव होने के कारण, 11.25 प्रतिशत महिलायें बाल विवाह हो जाने के कारण, 25.00 प्रतिशत महिलायें कम आयु में काम करने के कारण, 2.00 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण, 1 25 प्रतिशत महिलायें थीं जो अन्य कारण शिक्षा सम्बन्धी अपनी समस्यायें बतायी हैं।

फुटकर व्यवसाय समूह ये 7.25 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, 3.00 प्रतिशत महिलायें लिंग भेदभाव होने के कारण, 4 75 प्रतिशत महिलायें बाल विवाह हो जाने के कारण, 0.75 प्रतिशत महिलायें कम आयु में काम करने के कारण, 3.25 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण, 1.00 प्रतिशत महिलायें थी जो अन्य कारण शिक्षा सम्बन्धी अपनी समस्यायें बतायी हैं।

व्यवसाय चयन सम्बन्धी समस्यायें :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं ने अपने कार्य की पद्धति रोजगार की प्रतिस्पर्द्धा, कार्य की अवधि रोजगाररत लोगों से परिवार की अधिक अपेक्षायें और रोजगार की संतुष्टी महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। महिलाओं के अन्दर अनेक प्रकार के कार्य करने के कल्पनायें होती हैं। जिन कार्यो में महिलाओं को उनकी कल्पना के अनुसार कार्य मिल जाता है वो सन्तुष्ट और जिन्हें नहीं मिलता वे असन्तुष्ट हो जाती हैं। ये असन्तुष्टी ही उनकी मुख्य समस्या का कारण बनती है। 62 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलायें अपने कार्य से सन्तुष्ट नहीं है उनकी असन्तुष्टी का कारण उनकी समस्या रोजगार के चुनाव की समस्या है प्रमुख समस्याओं में चयनित महिलाओं ने बताया है कि उन्हें क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। कुछ महिलाओं ने बताया कि कार्य के अनुसार उन्हें आर्थिक मजदूरी प्राप्त नहीं होती है जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हे अपने रोजगार में सन्तुष्टी अपने परिवार में सहयोग न होने के कारण है। महिलाओं को रोजगार सम्बन्धी शिक्षा एवं प्रशिक्षण न होना भी उनके असन्तुष्टी का कारण रहा

है अन्य कारण में बतायी हैं कि उन्हें घर से दूरी कार्य करने जाना पड़ता है, कार्य मालिकों का व्यवहार अच्छा न होना, आदि कारण बताया है जिसे निम्न तालिका 5:5 से स्पष्ट कर सकते हैं।

सारणी संख्या 5:5
व्यवसाय चयन में कठिनाई के कारण

(प्रतिशत में)

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	क्षमता के अनुसार कार्य न मिलना	कार्य के अनुसार मजदूरी/श्रमिक न मिलना	परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना	शिक्षा एव प्रशिक्षण का अभाव	अन्य	योग
1	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	1.61	6.05	2 82	3 23	2 02	15 73
2.	नौकरी	2 42	8.47	1.21	0.80	1.21	14 11
3.	सामग्री निर्माण	2.42	8.47	2 83	2 82	0.80	17.34
4.	मजदूर	4.03	17.34	4 03	4.84	3 23	33.47
5.	फुटकर व्यापार	4 44	9.67	1.21	2 42	1.61	19.35
	योग	14 92	50.00	12 10	14.11	8.87	100 00

सारिणी संख्या 5:6 से प्रतीत होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं में उन्हें रोजगार का चयन करने में कठिनाइयों में सबसे अधिक परेशानी रही है कि उन्हें कार्य के अनुसार उसकी मजदूरी /पारिश्रमिक कम प्राप्त हुआ है इस तरह की 50 प्रतिशत महिलाओं ने समस्या बतायी है। 14.92 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है जिससे वे जो रोजगार करना चाहती हैं उसे नहीं कर पाती हैं अपितु जीविकोपार्जन हेतु जो भी कार्य मिला उसी को करने के लिए बाध्य होती हैं। 12.10 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भी उन्हें रोजगार करने में कठिनाई होती है। 14.11 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें रोजगार से सम्बन्धित शिक्षा नहीं मिली है या उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है इसलिए उन्हें

कठिनाई है। 8 87 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है जिसमें घर से कार्य स्थल दूर होना, यातायात साधन न होना, मालिकों का व्यवहार अच्छा नहीं होना बताया है।

व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह की रोजगाररत महिलाओं ने रोजगार चयन में होनेवाली परेशानियों में 1.61 प्रतिशत महिलाओं ने क्षमता के अनुसार कार्य न मिला, 6 05 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार मजदूरी/प्रारिश्रमिक प्राप्त न होना, 2.82 प्रतिशत महिलाओ ने परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त न होना, 3.23 प्रतिशत महिलाओं ने दिशा एव प्रशिक्षण का अभाव एवं 2.02 प्रतिशत महिलाआनें के अन्य कारण बताया है।

नौकरी व्यवसाय समूह की रोजगाररत महिलाओं ने रोजगार चयन में होने वाली परेशानियों में 2 42 प्रतिशत महिलाओं ने क्षमता के अनुसार कार्य न मिलना, 8 47 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार मजदूरी पारिश्रमिक प्राप्त न होना, 1.21 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त न होना, 0.80 प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव एवं 1.21 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है।

सामग्री निर्माण समूह की रोजगाररत महिलाओं ने रोजगार चयन में होने वाली पेरशानियों में 2.42 प्रतिशत महिलाओं ने क्षमता के अनुसार कार्य न मिलना, 8.47 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार मजदूरी पारिश्रमिक प्राप्त न होना। 2.83 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना, 2.82 प्रतिशत महिलाओं शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव एवं 0.80 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं ने रोजगार चयन में होने वाली परेशानियों में 4.03 प्रतिशत महिलाओं के क्षमता के अनुसार कार्य न मिलना, 17.34 प्रतिशत महिलाओं के कार्य के अनुसार मजदूरी श्रमिक का पारिश्रमिक प्राप्त न होना, 4 03 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना, 4.84

प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आभाव, 3 .23 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है।

फुटकर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं ने रोजगार चयन में होने वाली परेशानियों में 4 44 प्रतिशत महिलाओं के क्षमता के अनुसार कार्य न मिलता, 9 67 प्रतिशत महिलाओं के कार्य के अनुसार मजदूरी श्रमिक का पारिश्रमिक प्राप्त न होना, 1 21 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना, 2. 42 प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव, 1.61 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण बताया है।

आवास की समस्या :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की समस्याओं में आवास की समस्या प्रमुख रही हैं। कार्य करने वाली महिलाओं ने साक्षात्कार में बताया कि उनके अपने निजी मकान नहीं है जिससे उन्हें परेशानी होती है। जिससे उन्हें मकान मालिक का व्यवहार, मकान का किराया, अन्य सुविधाओं सम्बन्धी परेशानियां होती हैं। जिससे मकान न होने के कारण होती है। कुल महिलाओं ने अपना निजी मकान या किराये का मकान होते हुए भी स्थान की कमी बतायी हैं। स्थान की कमी होने के कारण वे अपने परिवार एवं पशुओं के निवास के स्थान की कमी महसूस करते हैं। इसके साथ ही साथ अपने व्यवसाय के प्रयोग में होने वाले स्थान की कमी को भी इस समस्या में लिया गया है। कुछ महिलाओं ने पानी की एवं बिजली से सम्बन्धित अपनी समस्या बतायी है उनका कहना है कि उनके घर में नल एवं विद्युत कनेक्शन नहीं है यदि है भी तो आवश्यकता पड़ने पर पानी की सप्लाई नहीं होती है जिसमें उनकी समस्या का कारण बनी है। कुछ महिलाओं ने अपनी दयनीय स्थिति होने के कारण झुग्गी एवं झोपड़ी में रहती हैं और उनके मकान टीन या खपरैल से बने हुए हैं। इससे मकान निर्माण की समस्याओं में रखी गयी है। उक्त परेशानियों को बताते हुए और भी समस्यायें है। जैसे - पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार न होना, घर तक यातायात की सुविधा न होना, मकान का खुला न

अशिक्षित एवं पूर्णरूपेणशिक्षित होने में समस्यायें
30
25
20
15
10
5
0
संख्या प्रतिशत में
पशुपालन एव मुर्गीपालन
नौकरी
सामग्री निर्माण
मजदूर
फुटकर व्यवसाय
आर्थिक कारण
लिग भेदभाव
जल्दी विवाह
कम आयु में कामकाज
परिवारिक समस्यायें
आचरण
समस्यायें

चित्र संख्या 21

होना, कारणों को अन्य समस्याओं में रखा गया है इसे सारणी संख्या 5:6 से दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या 5:6
महिलाओं की आवास सम्बन्धी समस्यायें

(संख्या)

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	समस्यायें					कुल रोजगाररत महिलायें
		निजी मकान नहीं है	स्थान की कमी	पानी एवं बिजली	मकान कच्चा निर्माण	अन्य	
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	-	30 (7.50)	40 (10.00)	20 (5.00)	6 (1.50)	68 (17.00)
2.	नौकरी	3 (0.75)	29 (7.25)	25 (6.25)	10 (2.50)	4 (1.00)	56 (14.00)
3	सामग्री निर्माण	2 (0.50)	40 (10.00)	45 (11.25)	29 (7.25)	5 (1.25)	72 (18.00)
4.	मजदूर	23 (5.75)	75 (18.75)	95 (23.75)	90 (22.50)	10 (2.50)	124 (31 00)
5.	फुटकर व्यापार	6 (1.50)	49 (12.25)	55 (13 75)	4 (1 00)	7 (1.75)	80 (20.00)
	योग	34 (8 50)	223 (55.75)	260 (65.00)	153 (38.25)	32 (8 00)	400 (100 00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अकित है)

सारणी संख्या 5·7 से प्रतीत होता है कि 8 50 प्रतिशत महिलाओं के निजी मकान नहीं है इसलिए वे किराये पर रहती हैं। इसलिए उनकी यह समस्या बन गयी है। 55 75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें रहने के लिए जो स्थान है वो कम है। 65.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके निवास स्थान पर पानी एवं बिजली सम्बन्धी परेशानी है 38.25 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनका मकान का निर्माण सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित हैं। 8.00 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी समस्याओं का अन्य कारण बताया है।

व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह में रोजगाररत महिलाओं के पास अपने निजी मकान उपलब्ध हैं लेकिन 7.50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास जो स्थान है वो पर्याप्त स्थान नहीं है इसलिए उन्हें स्थान की कमी रहती है। 10.00 प्रतिशत महिलाओं में अपने निवास स्थान पर बिजली एवं पानी सम्बन्धी समस्यायें बतायी। 5.00 प्रतिशत महिलाओं ने मकान कच्चा एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 1.50 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण आवास सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं के पास 0 75 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने निजी मकान नही हैं। लेकिन 7.25 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास जो स्थान है तो पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें स्थान की कमी रहती है। 6.25 प्रतिशत महिलाओं ने अपने निवास स्थान पर बिजली एवं पानी सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 2.50 प्रतिशत महिलाओं ने मकान कच्चा एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 1 00 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण आवास सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

सामग्री निर्माण व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं के पास 0 50 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने मकान निजी मकान नही है। 10.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास जो स्थान है वो पर्याप्त नहीं है इसलिए उन्हें स्थान की कमी रहती है। 11.25 प्रतिशत महिलाओं ने अपने निवास स्थान पर विजली एवं पानी सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 7.25 प्रतिशत महिलाओं ने मकान कच्चा एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 1.25 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण आवास सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं के पास 5.75 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने निली मकान नही हैं। 18.75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास जो स्थान है वो पर्याप्त नहीं इसलिए उन्हें स्थान की कमी रहती है। 23.75 प्रतिशत महिलाओं ने अपने निवास स्थान पर बिजली एवं पानी सम्बन्धी

समस्यायें बतायीं। 22.50 प्रतिशत महिलाओं ने मकान कच्चा एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्यायें बतायीं। 2 50 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

फुटकर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं के पास 1 50 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने मकान नही है। 12 25 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके पास जो मकान उपलब्ध है वो पर्याप्त नहीं है। 13 75 प्रतिशत महिलाओं ने अपने निवास स्थान पर बिजली एवं पानी सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं। 1.00 प्रतिशत महिलाओं ने मकान कच्चा एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं। 1.75 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण आवास सम्बन्धी समस्यायें बतायी हैं।

मजदूरी/पारिश्रमिक सम्बन्धी समस्यायें :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के मजदूरी/पारिश्रमिक समस्यायें रही हैं। महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार मजदूरी प्राप्त नहीं होती थी। यदि वे कोई व्यवसाय करती थी उनका पारिश्रमिक भी उचित प्राप्त नहीं होता है। जिससे कार्य के अनुसार पारिश्रमिक न मिलना कारण बताया गया है। द्वितीय समस्या ये थी कि वे निश्चित समय पर अपनी मजदूरी या विक्रय किये हुये समान का मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते थे इस कठिनाई को हम निश्चित समय पर पारिश्रमिक न पाना इस कठिनाई समूह की समस्याओं में रखा हैं। तृतीय कठिनाई में उन्होंने बताया है कि समान खराब होने पर उनकी मजदूरी से काट लिया जाता है या उनके द्वारा विक्रय हेतु क्रय वस्तु खराब हो जाने के कारण उसकी आर्थिक हानि होती है जिसे सामग्री खराब एवं आर्थिक क्षति समस्या में रख गया है। चौथी समस्या ये रही है कि उन्हें अपने समान को बेचने का स्थल कर चुंगी और उत्पादित वस्तुओं पर कमीशन अधिक देना पड़ता है। इसलिय उन्हें समस्यायें होती है। निश्चित समय पर उत्पादित वस्तु का लाभ प्राप्त नही होता है। इसे कर/चुंगी अधिक लेना समस्या में रखा गया है। उक्त समस्याओं को छोड़कर अन्य होने वाले समस्याओं को अन्य समस्याओं में रखा गया है। जिसे हम सारणी संख्या 5:7 से स्पष्ट कर सकते है।

सारणी सख्या 5:7

मजदूरी/पारिश्रमिक सम्बन्धी समस्याये

क्र0 सं0	व्यवसाय समूह	मुख्य समस्याये					कुल रोजगाररत महिलायें
		कार्य के अनुसार पारिश्रमिक न मिलना	निश्चित समय पर पारिश्रमिक न मिलना	सामग्री खराब होने पर आर्थिक क्षति	चुगी अधिक लेना	अन्य कारण	
1.	पशुपालन एवं मुर्गीपालन	2 (0.50)	22 (5.50)	30 (7 50)	4 (1.00)	10 (2.50)	68 (17.00)
2	नौकरी	40 (10.00)	11 (2 75)	–	–	5 (1.25)	56 (14.00)
3.	सामग्री निर्माण	19 (4.75)	37 (9.25)	11 (2 75)	2 (0.50)	3 (0.75)	72 (18.00)
4.	मजदूर	70 (17.50)	45 (11.25)	4 (1.00)	–	5 (1.25)	124 (31.00)
5.	फुटकर व्यापार	10 (2.50)	23 (5.75)	20 (5.00)	19 (4.75)	8 (2.00)	80 (20.00)
	योग	141 (35.25)	138 (34.50)	65 (16.25)	25 (6.25)	31 (7.75)	400 (100.00)

(कोष्ठक में प्रतिशत अंकित है।)

सारणी संख्या 5:8 से प्रतीत होता है कि 35.25 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 34.50 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है या उन्हें निश्चित समय पर उपस्थित वस्तु का लाभ प्राप्त नही होता है। 16.25 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब से जाने के कारण मजदूरी काट लेना या उत्पादित वस्तु के खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 6.25 प्रतिशत महिलाओं को कर/चुंगी अधिक देना पड़ता है। तो 7.75 प्रतिशत महिलायें अन्य कारणों से उन्हें समस्यायें होती है।

व्यवसाय समूह के आधार पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह में रोजगाररत महिलाओं ने 0 50 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 5.50 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। 5 50 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। या उन्हें निश्चित समय पर उत्पादित वस्तु का लाभ नही होता है। 7 50 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 1.00 प्रतिशत महिलाओं को कर/चुंगी अधिक देना पड़ता है। 2 50 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें अन्य कारणों से समस्यायें होती है।

नौकरी व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 10.00 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 2.75 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। 1.25 प्रतिशत ने बताया अन्य कारणों से उन्हें समस्यायें होती हैं।

सामग्री निर्माण समूह में रोजगाररत महिलाओं में 4.75 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 9.25 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। या उन्हें निश्चित समय पर उत्पादित वस्तु का लाभ नही होता है। 2.75 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 0.50 प्रतिशत महिलाओं को कर/चुंगी अधिक देना पड़ता है। 0.75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें अन्य कारणों से समस्यायें होती हैं।

मजदूर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 17.50 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 11.25 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। या उन्हें निश्चित समय पर उत्पादित वस्तु का लाभ नही होता है। 1.00 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 1.25 प्रतिशत महिलाओं को अन्य कारणों से उन्हें समस्यायें होती हैं।

फुटकर व्यवसाय समूह में रोजगाररत महिलाओं में 2.50 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नही मिलता है। 5.75 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी/पारिश्रमिक नही मिलता है। या उन्हें निश्चित समय पर उत्पादित वस्तु का लाभ नही होता है। 5.00 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 4 75 प्रतिशत महिलाओं को कर/चुंगी अधिक देना पड़ता है। 2.00 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि अन्य कारणों से उन्हें समस्यायें होती हैं।

एक दिन में दो तरह के कार्य की समस्यायें :

इलाहाबाद नगर मे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिका श्रमिक और स्त्री के रूप में करनी पड़ती है। महिलायें अक्सर एक दिन में दो तरह का कार्य करती हैं जो महिला आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारी अकेले ही निभानी पड़ती है। घर से बाहर 4 से 5 घण्टे कार्य करने के बाद वे घर में परम्परागत पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे - एक पत्नी के रूप में, बच्चों की सेवा करने में, बडे और बुजुर्ग की सेवा करने, घरेलू प्रबन्धक का खाना बनाने के रूप में, इत्यादि कार्यो के रूप में निभानी पड़ती है। साथ ही साथ महिलाओं की योग्यता पर एक प्रतिबन्ध लगाने के समान है जिससे पुरुषों के साथ समान रूप से श्रम-बाजार में प्रतियोगिता न कर सकें। पैसे के लिए और पुराने विचारों के अनुसार बच्चों के पालने, घरेलू कार्य, पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक गतिविधियों में तैयार होने के लिए प्रवेश करने और बराबर भागीदारी तथा विकास की सम्भावना पर प्रतिबन्ध लगाता है।

इस क्षेत्र में कार्य कर रही बहुत सी महिलायें अपनी बहुमुखी भूमिका को पूरा करने के लिए जीवन में घर के कार्यो पर विशेष ध्यान देती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी उन्नति और प्रशिक्षण के अवसर को ठुकराती हैं। हर तरह के घरेलू कार्य उपलब्ध छुट्टी को भोग कर सकती हैं इसे नियोजक के द्वारा गलत समझा जाता है कि महिलायें अपने कार्य के प्रति मन नहीं लगाती हैं। घरेलू कार्यो में पुरुष की भूमिका लगभग 8 से 10 प्रतिशत है। इलाहाबाद नगर में देखा गया है कि जिस परिवार में महिला पढ़ी लिखी हैं उनके पति घरेलू कार्यो में मदद करते हैं।

जिस परिवार में महिलायें अशिक्षित हैं उनके पति घरेलू कार्य में कम या कभी-कभी बिल्कुल ही सहयोग नहीं देते हैं। अधिकांशतः परिवार में महिलाओं द्वारा पुरुषों द्वारा घरेलू कार्यो में मदद करें इस जिम्मेदारी के लिए हमेशा झगड़ा होता है। यह बड़े दुख की बात है कि समाज में बहुत कम ही लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि महिलाओं को भी आराम करने का अधिकार है।

लिंग की गलत आकांक्षायें :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं ने बताया कि लोग महिलाओं को निम्न और सरल स्वभाव को घरों में होना मानते हैं। कार्य करने की जगह पर अपने ऊपर के अधिकारी और समाज के ताकतवर के लोगों के साथ होना समझा जाता है। स्त्रियों को शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर किसी कार्य को जल्दी से सीखने की प्रवृत्ति होती है। महिलायें पुरुष के प्रभाव का प्रतिरोध और विरोध करती हैं तो उस महिला को सुशील महिला नहीं समझा जाता है। महिलाओं की आवश्यकता को दूसरे की आवश्यकता के रूप में माना जाता है जैसे - बच्चों की परीक्षा के समय, परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ जाने पर हमेशा स्त्रियों को ही छुट्टी लेनी पड़ती है। जिससे इन परिस्थितियों के लिए इन्तजाम किया जा सके। बच्चों की देखभाल हमेशा महिलाओं के लिए प्राथमिकता का विषय होता है। हमेशा महिलाओं को अपनी प्राथमिकता के लिए दूसरों के लिए त्याग करना पड़ता है।

अधिकांश महिलाओं का अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार करने का कारण उनकी सीमित कौशल शक्ति, कम शिक्षा और प्रशिक्षण पुरुषों की तुलना में कम होना, वैसे उद्योगों का होना जो अधिकतम महिलाओं को ही कार्य पर नियोजित करते हैं। लिंग के आधार पर खास प्रकार के कार्यो को महिलाओं के लिए आरक्षित रखना या परम्परागत लिंग के आधार पर परिवार में उनके कार्यो का बंटवारा और बढ़कर सबसे कम मात्रा में महिलाओं के लिए कार्य की उपलब्धता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जटिल आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ महिलाओं के अलग से विशेष प्रकार के व्यवसाय और निम्न प्रकार के व्यवसाय में कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं।

यौन शोषण :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं ने बताया कि यौन शोषण नियोजक द्वारा, ठेकेदारों द्वारा, मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा, रक्षा करने वाले सिपाहियों द्वारा और

अराजक तत्वों द्वारा होता है। यहाँ पर एक गम्भीर समस्या है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए यह घटनायें अधिकांशतः घरों में कार्य करने वाली महिलायें, महिला श्रमिक, उत्पादित वस्तुओं को संग्रह करने वाली महिलायें आदि ऐसी महिलायें शोषण का शिकार होती हैं, ठेकेदारों के देख-रेख में कार्य कर रही महिलायें या मध्यस्थ व्यक्तियों की देखरेख में कार्य करने वाली महिलायें, या ऐसी महिलायें जो अपने घरों से काफी दूर काम करती हैं उन्हें भी कभी-कभी तंग किया जाता है या डराया जाता है, उन्हें दबाव दिया जाता है कि गलत इच्छाओं की तुष्टि करें। लिंग का शोषण का उदाहरण यद्यपि एक व्यापक नहीं है फिर भी गलत व्यवहार, डर, स्वहस्तांतरण करने का डर आदि भी अन्य शोषण करने के तरीके हैं।

सामाजिक सुरक्षा से होने वाले लाभ से वंचित रहना :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलायें श्रमशक्ति के रूप में कार्य करती हैं जिन्हें उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। महिलायें स्थायी श्रमिक हैं, जो महिला श्रमिक की नियुक्ति आकस्मिक या प्रतिदिन मजदूरी या अर्द्धमासिक या मासिक रूप में किया जाता है लेकिन व्यवहारिक रूप से स्थायी श्रमिक को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा से वंचित होती हैं। महिलाओं का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा की योजनायें या तो अस्तित्व में नहीं है या हैं भी तो अपर्याप्त। बिना सोचे समझे विलम्ब से या साधारतः असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए क्रियान्वित नहीं होती हैं।

बीड़ी श्रमिक आजकल पूरी तरह से घरों में काम करने वाले ठेकेदारी प्रथा में रोजगाररत किये जाने लगे हैं ऐसी महिला श्रमिक को भी वैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं जैसा स्थायी श्रमिक को लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें कार्यरत लोगों का भुगतान पूर्णरूपेण टुकड़े दर या बेचने या खरीदने जैसी नई प्रथा में किया जा सकता है। जिसके द्वारा नियोजक कभी कानूनी तौर से बाधित नहीं होते हैं। आज भी बहुत सी महिला बीड़ी श्रमिक ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें परिचय पत्र प्राप्त हो सके। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा और चिकित्सा प्राप्त हो सके इसलिए यह एक समस्या बनी हुई है।

****

षष्टम अध्याय

❖ अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं पर सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रभाव

सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी विकास योजनाएं

सरकार बड़े उद्योग में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है तो वहीं छोटे पैमाने के उद्योगों ने रोजगार के अवसर सृजित किये हैं। हमें उनसे उम्दा किस्म के नफीस चाकलेट तो नहीं मिलते, लेकिन वे रोजगार सरीखी बुनियादी सुविधा प्रदान करते हैं।[1] स्त्रियों की पूरी भागेदारी की आवश्यकता को बदलाव, प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया में पूरे समाज में महसूस किया गया विकास को सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रगति बनाये रखने के लिये सभी जाति वर्ग एवं लिंगों की भागेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वनियोजित महिलाओं एवं अनौपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आयोग ने ये पाया है कि 90.00 प्रतिशत महिलायें असंगठित क्षेत्र में लगी हैं तथा केवल 10.00 प्रतिशत महिलायें संगठित क्षेत्र में लगी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की समस्यायें भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की पायी जाती हैं। महिला श्रमिक विशिष्ट प्रकार की समस्या का सामना करती हैं। महिला श्रमिक की समस्याओं को देखते हुए भी ये महसूस किया गया कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिये प्रयास किये जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ काम पर अच्छा व्यवहार किया जाय और राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान की पहचान किया जा सके।

भारतीय संविधान आर्थिक गतिविधियों पर महिलाओं और पुरुषों के साथ बराबर व्यवहार के लिये प्रावधान का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान महिलाओं को अधिकार और सुविधा ही प्रदान नहीं करता अपितु महिलाओं के विशेष उपबन्धों का प्रावधान करती है। जैसे-

समानता का अधिकार :

भारत के संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की स्वतंत्रता, व्याख्या, विश्वास,

---

[1] एस0 चिश्ती, "इडिया एण्ड डब्ल्यू0टी0ओ0 इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली", 36.14 और 15, 2001 पृष्ठ 1248

पूजा, अवसर और समाज में स्थान की समानता इस प्रकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जो किसी कानून के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है और न ही इसे खत्म किया जा सकता है। ऐसे अधिकारों में एक अधिकार समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है - राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं करता है।

लिंग आदि के आधार पर इसी तरह का भेद-भाव का विशेष अनुच्छेद 5, 15 (3) और 15(एस) में कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल-पेशा जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के प्रति किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जायेगा। राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह बच्चों एवं महिलाओं के लिये विशेष प्रकार का उपबन्धों का प्रावधान बना सकता है।

शोषण के विरूद्ध अधिकार :

बेगार तथा किसी प्रकार का जबरदस्ती किया हुआ श्रम निसिद्ध ठहराया गया है। संविधान में महिलाओं से लिये जाने वाले कार्य जैसे - सामाजिक बुराईयां और सामान्य प्रकार के जबरन मेहनत और अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत उसे दण्डनीय अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 39(अ) (छ) और (ई) सामाजिक न्याय जैसे सिद्धान्तों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 39 के अनुसार -

1. नागरिकों को पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से अपने जीविका उपलब्ध कराने के लिये समान अधिकार प्राप्त है।
2. पुरुष एवं महिलाओं के लिये समान काम करने के लिये समान वेतन का प्रबन्ध करना।
3. श्रमिकों के शक्ति और स्वास्थ्य, पुरुष एवं महिला, बच्चों के कोमल उम्र को तिरस्कार नहीं किया जाये और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण

दबाव नहीं डाला जायेगा कि वे अपने उम्र और ताकत से अधिक वस्तु उठाने का कार्य करें।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को अधिनियम और सुरक्षात्मक प्रावधान सरकार द्वारा जो किये गये हैं वो इस प्रकार हैं।

(1) बीड़ी और सिंगार श्रमिक (नियन्त्रण की शर्तें) अधिनियम 1966 :

इसके अन्तर्गत सुरक्षात्मक प्रावधान है कि महिला श्रमिक लोगों के लिए जब 50 या उससे अधिक वैसे नियोजित हैं जो प्रथम एवं दूसरे श्रम के अधीन आता है। जब 20 या उससे अधिक वैसे नियोजन नियन्त्रित हो जो 3 और 4 कानून में आता है जब 30 या उससे अधिक पैसे नियोजन में नियोजित हो जो प्रथम कानून के अन्तर्गत आता है।

(2) बगान समिति अधिनियम 1951 :

इस अधिनियम में सुरक्षात्मक प्रावधान है कि कुछ खाली समय होना चाहिए जिससे वो खाली समय कुछ खिला-पिला सकें।

(3) ठेके पर काम करने वाले श्रमिक अधिनियम 1970 :

इस अधिनियम सुरक्षात्मक प्रभाव है कि नौ घंटे से अधिक महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक कार्य करना (इसमें आया एवं दायी को छोड़कर) है।

(4) अर्न्तराज्यीय प्रवासी श्रमिक :

इस अधिनियम में सुरक्षात्मक प्रावधान है कि महिलाओं को अलग शौचालय एवं धोने की सुविधा नियोजक को देना आवश्यक है जो 3 और 6 कानून के अन्तर्गत आता है।

(5) कारखाना अधिनियम 1948 :

इसमें सुरक्षात्मक प्रावधान है कि कारखाना को महिला को सफाई का काम, चिकना करने वाले पदार्थ, मशीन के बाहरी भाग का समायोज्य, बदलने का मशीन

पर काम करना मना है। महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मजदूरी के साथ दिया जाता है।

(6) खदान अधिनियम 1952 :

इस अधिनियम में सुरक्षात्मक प्रावधान है कि महिलाओं को खदान के अन्दर काम करना वर्जित है।

(7) मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 :

इस अधिनियम में है कि 80 दिन काम करने के बाद महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। गर्भपात या बच्चे होने के तुरन्त बाद 6 सप्ताह तक महिलाओं को कार्य करना जरूरी नहीं है। कठिन कार्य लम्बे समय तक खडा होकर करने से महिला गर्भवती महिला को दिक्कतें महसूस होंगी। भ्रूण के सामान्य विकास की दिक्कतें गर्भपात को रोकने के लिये और अच्छे स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए एक महीने की छुट्टी, बच्चे के जन्म दिन के दिन से छ सप्ताह की महिला को प्रदान किया जाता है।

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये मातृत्व लाभ के लिए अनुमति प्रदान करना। यदि बच्चे के जन्म होने के पहले एवं बाद में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाय तो ऐसी स्थिति में रूपये 250 मेडिकल बोनस के रूप में दिया जाता है।

(8) समान मजदूरी अधिनियम 1976 :

इसमें सुरक्षात्मक प्रावधान है कि समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष एक महिला के लिये समान वेतन अधिनियम के प्रावधान द्वारा स0न0 4 में सुरक्षित किया गया है।

महिलाओं के नियोजन में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। जब तक कि किसी अधिनियम द्वारा महिलाओं के नियोजन पर रोक नहीं लगा दिया जाता।

उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा विनियम 1950, बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1966 आदि बनाये गये हैं।[1]

---

[1] वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, भारत सरकार, श्रम मत्रालय

महिला विकास कार्यक्रम :

सन् 1974 तक भारत की महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट आने पर सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम को विशेष रूप से महिलाओं के विकास के लिए नहीं बनाए गये थे। परिणामतः महिलाओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी हमारे योजना स्वनीति बनाने वाले के बीच में सुगम युद्ध कौशल के रूप में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के प्रति पक्षपात दूर करने के तरीके की तरह स्वीकार किया गया। इस ठोस नीति एवं कार्यक्रम के साथ महिला से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम द्वारा उनके विकास कार्यक्रम की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कुल आबादी की जनसंख्या का 48.2 प्रतिशत है। भारत सरकार की मदद से राज्य सरकार ने महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम लागू करता रहा है। जिनमें उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को सुधारने का विशेष ध्यान दिया गया है।

गरीबी की प्रगाढ़ता को कम करने, कमजोर एवं वंचित लोगों के लिए कल्याणकारी एवं सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शहरों की मलिन बस्तियों में मौलिक और संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की संख्या में कमी करने के, उनके स्थान पर (स्वर्ण जयन्ती, ग्राम स्वरोजगार योजना) नाम भी एकल योजना की घोषणा की गयी। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना, शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा मित्र योजना, बाल विद्या योजना, सर्वप्रिय योजना, किशोरी शक्ति योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना, जल निधि योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की गयी थीं और इन्हें संचालित भी किया जा रहा है।

सरकार द्वारा संचालित की गयी पूर्व विकास और कल्याण की योजनाओं पर दृष्टिपात करें तो मालूम होता है कि वर्तमान में उक्त वर्णित नयी योजनाओं के अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित सुनिश्चित येाजना (1993), प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम (1995), प्रधानमंत्री की रोजगार योजना,

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम, शहरी त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर प्रदान की हैं। इसी प्रकार कमजोर और पिछड़े वर्गो की वृद्धि और विकलांगों के इत्यादि को विशेष सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एवं उनके सशक्तीकरण जैसे अहम उद्देश्यों को लेकर कुछ कार्यक्रम एवं योजनायें संचालित की गयीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, बाल का श्रमिक योजना, प्रजनन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों हेतु महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम और महिला सशक्त योजना आदि हैं। सरकार द्वारा लागू प्रमुख योजनाओं के कार्यक्रम और महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए किए गये प्रयास इस प्रकार हैं :-

(1) शिक्षा सहयोग योजना :

शिक्षा सहयोग योजना केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 का बजट पेश करते समय संचालन की घोषणा की गयी थी। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को आठवीं कक्षा के बाद शिक्षा जारी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे पैसे के कारण उनकी शिक्षा बाधित न हो। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों के बच्चों को कक्षा-9 से कक्षा बारहवीं तक की शिक्षा प्राप्त करते समय प्रति बालक सौ रूपये प्रति माह का शिक्षा भत्ता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

(2) शैक्षणिक ऋण योजना :

सरकार ने लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने शैक्षणिक ऋण योजना संचालित कर रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को सस्ते दर पर आवश्यक ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये योजना राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को 15 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा। भारत में अध्ययन हेतु 7.5 लाख तक का ऋण और विदेशों में रूपये 15 लाख तक का ऋण

की सुविधा अध्ययन हेतु उपलब्ध है। इससे बदलती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण शिक्षा के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने में वो सक्षम हो सके। इस योजना के अन्तर्गत 4 लाख रू0 तक के ऋण हेतु विद्यार्थियों को कोई व्यक्ति को जमानत देने की जरूरत नहीं है।

(3) सर्वशिक्षा अभियान :

सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को वर्ष 2002 तक की सन्तोषजनक निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अहम उद्देश्य को लेकर इस योजना को संचालित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान ढाँचे का समुचित प्रकार से उपयोग करते हुये शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयासों को एक सूत्र में बांधते हुये उसे अधिकतम क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किया जायेगा। इस योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया है।

(4) आश्रय बीमा योजना :

आश्रय बीमा योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहे उदारीकरण के परिणाम स्वरूप प्रभावित एवं विस्थापित हो रही श्रम शक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर संचालित करने के लिए निर्णय बजट 2002 में किया गया। योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में लगे कर्मियों के विस्थापित होने की दशा में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। योजना में आर्थिक सुधारों के दौरान काम छिने हुए श्रमिकों को पिछले वेतन का 30 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाता है। ये योजना साधारण बीमा निगम द्वारा समूह संचालित करने का निर्णय लिया है।

(5) महिला स्वाधार योजना :

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के संचालन की घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 जुलाई, 2001 को की गई। योजना के अन्तर्गत निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा तथा प्रवासी महिलाओं को वरीयता दिए जाने की बात कही गई है। इस योजना को पूरे देश में कई चरणों में संचालित किया जाना है, योजना को त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से चलाया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित संसाधनों से इस योजना को संचालित किए जाने का निर्णण लिया गया है।

(6) किशोरी शक्ति योजना :

समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया गया है। यह योजना ऐसे परिवारों की बालिकाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आमदनी 6,400 रूपए तक है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाली गरीब परिवारों की बालिकाओं के उचित लालन-पालन, स्वास्थ्य और शिक्षित होने की सम्भावनाएं समाज में लड़के और लड़कियों में बरते जाने वाले भेदभाव और सामाजिक विषमता में कमी लाने की सम्भावनाएं व्यक्त की गई हैं। इस योजना को दो भागों में बाँट कर चलाया जा रहा है। पहली योजना 'गर्ल टू गर्ल एप्रोच' तथा दूसरी योजना को 'बालिका मण्डल योजना' का नाम दिया गया है। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है, दूसरे वर्ग की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(7) महिला स्वयं सिद्ध योजना :

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में इस योजना की घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 जुलाई, 2001 को केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठक में की गई, महिला स्वयं सिद्ध योजना को पूर्व से संचालित इन्दिरा महिला योजना

को पूर्व से संचालित इन्दिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, चूंकि यह दोनों योजनाएं कुछ निहित कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। नई योजना को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से संचालित किया जाना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

(8) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना :

प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती, नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, यह योजना भारतीय खाद्य निगम के द्वारा संचालित की जायेगी, योजना के अन्तर्गत गरीब लोगों के लिए सामूहिक भोज उपलब्ध कराने वाले धार्मिक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं और संगठनों को भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(9) अम्बेडकर वाल्मिकी मलिन बस्ती आवास योजना :

15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और निर्बल वर्गो के लोगों को आवासीय इकाइयों की व्यवस्था करना है। योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गो तथा अन्य कमजोर वर्गो के परिवारों का वहन योग्य मूल्य पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन हुडको द्वारा किया जायेगा, केन्द्र सरकार इस हेतु हुडकों को 2 हजार करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराएगी तथा एक हजार करोड़ रूपये वार्षिक अनुदान शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) कल्याण और सहायता सेवाएं :

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण की योजना का उद्देश्य अन्य स्थानों से शहरों में आने वाली निम्न आय-वर्ग की महिलाओं को सस्ती दर पर सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। कुछ होस्टलों में इन महिलाओं के बच्चों के लिए दिन के समय देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन आवास सुविधा, योजना वर्ष 1969 में शुरु की। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आश्रय, पुनर्वास सुविधा दी जाती है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण या किसी अन्य कारण से मुसीबत में है तथा जिन्हें, जब तक वे अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से उबर न जाए, तब तक आश्रय की जरूरत है। इस योजना में चिकित्सा, मनोचिकित्सा, परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक तथा रचनात्मक गतिविधियां और सामाजिक संबल जैसी सेवाओं/सुविधाओं का भी प्रावधान है। विभाग द्वारा नए आयाम स्वीकृत किए गए हैं लेकिन वर्तमान आवासों का देखभाल राज्य बोर्डो के जरिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड करता है।

(11) रोजगार और प्रशिक्षण :

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए मदद देने का कार्यक्रम 1987 में शुरु किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, पशु-पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग तथा रेशम कीट पालन, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास जैसे महिलाओं की प्रधानता वाले रोजगार कार्यो में गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनके हुनर में और सुधार करना है। इस कार्यक्रम में साधनविहीन और समस्त मजदूरों, निर्धन वर्गो तथा ऐसे परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनकी मुखिया महिला हैं।

नार्वे की विकास एजेंसी (नोराड) से सहायता प्राप्त महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्वयंसेवी

संगठनों को गैर सरकारी व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने और उपयुक्त व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। उन्हें कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलैक्ट्रानिक्स, घड़ियों के पुर्जे जोड़ना, रेडियो व टेलीफोन की मरम्मत, वस्त्र-निर्माण, सेकेट्री, के काम का प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कशीदाकारी और बुनाई जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुदानग्राही संगठनों में वित्तीय सहायता दी जाती है। इन कार्यक्रमों से अब तक 2,895 परियोजनाओं के जरिए 3 03 लाख महिलाओं को लाभ पहुँचा है।

जरूरतमंद महिलाओं की बुनियादी शिक्षा और हुनर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने शिक्षा की सघन योजना 1958 में शुरु की। इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को प्राथमिक, माध्यमिक और मैट्रिक-स्तर तक की परीक्षाओं के लिए महिलाओं को तैयार करने के लिए दो-वर्षीय पाठ्यक्रम और मैट्रिक अनुत्तीर्ण महिलाओं के लिए एक वर्ष का पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान बोर्ड ने 2002 महिलाओं के लिए (केन्द्रीय बोर्ड/राज्य-स्तर के बोडी) 381 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और उनके हुनर को बढ़ाने के लिए 1975 और 1997 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया। स्वयंसेवी संगठनों के जरिए ग्रामीण, जनजातीय, पिछड़े और शहरी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, अर्द्ध चिकित्सा व्यवसायों, टाइपिंग, शार्टहैंड जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डो के जरिए इन संगठनों की पहचान की जाती है। वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत 556 स्वयंसेवी संगठनों के जरिए 1,172.22 लाख रूपये मंजूर किए गए जिसमें 24,832 महिलाओं को लाभ पहुँचा।

(12) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम :

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम बेसहारा महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और शारीरिक रूप में विकलांग महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है उसके साथ ही महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए कृषि-आधारित इकाइयों, जैसे - डेरी, मुर्गी-पालन, सुअर-बाड़ा, बकरी-पालन, आदि की स्थापना करने में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता करता है। लेकिन पिछले दो सालों से कृषि-आधारित इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है। स्वयंसेवी संगठनों को उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला औद्योगिक केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग केन्द्र आदि इन परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं जो इन परियोजनाओं की व्यवहारिकता का ध्यान रखते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देना है। अलग-अलग मामले पर विचार करके उसी हिसाब से अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा तीन लाख रूपये है।

(13) बालिका समृद्धि योजना :

बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्तूबर, 1997 को हुई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार में 15 अगस्त 1997 को अथवा उसके बाद जन्म लेने वाले बालिका की मां को 500 रूपये की अनुदान राशि दी जाती है। 500 रूपये की सहायता राशि लड़की के नाम से डाकघर/बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। लड़की जब स्कूल जाने लगेगी तो उसकी सालाना छात्रवृत्ति भी उसी खाते में जमा कर दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक दी जाएगी। लड़की की आयु 18 साल होने और उसके तब तक अविवाहित होने पर, वह कुल जमाराशि (ब्याज-सहित) मिल जाएगी।

(14) स्वाधार :

कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए इस विभाग ने वर्ष 2001-02 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना स्वाधार शुरु की गई है। यह योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए हैं : दीन-हीन विधवाएं, जिनके परिवार वालों

ने उन्हें वृंदावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है; जेल से रिहा की गई महिला कैदी, जिसे परिवार का सहारा नहीं है; प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और उनके पास कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहारा नहीं है; वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी अथवा मुक्त कराई गई महिलाएं लड़कियां या यौन शोषण की शिकार ऐसी महिलाएं/लड़कियां, जिनके परिवार वालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है अथवा जो किसी अन्य कारणों से वापस अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हैं; आतंकवाद की शिकार महिलाएं, जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है तथा जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नहीं है; मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, जिन्हें परिवार अथवा रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती आदि।

इस योजना के तहत जो सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जाता है उसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं: आवास, खाना-पीना, कपड़े, स्वास्थ्य की देखभाल और परामर्श की सुविधा शिक्षा, जन-जागरण के जरिए सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के कदम, आचरण संबंधी प्रशिक्षण के जरिए कामकाजी हुनर और व्यक्तित्व का विकासः मुसीबत में फंसी इस प्रकार की महिलाओं के लिए मदद और पुनर्वास की जरूरत होती है। इन्हें अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों के समाज कल्याण/महिला और बाल कल्याण विभाग, महिला विकास निगम, स्थानीय शहरी निकाय, प्रतिष्ठित निजी और सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा सकती है, जो परियोजना-आधार पर ऐसी महिलाओं के पुनर्वास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली।

(15) महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्ययोजना :

उच्चतम न्यायालय ने 9 जुलाई, 1997 को एक मामले में आदेश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेश्यावृत्ति की समस्या, बाल वेश्यावृत्ति और वेश्याओं की संतानों से संबंधित बातों के गहन अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने और उनके उद्धार तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार वेश्यावृत्ति, बालिका वेश्याओं और वेश्याओं की संतानों से संबंधित मामलों के लिए समिति गठित की गई, ताकि ऐसी योजनाएं बनाई जा सकें, जो

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एवं उपयुक्त हो। भारत सरकार ने 1998 में एक कार्ययोजना तैयार की थी।

कार्ययोजना से केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों और समाज के अन्य वर्गो की गतिविधियों को मार्गदर्शन मिलेगा। कार्ययोजना में शामिल मुद्दे ये हैं - अवैध व्यापार की रोकथाम, जागृति लाना और सामाजिक संगठन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तथा बच्चों की देखभाल, आवास, आश्रयगृहों तथा नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, आर्थिक अधिकार-संपन्नता, कानूनी सुधार, कानून लागू करना, बचाव तथा पुनर्वास, संस्थागत क्षेत्र और पद्धति। महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार और पेशेवर यौन उत्पीड़न का सामना करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट तथा कार्ययोजना केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को कार्यवाही की मदों को लागू करने हेतु कहा गया है।

(16) राष्ट्रीय महिला आयोग :

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 की एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया था। आयोग की महिलाओं के अधिकारों और उनकी उन्नति को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं को प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और उनकी निगरानी करना, वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और जहां कहीं भी आवश्यकता हो, वहां संशोधन करने का सुझाव देना है। इसे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के मामलों में शिकायतों को सुनने तथा उन्हें नोटिस में लेने का कार्य भी करना होता है, ताकि बेसहारा और जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य तरीके की मदद पहुंचाई जा सके।

इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य हिरासत में न्याय दिलाना है। महिलाओं के अधिकार को सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों को सही ढंग से पूरी तरह अमल में लाने के क्रम की निगरानी करने का भी आयोग को अधिकार है, ताकि

महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार मिल सके और वे राष्ट्र के विकास में बराबर की भागीदार बन सके। आयोग ने विभिन्न कार्यों को अपने हाथ में लिया है, जैसे : कानून और विधायी उपायों को समीक्षा, महिलाओं के साथ हिंसा और उनके कामकाज के स्थानों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल, महिलाओं की अधिकारिता, पारिवारिक महिला लोक अदालत के जरिए महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाना आदि।

(17) राष्ट्रीय महिला कोष :

राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 31 करोड़ रूपये की पूजी से 30 मार्च 1993 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका प्रबंध एक संचालन-मंडल करता है जिसमें 16 सदस्य होते हैं। महिला और बाल-विकास राज्य मंत्री, कोष के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष ने 30 अप्रैल 2002 तक 110.921 करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किया है जिनसे 1,016 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 4,23,125 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

(18) राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान :

राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल-विकास संस्थान, नई दिल्ली, महिला और बाल-विकास विभाग के तहत काम करने वाला स्वायत्त संगठन है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देना, बाल-विकास गतिविधियों की व्यापक समीक्षा करना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार कार्यक्रमों का विकास करना तथा इन्हें प्रोत्साहन देना, सामाजिक विकास में सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों में तालमेल के उपाय करना और सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों से बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए समान बुनियादी ढांचा और दृष्टिकोण तैयार करना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान अनुसंधान और विकास अध्ययन करना है; प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना है और जब सहयोग और बाल विकास के क्षेत्र में सूचना एवं प्रलेखन सेवाएं प्रदान

करता है। संस्थान समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाला सर्वोच्च संस्थान है। संस्थान के बंगलौर, गुवाहाटी और लखनऊ में तीन क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं। यह केवल विकास और स्वयंसेवी कार्यवाही से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और स्वयंसेवी संस्थानों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी निकायों से भी सहयोग करता है। इस संस्थान के बंगलौर, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

(19) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड :

देश में समाज कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं, बच्चों तथा विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू करने के लिए 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड गठित किया गया था। बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्र भारत में यह पहला संगठन है, जो महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रमों को लागू करने में जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है। सन् 1954 में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य समाज कल्याण बोर्ड गठित किए गए। बोर्ड द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों में जरूरतमंद/बेसहारा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजनाएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्र/स्वैच्छिक कार्रवाई ब्यूरो, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएं और बालवाड़ियां, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु-सदन और होस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

(20) महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना :

यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित की गई, महिला सशक्तिकरण वर्ष के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिए योजना का संचालन किया जा

रहा है। योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक अगले तीन वर्षो तक अपनी कुल ऋण राशि का 5.00 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान करेंगे, इस योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को 17 हजार करोड रूपये का ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के संचालित होने से महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिल सकेगा।

शहरी मलिन बस्तियों के लोगों के विकास के लिए पूर्व में चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों, अपेक्षित उद्देश्यों के अनुरूप इनमें किए जाते रहे बदलाव, इन कार्यक्रमों पर निवेशित की गई अरबों-खरबों की विशाल धनराशि के माध्यम से यह सम्भावनाएं थीं कि वहां विकास की गति तीव्र गति होगी और वहां के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। जिस गति से संसाधन लगाए जाते रहे और कार्यक्रमों में बदलाव आया, उस गति से गरीब और निर्बल वर्गो के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आ सका। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों पर लगभग 35 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। सब्सिडी के रूप में अकेले केन्द्र सरकार द्वारा ही लगभग 29 हजार करोड़ रूपये की विशाल धनराशि प्रतिवर्ष व्यय की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी विभिन्न मदों में तीन गुनी सब्सिडी मुहैया करा रही हैं, लेकिन गरीबी में आ रही कमी की रफ्तार और रोजगार सृजन की गति की वास्तविक स्थिति से हम सभी लोग पूर्ण रूप से परिचित हैं।

योजनाएं सफल न होने के अनेक कारण हैं जहां एक ओर प्रशासनिक ढांचे में अनेक कमियों के कारण हमारी यह मुहिम प्रभावित हो रही है, वहीं तेजी से बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों में वृद्धि नहीं हो पाने के कारण भी निर्बल वर्गो और गरीबों में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया है। गरीबी की भयंकरता का एक प्रमुख कारण स्वयं गरीबों में ऊपर उठने के लिए इच्छाशक्ति का अभाव भी रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों द्वारा उन्हें निरन्तर दिए गए कर्ज और अनुदान, कर्ज माफी की घोषणा और उसकी प्रतीक्षा करते रहने जैसी व्यवस्थाओं ने

उन्हें स्वावलम्बी होने के स्थान पर बैसाखियों के सहारे चलते रहने या स्पून फीडिंग की आदत डाल दी है, जिसे भी अतिशीघ्र बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

विभिन्न विकास योजनाओं का अपेक्षित मात्रा में अनुकूल प्रभाव न हो पाने के पीछे एक अन्य प्रमुख कारण गांवों, कस्बों और शहरों तक का प्रशासन राज्यों की राजधानियों से ही चलाए जाने की परम्परा रही है। यद्यपि 73वें और 74वें संविधान संसोधन के उपरान्त विकास योजनाओं के निर्माण और संचालन की व्यवस्था हेतु चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों को सक्षम बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी उन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। वहाँ सभी वर्गो के लिए आरक्षण के प्रावधान हो जाने के बाद भी अधिकतर मामलों में सरकारी अमले, सरपंच, साहूकार अथवा सबल वर्गो की मर्जी ही चलती रही है, अभी तक भी बहुत कम अनुपात में पंचायतों द्वारा और चुने हुए वास्तविक प्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन किया जाना सम्भव हुआ है।

****

सप्तम अध्याय

❖ अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के विकास के लिए उपयुक्त व्यूह/नीति

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के विकास के लिये उपयुक्त व्यूह नीति

महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य देशों, विशेषतया विकसित देशों की तुलना में अत्यन्त पिछड़ी हुई है। महिलाओं के विकास के हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किये जायं किन्तु हमारे देश के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते हैं। महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में पिछडापन न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को खराब करता है वरन् उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाता है। जहाँ एक ओर काम न करने वाली महिलाएं पूर्ण रूप से परिवार के पुरुषों की आय पर निर्भर होती हैं वहीं दूसरी ओर काम करने वाली महिलाएं अशिक्षित या कम शिक्षित होने के कारण अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर पाती हैं तथा प्राय नियोक्ताओं के शोषण का शिकार होती हैं।

जहाॅ तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति का प्रश्न है कामकाजी होने के बाद भी महिलाओं से यह आशा की जाती है कि घर के साथ कार्यो को यही संभालें जिसमें एक कुशल गृहणी को समस्त भूमिकायें शामिल होती हैं। काम के बोझ से थकी अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाएं प्रायः रक्ताल्पता की शिकार होती हैं। इतना ही नहीं इस क्षेत्र की लगभग 90 00 प्रतिशत महिलाओं का भार उनकी आयु के हिसाब से कम होता हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का भोजन तथा स्वास्थ्य दोनों ही चिन्ताजनक होता है। बार-बार तथा जल्दी-जल्दी गर्भधारण महिलाओं के स्वास्थ्य को और भी चिन्ताजनक बना देता है।

जहाँ तक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है तो विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आय पर प्रायः उसके परिवार वालों का हक होता है। विशेषतः पति का, उसका सम्भवतः एक प्रमुख

कारण हमारी परम्पराएं एवं सांस्कृतिक विरासत भी हो सकती है। शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना भी अनौपचारिक क्षेत्र की स्त्रियों की दयनीय आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। उनको कार्य कुशलता का अभाव, शिक्षा का स्तर निम्न होना, आय का स्तर कम होना, उनके आर्थिक स्तर को प्रभावित करती हैं।

विगत वर्षो में इलाहाबाद में हुए विकास के परिणामस्वरूप रोजगार के कुछ अवसर बढ़ाये हैं यद्यपि इनकी संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में ही अधिक रही है। महिलाओं की कम मूल्य पर उपलब्धता तथा उनके आर्थिक कार्य करवाने में आसानी को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं ने महिलाओं के लिए कुछ अधिक अवसर प्रदान किये। किन्तु इसका परिणाम यह हो रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को शोषण अनवरत बढ़ता जा रहा है तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी विशेष गुणात्मक सुधार नजर नहीं आ रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने व उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने अनेक कार्यक्रमों के अतिरिक्त इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के सामाजार्थिक दशाओं के विकास हेतु निम्नलिखित उपयुक्त व्यूह/नीति अपनाना आवश्यक है।

1 रोजगाररत महिलाओं के घरेलू कार्यो में परिवार का सहयोग होना अति आवश्यक।
2. रोजगाररत महिलाओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त करना।
3 रोजगाररत महिलाओं को शिक्षा एवं आधुनिक व्यवसायिक तकनीक का ज्ञान या शैक्षिक व्यवसायिक योग्यता बढ़ाने हेतु निःशुल्क ज्ञान देना।
4 रोजगाररत महिलाओं को आवश्यकतानुसार आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
5. रोजगाररत महिलाओं को व्यवसाय चयन में मदद किया जाय।
6. रोजगाररत महिलाओं की मजदूरी/पारिश्रमिक में भेदभाव समाप्त किया जाय।

7. रोजगाररत महिलाओं को दो तरह के कार्यो से मुक्ति एवं लिंग की गलत आकांक्षायें दूर किया जाय।
8 रोजगाररत महिलाओं के यौन शोशण को समाप्त कर कानूनी संरक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से पालन किया जाय।
9. रोजगाररत महिलाओं को विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की जाय।
10. रोजगाररत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा किया जाय।

रोजगाररत महिलाओं के परिवार का घरेलू कार्यों में सहयोग होना अति आवश्यक :

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया है उससे कुछ कार्यरत महिलाओं का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के परिवार का सहयोग होना अति आवश्यक है इसलिये कि इनके सामाजार्थिक विकास हेतु महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में उक्त तथ्य आवश्यक है। महिलाओं की समाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना समय के अनुसार अति आवश्यक है। आज हम महिलाओं द्वारा कार्यो को भली-भाँति पहचान गये है। महिलाओं द्वारा किये गये घरेलू कार्यों का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन में 25.39 प्रतिशत है जैसा कि निम्नलिखित वक्तव्य से स्पष्ट है-

The unpaid economic activities of women and their contribution through work in dowestic sector remain unreported that the value of unpaid house hold work constitutes 25 39% of the gross national product in developing countries[1]

इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि परिवार के रोजगाररत महिलाओं के प्रति मनोभावना में बदलाव आना चालू हुआ है फिर भी उसके गृहणी के रूप में किसी प्रकार के बदलने की आशा नहीं है। परिवार के पुरूष का अन्य महिलाओं को किसी भी प्रकार का सहयोग देने को तैयार नहीं है, जिससे महिलाये घर एवं बाहर दोनों कार्य करने को बाध्य है। 12.50 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग उन्हें सम्मान

[1] Singh Baidyanath prasad Near for effechive utlization of woemen persoures in India A study of tribal women working force Economic affaire vol 34 July , Sep 1989

की स्थिति में नहीं देखते है। परिणामतः उन्हे परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा की परिवार में रोजगाररत महिलाओं का उत्तरदायित्व निभाने में पूर्णरूपेण समय नहीं दे पाती जबकि पुरूषों को भी घरेलू कार्यो में सहयोग होना वांछित है।

Whatever Jobe women have chooseh they have tried to prove them selves best and put all their best endevers because of two reasons (1) Conscious (2) servilerence

"She has to take dual responsibilties at home and at work and is Expected to do both duties well She has accepted the challinge and the man has now to wakchout"[2]

महिलाओं में व्याप्त सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन लाने के लिये पुरूषों में महिलाओं के प्रति भरे मनोभावों मे बदलाव द्वारा ही सम्भव है जिसके लिये प्रचार-प्रसार तथा मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है विज्ञापन माध्यमों में विशेषकर दूरदर्शन में दिखाये जा रहे ऐसे विज्ञापनों को रोक लगाना आवश्यक है जिसमें महिलाओं को नौकरानी के रूप में दिखाया जाता है। दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित किया जाये जो आपसी सहयोग द्वारा घरेलू कार्यो को करते को दिखाया जाना और शुरू से ही बालकों में यह शिक्षा दी जाय कि उनकी भावनायें बदल जाय। इसलिये ऐसी नीति बने जो रोजगाररत महिलाओं के साथ पुरूष भी बच्चों का पालन-पोषण, भोजन बनाना, कपड़ा धोना एवं घर की सफाई एवं अन्य लोगों की सेवा करे तभी रोजगाररत महिलाओं का सामाजिक स्तर अच्छा होगा।

2. रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक बंधनों से मुक्त करना :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को घर की चाहरदीवारियों में रहना पड़ता है। पूर्णरूप से पुरूषों पर निर्भर रहती है। विधवा कार्यरत महिलाओं को अनेक प्रतिबन्धों में जीना होता है उनके चरित्र पर सन्देह तो सामान्य बात है। परिवार के लोग अपने को समाज से अलग न कर पाने के कारण विद्यमान कुरीतियों से प्रभावित होकर महिलाओं को सामाजिक बन्धनों में बाँधे रहते

---

2 Marketology quarbaly valume 20 no -2 April June 1988 Documentation on 3rd National Conterence an working women challing ahead orgahised by women a unit of IMM.

है। जैसे कि धार्मिक प्रवृत्ति, बचपन में विवाह, विधवाओं महिलाओं की शादी न करना, घर से बाहर कार्य आदि में उन्हें स्वतन्त्रता देनी होगी। बहुत सी अविवाहित महिलायें विवाह के बाद अपने कार्य करना छोड़ देती है महिलाओं को विवाहोउपरान्त अपना अस्तीत्व बनाये रखने के लिये उन कारणों का विचार करना आवष्यक है जो कि उन्हें कार्य निरन्तरता के अवरोधक कारक है।

मेरी विचार से कुछ प्रमुख कारण देखने को मिले है जैसे कि विवाहो उपरान्त महिलाओं में डाले गये गृहणी की जिम्मेदारी, पती-पत्नी कार्यक्षेत्र स्थान अलग होना, बच्चों की लालन-पालन करना और ससुराल पक्ष की कुण्ठा ग्रस्त मानसिकता जो उन्हे घर की बधु को घर से बाहर कार्य करने में सामाजिक प्रतिष्ठा के आघात के रूप में देखने को बाध्य करती है। रोजगाररत महिलाओं की योग्यता को गृहणी के दायित्व से बांधने की नहीं अपितु परिवारिक दायित्व पती-पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। महिलाओं ने अपने प्रयास से पुरूष वर्चस्व क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है और उनकी तनमयता, कार्यनिष्ठा, ने अपने शारीरिक कमजोरी को आड़े नहीं लिया है महिला का कार्य क्षेत्र घरेलू ऑचल तक सीमित है, इस सामाजिक शोषण की दीवाल को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है कार्य विवक की लक्ष्मण रेखा को नजरअन्दाज करते हुये पुरूषों को भी स्त्रियों के घरेलू कार्य में मदद देने की आवश्यकता है।

नगर में रोजगाररत महिलाओं के प्रति समाज के लोगों की मानसिकता में बदलाव का प्रश्न है। इसमें सतत प्रयास हुआ स्त्रियों को जागरूकता एवं इस संघर्ष से लड़ने की क्षमता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। महिलाओं में अपने अस्तित्व की रक्षा की तीव्र शक्ति एवं इच्छा उपलब्ध है जो सामाजिक परिवेश में परिवर्तन ला सकती है। महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिये विचार की अपेक्षा व्यवहारिकता की आवश्यकता है। महिला को मानसिक स्तर पर समाजिक एवं परिवारिक दायित्वों के प्रति सजग रहना होगा स्त्रियों की जिम्मेदारियाँ पहले की स्त्रियों से कहीं अधिक है। आवश्यकता है इनका हाथ मजबूत करने की और परिवार के लोग सामाजिक

बन्धनों को त्यागकर काम में लगी स्त्रियों के विचारों के बारे समझे एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें।

स्त्रियों को विवाह के बाद रोजगाररत से अलग होने का एक कारण यह भी है कि उन पर देश की भावी नागरिक के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपना है। इस सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वाह के कारण महिलाये रोजगार का कार्य करने से वंचित हो जाती है इसलिये महिलाओं को शिशु गृह उपलब्ध कराना आवश्यक है तो वही दूसरी तरफ इस समयावधि में विशेष अवकाश सुविधा प्रदान किया जाय या उनसे कम समय काम कराया जाय या ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि कुछ समय व्यवधान के बाद पुनः कार्य क्षेत्र में आ सके।

3. रोजगाररत महिलाओं को शिक्षा एवं आधुनिक तकनीक का ज्ञान देनाः

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर विचार करते है तो उनके शैक्षिक योग्यता में पूर्ण वृद्धि को ध्यान देना होगा जो महिलाओं को रोजगार देने में वृद्धि कर सके। महिलाओं के शैक्षणिक विकास एव उनमें व्यवसायिक प्रशिक्षण होने से महिलाश्रम भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीयक क्षेत्र में बढ़ती है जो अवश्य ही स्त्रियों को कम आय वाले रोजगार से अधिक आय वाले रोजगार की ओर आकर्षित करते है।

इलाहाबाद नगर में रोजगाररत महिलाओं की विकास की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु शैक्षणिक विकास में नितान्त आवश्यक है शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर करना ही नही अपितु, रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना है। जैसा की निम्न कथन से स्पष्ट है।

The secondary Vocational and higher education produce the person who with some brief additional training become technologisis, secretaries, nurses, teachers, book keepers, clerk, ciivil servent, Agricultural assistants and superior workers and also make up the middle and upper ranks of business" [3]

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षा व आर्थिक कार्य कलापों में सहसम्बन्ध किसी भी जगह के आर्थिक विकास के लिये अति आवश्यक है। महिलाओं

[3] Quoted by Machlup, Fritz in "Education and Economic Growth "University of mekras Kapress lincon 1970 P.P 25

में शैक्षणिक विकास, महिलाओं की दशा सुधारने में सक्षम है तो राष्ट्रीय विकास हेतु महिलाओं के शैक्षिक विकास में भी सुधार आवश्यक है केवल शिक्षा ही उक्त साधन है जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधार सकते है। शिक्षा केवल साक्षर होने के लिये आवश्यक नही है अपितु व्यक्तित्व विकास के लिये भी आवश्यक है। महिलाये घर में एक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की भॉति बच्चों में मानवीय गुणों का विकास कराती है तो वही दूसरी ओर एक समाजिक कार्यकर्ता की भॉति वह अदृश्य रूप समाज में परिवर्तन करती है। इसलिये उनकी शिक्षण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि-

The question of the Education of children can not be solved unless efforts are made simultane qusly to solue the womens Education and I have to hasitation in saying that as long as we donot have real Mother teacher who can Successfully importirue Education to our children they will remain uneducated even through they way be going to Schools"

शिक्षित व प्रशिक्षित महिलायें स्वयं ही आर्थिक उन्नति व सामाजिक बदलाव लाती है इसलिये शैक्षिणिक क्षेत्र में किये गये खर्च विकास पर पर दूरगामी रूप में परिवर्तन होता है। शिक्षा से चेतना, तकनीकी स्तरमें वृद्धि कार्य के प्रति प्रयत्नशील रहना व श्रम भागीदारी में वृद्धि करती है। महिलाओं को जागरूक करने में शिक्षा अति आवश्यक है। शैक्षणिक व्यवस्था में केवल किताबी एवं डिग्री तक सीमित न रहकर उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। नारी शिक्षा का अर्थ मात्र अच्छे वर्ग की चयन करने से नहीं अपितु उनमें व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में वृद्धि करना आवश्यक है।

जहां एक ओर केन्द्र और राज्य सरकारों से वी0ए0 तक शैक्षिणिक व्यवस्था की सुविधा देना कर्तव्य है, तो वही स्त्रियों को प्रशिक्षित व शैक्षणिक व्यवस्था से पूर्ण उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। जैसा की निम्नलिखित तथ्य से स्पष्ट है-

A educated women enjaye better apportunities and affairs better status in all respect in the so called Moderns society than uneducated women "[4]

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को उन्हें वर्श में कमसे कम एक या दो बार निःशुल्क शैक्षिणिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाय। और उन्हें विशेश रूप से इस प्रशिक्षण में प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कुछ पारितोशिक भी उपलब्ध कराया जाय। जिन महिलाओ को अभिवाहक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है उन पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरह से खत्म किया जाय। नगर में महिला समिति का गठन करके उन्हें शिक्षा के उन्नयन की जिम्मेदारी दी जाय। विभिन्न आयु समूह की महिलाओं को शिक्षा में व्यवसाय शिल्प, प्रशिक्षण, व्यवसाय मार्ग दर्शन जैसे पाठ्यक्रम अपनाकर शिक्षा प्रदान की जाय।

4. रोजगाररत महिलाओं को आवास की सुविधा :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को उनकी आवष्यकता, अनुसार आवास की कमी रही है। आवासीय सुविधा की कमी के कारण उन्हें मानसिक कष्ट होता और उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोजगाररत महिलाओं के कार्य में वृद्धि महिलाओं को परिवारिक जीवन में आवास सुविधा देने से ही सम्भव है। महिला आयोग द्वारा सन् 1974 के रिपोर्ट से स्पष्ट होता है-

The Experience of some countries has show that in is possible by public policy to accelecated women,s employment in new area of work by finding solution of their problems of Family life and child care" [5]

नगर में रोजगाररत महिलाओं में पशुपालन एवं मुर्गीपालन समूह के लोगों के पास पशुओं को रखने के लिये जगह नहीं है जिससे वह सड़कों के किनारे या अन्यत्र स्थानों पर रखते है इसलिये इस समुदाय के लोगों को कम दाम पर या नि·शुल्क भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाय। नौकरी एवं मजदूरी व्यवसाय समूह

---

[4] Chandan S.N - "Protile of Education and social status of women in India : page 54

[5] Two ards Equality "Report of the Committee on the Status of women in India." Government of India Department of social seltare ministry of Education and social welfare Dec 1974 New Delhi Page 231

की महिलाओं की लोगो को श्रमजीवी महिला छात्रावास की भॉति या सरकारी कालोनियों में न्यूनतम आवासीय सुविधा की व्यवस्था आवश्यक है। कार्यरत महिलाओं का एक वर्ग है जो किराये के मकान पर रहती है उन्हे समुचित आवासीय व्यवस्था करना आवश्यक है।

सामग्री निर्माण, फुटकर व्यवसाय समूह की महिलाओं को उन्हें अपने समान के निर्माण विक्रय हेतु स्थान की आवश्यकता है इसलिये उन्हें सामाजार्थिक स्तर को ऊँचा करने हेतु उन्हें सस्ते दामों पर सरकारी तन्त्र द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाय।

5. रोजगाररत महिलाओं को व्यवसाय चयन में मदद :

इलाहाबाद नगर में चयनित महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के लिये व्यवसाय चयन में निःशुल्क परामर्श हेतु संस्था नही है, जिसके कारण अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार का चयन करने में असफल रहती है। सही रोजगार का चयन न कर पाने के कारण महिलायें अपने व्यवसाय को समय-समय पर परिवर्तन करती है जिससे उन्हें शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट होता है। इलाहाबाद नगर के प्रत्येक वार्ड में एक ऐसी सरकारी या स्वयं सेवी संस्था बनायी जाय जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को रोजगार चयन हेतु निःशुल्क परामर्श दे। यह संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को पहचान कर उनके रुचि के अनुसार रोजगार चुनाव हेतु सुझाव देकर उन्हें रोजगार हेतु मार्गदर्शन करें।

6. रोजगाररत महिलाओं की मजदूरी/परिश्रमिक में भेद-भाव दूर किया जाय :

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की मजदूरी में अन्तर पाया जाता है। ऐसे भेद-भाव का आधार पुरूशों और महिलाओं के अलग-अलग रोजगार विभाजन को देखने से मिलती है। पुरूशों की मजदूरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है जबकि समान मजदूरी अधिनियम 1976 समान कार्य के लिये महिला एवं पुरूश श्रमिक को समान मजदूरी भुगतान की व्यवस्था करता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि मजदूरों को प्रतिदिन मजदूरी 70 रूपये है तो

महिलाओं की 60 या 65 रूपये ही दिये जाते है यद्यपि समान कार्यो के लिये समान मजदूरी पुरूशों और महिलाओं के लिये उलंघन कम किया जाता है।

नगर में सरकार या स्वयं सेवी संस्थायें ऐसा व्यवहारिक कदम उठाये कि लोग पुरूशों एवं महिलाओं को बराबर मजदूरी दे। महिलाओं द्वारा किये गये कार्यो की मजदूरी उनके द्वारा मसौदे के अनुसार उन्हें मासिक, अर्द्ध मासिक, सापताहिक, और प्रतिदिन दे दिया जाय। यदि जो व्यक्ति उनकी मजदूरी समझौते के अनुसार देने से इन्कार करे उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिये वार्ड स्तरपर एक समीति गठित की जाय। समीति यह आंकलन करे कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के मजदूरी में भेद भाव न रहे और उन्हें समय पर उनको पारिश्रमिक मिल जाय।

7. रोजगाररत महिलाओं को दो तरह के कार्यो से मुक्ति एवं लिंग की गलत अकांक्षाये दूर हेतु नीति

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को अधिकाशतः दो तरह के कार्य एक दिन में करना पड़ता है। दो तरह के कार्यो से छुटकारा पाने के लिये परिवार का सहयोग होना अतिआवश्यक है। महिलायें घर के कार्यो पर विशेष ध्यान देती है इसलिये वे अपनी उन्नति एवं प्रशिक्षण के अवसर को ठुकरा देती है। स्वस्थ व्यक्ति के लिये आराम की अति आवश्यकता होती है यदि इन्हें सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो एक ही तरह के कार्य या घर एवं बाहर के कार्यो का समय 8 घण्टे अधिक न हो। इसलिये महिलाओं के लिये ऐसी नीति बनायी जाय कि वे घर एवं बाहर 8 घंटे से अधिक कार्य न करें।

नगर के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रायः पुरूषों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमजोर मानती है जबकि महिलाये कार्यो को सीखने की प्रवृत्ति शीघ्र होती है पुरूषों में कम होती है घरेलू कार्यो में कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण महिलाओं को अवकाश देने के लिये बाध्य किया जाता है जबकि पुरूषों को ऐसा बहुत कम होता है। इसलिये लिंग के आधार पर महिलाओं को कुछ खास रोजगार आरक्षित किये जाये और उन्हें परम्परागत लिंग के आधार पर विशेष प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराये जाय। गृह निर्माण कार्यो में महिलाओं से कम कार्य

लिया जाय। शिक्षा सामग्री निर्माण, फुटकर सामान तथा पशुपालन वाले व्यवसायो में इन्हें 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना आवश्यक है।

महिलाओं के प्रति व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों मे ये संदेश किया जाय कि पुरूष एवं महिला समाज के एक सिक्के के दो पहलू है इसलिए उसे अलग न किया जाय।

8. रोजगाररत महिलाओं को यौन षोशण से बचाकर कानूनी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना :

इलाहाबाद नगर में नियोक्ताओं, ठेकेदारों तथा समाज के अन्य प्राणियों द्वारा रोजगाररत महिलाओं पर शोशण को दूर करने के लिये एक कदम उठाना जरूरी है सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाये है जिसे सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को उन्हें कानून संरक्षण व सुरक्षात्मक व्यवस्था देना अत्यन्त आवश्यक है।

रोजगाररत महिलाओं के परिवार जन असुरक्षित समाजिक वातावरण के कारण अपने घरे से बाहर कार्य करने नही भेजती है क्योंकि महिलाओं के परिवार में भय व्याप्त है कि नियोक्ताओं, ठेकेदार या आते-जाते समय लोगों द्वारा उत्पीड़न एवं छेड़-छाड़ का शिकार होना आदि है। इससे बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को शक्ति से पालन किया जाय एवं प्रत्येक वार्ड में महिलाओं की एक समीति बनायी जाय। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से मुक्त करने के लिए उन्हें आत्म निर्भर कर कानूनी संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है।

9. रोजगाररत महिलाओं को विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना:

नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को सामाजिक कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है जिससे वे अपना आर्थिक स्तर ऊँचा कर सकें। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं को सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला विकास कार्यक्रमों को माह में दो दिन प्रत्येक मुहल्लों में जानकारी प्रदान किया जाय। शिक्षित महिलाओं के लिये उन्हे पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों द्वारा विशेष विज्ञापन हेतु उन्हें विकास कार्यक्रमों के विषय में ज्ञान कराया जाय।

10. रोजगाररत महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करना :

नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उन्हें अधिकारों के बारे में ज्ञान कम है। सरकार द्वारा दिये गये कानूनी संरक्षण मात्र फाइल के चन्द पन्नों में लिखित रह गया जबकि व्यवहारिक रूप से उनका कार्यान्वयन शून्य है। आज नगर में आवश्यकता है महिलाओं को जागरूक करने की और उनके अधिकारों को ज्ञान कराने की तृतीय महिला संगोष्ठी में अव्यक्त विचारों से स्पश्ट है कि – ''महिलाओं को सामाजिक अन्याय से लड़ने हेतु जागरूकता उपलब्ध कराये जिससे उन्हें तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, लिंग विभेद व आय के प्रति जानकारी उपलब्ध हो व अज्ञानता दूर हो।[6]

महिलाओं के लिये नगर में आज आवश्यकता प्रचार एवं प्रसार माध्यम या मीडिया के सहयोग से उन्हें संजोग से महिलाओं को कानूनी अधिकारों को परिचित कराना है। तो दूसरी ओर उन्हें अपने अधिकारों को उन्हे सामाजिक/स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सही दिशा दिलाने की आवश्यकता है।

यह अति आवश्यक है कि स्त्रियों को महिला संगठनों द्वारा भी सुरक्षा की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है इस संस्थाओं के माध्यम से भी मदद करने में कठिनाइयों को झेलना पड़ता है इसलिये प्रतिरोधी वर्ग द्वारा उत्पादित व्यवधानों चेतावनी व अराजक तत्वों से लड़ने की क्षमता का विकास भी जरूरी है। निश्चय ही स्त्रियों में शक्ति और स्फर्ति का निर्माण व जागरूकता पैदा कराने महिलाओ के लिये बनाये गये नियमों का क्रियान्वयन कर सकते है। और उन्हें सामाजिक प्रताड़ना से स्वतन्त्र करा सकते है।

स्त्रियों को विकास की मूल धारा में सम्मिलत करके उन्हें समाजिक आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक दृश्टि से समानता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराने हेतु अभी तक किये गये प्रावधानों व्यवस्थाओं नीतियों संविधान संशोधनों, कानूनों, योजनाओं कार्यक्रमों आदि के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे है। किन्तु

[6] Conclu sion & Recommendation of the thirld Annual conference on working women Challengil dheal " June 1988.

उनकी गति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता महिलाओं से सम्बन्धित कोई भी विधेयक संसद में आसानी से पास नहीं हो पाता। आज भी ईसाइयों में तलाक की व्यवस्था से सम्बन्धित ईसाई विवाह विधेयक, अनिवार्य बालिका शिक्षा से संबंधित बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक महिलाओं पर घरेलू हिंसा (निरोधक) विधेयक तो लंबित है।

महिलाओं के लिये अभी तक किये गये सभी प्रावधानों से सबसे सशक्त समझा जाने वाला महिला आरक्षण संबंधी बना संविधान संशोधन विधेयक , 1998 पिछले तीन वर्ष से संसद में लटका हुआ है। जबकि इसमें प्रावधानिक प्रस्ताव तर्कसंगत ही है।

स्त्रियों को समाज में समानता का दर्जा दिलाने के लिये केवल लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा अपितु लक्ष्यों की भली-भॉति प्राप्त करने के लिये आवश्यक संसाधन भी जुटाने होगें। निधार्रित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकारी योजनाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी, प्रत्येक स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि महिला समानता और सशक्ति करण की योजनाएं कागजों तक ही सीमित नहीं रह जायं बल्कि धरातल पर उतारी जायं। यह तभी सार्थक है कि पिछले कुछ वर्शो में देश में सशक्त और प्रभावशाली महिला आंदोलन प्रारम्भ हो रहे है। यह आन्दोलन और मजबूती से आगे बढ़े इसके लिये सरकारी फाइलों से आगे बढ़ाकर जनता के बीच लाना होगा। तभी इसके सफल होने की संभावनाएं अधिक बलवती होगी।

****

अष्टम अध्याय

❖ सारांश एवं निष्कर्ष

सारांश

देश के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र में उपलब्ध समस्त उत्पादन को संसाधनों का विदोहन एवं संवर्धन किया जाय। विशेषकर मानवीय संसाधनों का कुशल उपयोग विकास की पूर्वावश्यकता है। आर्थिक विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में महिलायें गृहणी के रूप में ही गृह की देखभाल ही नहीं करती, अपितु इस भौतिक परिवेश में अपने आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियमित सरकारी और व्यक्तिगत संस्थानों की श्रमिक बन चुकी है। महिलाएं परिवार की एक धुरी का कार्य करती हैं जिनके चारों ओर परिवार की अन्य गतिविधियाँ घूमती रहती हैं।

असंगठित क्षेत्र वाक्यांश का प्रयोग सामान्यत. संगठित क्षेत्र के विपरीत अर्थो में किया जाता है। अनौपचारिक आय उद्गम स्रोतों को असंगठित क्षेत्र माना जाता है, लगभग समस्त उत्पादक क्रियाओं यथा- कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन, परिवहन और सेवाओं का एक अंश असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। यद्यपि औपचारिक रूप से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की उन सभी इकाइयों को संगठित क्षेत्र की इकाइयां माना जाता है जिसमें कार्य करने वालों की संख्या 10 या उससे अधिक हो और जिनमें नियुक्ति सीधे या किसी अभिकरण द्वारा की जाती है। इससे पृथक अन्य उत्पादक इकाइयों को असंगठित क्षेत्र में माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक व्यवसाय तो मूलतः इसी प्रकृति का है। इस प्रकार व्यवसाय का विभाजन संगठित और असंगठित व्यवसाय के रूप में किया जाता है। तदनुसार उनमें कार्य करने वाले क्रमशः संगठित और असंगठित श्रमिक कहलाते हैं।

असंगठित क्षेत्र के उत्पादन कार्य में फर्मो एवं व्यक्तियों के प्रवेश में बाधक शक्तियों की क्रियाशीलता अत्यन्त कम होती है। असंगठित क्षेत्र में स्वामित्व छोटे-छोटे मापक भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे आदमियों के पास होता है। इनमें से कुछ के पास तो अत्यन्त कम उत्पादन सम्पत्ति होती है। इनका उत्पादन स्वयं की आवश्यकताओं के लिये होता है। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को दो वर्गो में बांटा जा

सकता है। स्व-रोजगार वाले कृषक, दस्तकार, छोटे-छोटे विक्रेता, सेवा कार्य करने वाले वर्ग आदि तथा मजदूरी पर कार्य करने वाले खेतिहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर, छोटी दुकानों और होटलों पर कार्य करने वाले मजदूर इत्यादि। असंगठित क्षेत्र की व्यापकता और उसके उद्‌गम का मूल स्रोत ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक बेहतर कार्य दशाओं की खोज में नगरों की ओर जाते हैं। स्व-रोजगार और मजदूरी पर कार्य करने वाले, फुटपाथ और धर्मशालाओं में रहकर कार्य करने वाले, दुकानों पर कार्य करने वाले, कूड़ा बीनने वाले आदि असंगठित श्रमिक हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। देश की आजादी के बाद यद्यपि महिलाओं की स्थिति में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुआ है। इसका लाभ प्रायः शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनका योगदान लगभग नगण्य ही रहा है। महिलाओं के विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किये जायें किन्तु अनुभवों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के क्रिया-कलापों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इस क्षेत्र में विविध प्रकार के कार्य होते हैं। एक ओर स्वरोजगार के छोटे-छोटे विक्रेता, सेवाकार्य, दस्तकार, मजदूर और घरों में काम कर रही महिलाएं हैं तो दूसरी ओर महिलाएं अनेक छोटी-छोटी बिखरी हुई प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों में तरह-तरह के खतरनाक रसायनों में कार्य कर रही हैं। इन मजदूरों पर न तो कोई श्रम कानून लागू होता है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। भवन निर्माण या खानों में कार्य कर रही महिलाओं को तो प्रायः दैहिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। महिला मजदूरों को पुरुष के समान कार्य करने के बाद भी उनसे कम मजदूरी दी जाती है जिससे इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति दयनीय होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजार्थिक विकास की आवश्यकता है। महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ायी जाय ताकि उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जिन महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उचित कदम तत्कालीन प्रभाव से उठाये जायें। पढी-लिखी, दक्ष, कुशल तथा प्रशिक्षित महिलाओं के साथ ही साथ निरक्षर व गरीव महिलाओं की बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाय।

अध्ययन की आवश्यकता/महत्व :

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, महिलाओं की एक बड़ी श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में लगी हुयी है, यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन किया जाय तथा इस क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही स्थिति को सुधारने हेतु एक सार्थक रणनीति बनायी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में इलाहाबाद जनपद है। ऐतिहासिक नगरी के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध यह जिला शैक्षिक व आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कटु सत्य है कि महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में यह अभी भी पिछड़ा हुआ है। इलाहाबाद जिले की कुल जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 4,21,313 थी जिसमें 26,24,302 पुरुष तथा 22,96,484 महिलायें हैं। इलाहाबाद साक्षरता दर 42.66 प्रतिशत है जिनमें 59.14 प्रतिशत पुरुष तथा 23.45 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं। इसकी तुलना में इलाहाबाद शहर की जनसंख्या 8,44,546 थी जिसमें 4,71,509 पुरुष तथा 3,73,037 महिलाएं थीं। शहरी निवासियों की साक्षरता दर 67.8 प्रतिशत है जिसमें 78.6 प्रतिशत पुरुष तथा 62.4 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं।

विगत वर्षो में इलाहाबाद में हुए विकास के परिणामस्वरूप रोजगार के कुछ अवसर बढ़े हैं, यद्यपि इनकी संख्या अनौपचारिक क्षेत्र में ही अधिक रही है।

महिलाओं की कम मूल्य पर उपलब्धता तथा उनसे अधिक कार्य करवाने में आसानी को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं में महिलाओं के लिए कुछ अधिक अवसर भी प्रदान किये। किन्तु इसका परिणाम यह हो रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का शोषण अनवरत बढ़ता जा रहा है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भी विशेष गुणात्मक सुधार नजर नहीं आ रही है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जानने व उसमें गुणात्मक सुधार लाने में प्रस्तावित शोध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु एक सार्थक रणनीति प्रस्तुत करेगी।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना है। अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न व्यवसाय में रोजगाररत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओ का अध्ययन करने के लिये प्रस्तुत शोध कार्य में प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है-

1. अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की मजदूरी एवं जीवन स्तर का अध्ययन करना।
3. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।
4. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के उत्थान हेतु किये गये सरकारी और गैर-सरकारी प्रयत्नों का मूल्यांकन करना।
5. अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के विकास हेतु उपयोगी व्यूह नीति का सुझाव देना।

अध्ययन हेतु परिकल्पनाएं :

प्रस्तावित शोधकार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्ययन हेतु कुछ परिकल्पनाएं बनाकर उनका परीक्षण किया गया है। परीक्षण हेतु परिकल्पनाएं निम्नवत हैं -

1. इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली अधिकांश महिलाएं दलित व पिछड़े वर्ग की हैं।
2. इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान होती है।
3. इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं का कार्य मात्र अल्प अवधि का ही होता है।
4. इलाहाबाद नगर में कार्य करने वाली महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम होती है।
5. इलाहाबाद नगर क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं अपनी खराब स्थिति के कारण खराब कार्य परिस्थितियों के होते हुए भी वहाँ कार्य करने के लिये विवश होती हैं।

अध्ययन का क्षेत्र :

इलाहाबाद जनपद में इलाहाबाद नगर को अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का अध्ययन क्षेत्र है। इलाहाबाद नगर में नगर महापालिका, कैण्ट और टाऊन एरिया का क्षेत्र सम्मिलित है लेकिन इलाहाबाद नगर में सर्वेक्षण हेतु अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का साक्षात्कार हेतु नगर से नगर महापालिका क्षेत्र का चयन किया गया। नगर निगम के 70 वार्डो में से 16 वार्डो, को सम्मिलित किया गया तथा जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

सारिणी संख्या 1:4

इलाहाबाद नगर के चयनित वार्ड एवं महिलाएं

क्र0सं0	वार्ड संख्या	वार्ड/मुहल्ले का नाम	चयनित महिलायें (संख्या)
1	22	फाफामऊ	30
2	34	तेलियरगंज	30
3	3	गोविन्दपुर	20
4	28	सलोरी	30
5	9	ममफोर्डगंज	20
6	27	म्योराबाद	20
7	18	राजापुर	25
8	61	कटरा	30
9	21	एलनगंज	15
10	62	भरद्वाजपुरम्	30
11	14	बाघम्बरी गद्दी	30
12	43	दारागंज	30
13	47	अलोपीबाग	30
14	29	मधवापुर	20
15	51	बहादुरगंज	20
16	66	अटाला	20
योग			400

स्रोत : कार्यालय, नगर निगम, इलाहाबाद

अध्ययन की विधि :

प्रस्तुत शोध में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक ऑकडों जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार अर्थात नये रूप में अपने प्रयोग के हितार्थ एकत्रित किया है। शोधकर्ता ने निदर्शन विधि में दैव निदर्शन रीति का प्रयोग किया है। शोधकर्ता ने अनुसूची को साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण से किया है।

द्वितीय समंक श्रेणी में वो सूचनायें हैं जिन्हें शोधकर्ता ने अपने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा न प्राप्त करके दूसरे अन्य प्रकाशित समंकों से प्राप्त किया है। इस श्रेणी की सूचनायें सरकारी, गैर-सरकारी अभिलेख, सांख्यिकी पत्रिका, पुस्तक, समाचार

पत्र, पत्रिकायें, आयोगों एवं समिति के प्रतिवेदन एवं विभिन्न प्रकार के प्रकाशित समंकों को एकत्र कर प्रयोग किया है।

इलाहाबाद नगर के असंगठित क्षेत्र में सन् 1998 में कुल 6946 महिलायें कार्यरत थीं। कार्यरत महिलाओं का 7.00 प्रतिशत अर्थात् 400 महिलाओं को अध्ययन हेतु चयनित किया। प्रथम अनुसूची हेतु शोधकर्ती ने इलाहाबाद नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की इलाहाबाद नगर महापालिका के चयनित मोहल्लों में से 800 कार्यरत महिलाओं की सूची तैयार की गई। इस सूची में से दैव निदर्शन विधि के आधार पर 400 महिलाओं का चयन उनके कार्य और व्यवसाय समूह के आधार पर चुनीं।

नगर के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर महापालिका तथा छावनी क्षेत्र भी सम्मिलित है। इलाहाबाद नगर 25^0 अक्षांश उत्तर 81^0-50 डिग्री देशान्तर पूर्व में समुद्र तल से 303 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। नगर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर स्थित है। इलाहाबाद नगर को प्रयाग भी कहते हैं जो प्राचीन काल से हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। प्रयाग का उल्लेख महाकाव्य, पुराणों अन्य कृतियों में आया है। मनुस्मृति के अनुसार विशन- से प्रयाग का विस्तृत भूभाग मध्य प्रदेश में सम्मिलित था।[1] कुम्भ पुराण के अनुसार प्रयाग मण्डल पाँच प्रयोजन लगभग 410 किलोमीटर फैला हुआ था, मत्स्य पुराण के अनुसार इसके विस्तार प्रतिष्ठान में वासुकी सरोवर तथा नागों के निवास तक था।

सन् 1863 में नगर इलाहाबाद में नगर पाल की स्थापना की गयी। सन् 1960 में इलाहाबाद को नगर महापालिका बना दिया गया। वर्तमान समय में इसे नगर निगम से जाना जाता है। इलाहाबाद नगर का क्षेत्रफल 81.46 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नगर निगम का क्षेत्रफल 63 15 वर्ग किमी0 तथा छावनी का क्षेत्रफल 18.21 वर्ग किमी0 है। उत्तर से दक्षिण इसकी लम्बाई 17 किमी0 तथा पश्चिम से इसकी चौड़ाई लगभग 16 किमी0 है। प्रशासनिक प्रयोजन के लिए और नगर के विकास के लिए नगर को 70 वार्डो में विभाजित किया गया है।

---

[1] मनुस्मृति - गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित पृष्ठ 79

इलाहाबाद नगर में सन् 2001 की जनगणना के आधार पर 121382 जनसंख्या है। जिसमें 669572 पुरूष और 544250 महिलाये है। 1998 आर्थिक गणना के आधार पर यहां पर औपचारिक में 6946 महिलायें कार्यरत है। नगर मे जनसंख्या वृद्धि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की कम है। क्योंकि पुरूषो की 27.47 प्रतिशत वृद्धि है तो महिलाओं की 26 77 है। नगर की जनसंख्या का घनत्व 14900 प्रति वर्ग किलो मीटर है। नगर में 72.22 प्रतिशत लोग शिक्षित है जिसमें 65 66 प्रतिशत महिलायें है और 77 55 प्रतिशत पुरूष है।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार चयनित 400 महिलाओं के सामाजिक दशाओं में पारिवारिक स्थिति देखने से प्रतीत होता है कि महिलाओं कों 87.50 प्रतिशत महिलाओं को सम्मान प्राप्त होता है घर से बाहर कार्य करने के अतिरिक्त उन पर परिवार का भी उत्तरदायित्व होता है क्योंकि 75.50 प्रतिशत महिलायें बच्चों का पालन पोषण, 68.75 प्रतिशत कपड़ा धोना, 75.00 प्रतिशत घर की सफाई एवं 10 00 प्रतिशत पति एवं परिवार के अन्य लोगों की सेवा करने का कार्य भी करती हैं। महिलाओं के परिवार की कुल जनसंख्या 2216 है जिसमें 19.49 प्रतिशत पुरूष 23.11 प्रतिशत महिलायें और 57.40 प्रतिशत बच्चे है। व्यवसाय समूह के आधार पर पशुपालन एवं मुर्गी पालन समूह की जनसंख्या 15.88 प्रतिशत नौकरी, व्यवसाय समूह की 12 82 प्रतिशत, सामग्री निर्माण 14.98 प्रतिशत, मजदूर व्यवसाय समूह की 32.13 प्रतिशत, फुटकर व्यापार समूह की 24 19 प्रतिशत है।

धर्म व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित है इसलिये धर्म समाज की परम्परा रही है। धर्म से नैतिकता, मानवता, त्याग अहिंसा, प्रेम, दया, सत्य एवं भाई चारे का संदेश मिलता है। इसीलिए नगर के चयनित रोजगाररत महिलायें 79.75 प्रतिशत महिलायें धर्म पर पूर्ण विश्वास रखती हैं और 20.25 प्रतिशत महिलायें धार्मिक प्रवृत्ति पर विश्वास नहीं करती। 53.00 प्रतिशत महिलायें धर्म के प्रति अधिक कट्टरता पाई गयी तो 22.00 प्रतिशत महिलाओं को धर्म के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। 25.00 प्रतिशत महिलाओं का दृष्टिकोण अप्रयोज्य है। धर्म के आधार पर 84.5

प्रतिशत हिन्दू, 15.25 प्रतिशत मुस्लिम 1.5 प्रतिशत सिक्ख 1.75 प्रतिशत इसाई धर्म के लोग है। जाति के आधार पर सामान्य जाति के 17.00 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के 43 00 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 40 00 प्रतिशत महिलायें है जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही है।

महिलाओं का विवाह परिवार द्वारा निश्चित एवं नियोजित किया जाता है जिसमें कुछ परिवारों में बाल-विवाह भी हुए है। 75.50 प्रतिशत विवाहित महिलायें कार्य करती हैं और 24 50 प्रतिशत अविवाहित महिलायें कार्य करती है। विवाहित महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष के पूर्व 26.82 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ है। 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु के 50.99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ है। 25 से 35 वर्ष तक की आयु की 20.20 प्रतिशत महिलाओं का और 35 वर्ष से अधिक आयु में 1.99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ है। महिलाओं का विवाह माता-पिता एवं घर के मुखिया की इच्छा से 94.50 प्रतिशत महिलाओं के विवाह हुए है तो 2.25 प्रतिशत प्रेम विवाह और 3.25 प्रतिशत अन्य लोगों के राय में सम्पन्न हुए है। महिलायें विवाह के लिये मानसिक रूप से तैयार नहीं थीं फिर भी विवाह हुए है। वर्तमान समय में 88.74 प्रतिशत महिलायें पति के साथ रह रही है। 5 30 प्रतिशत महिलायें विधवा हो चुकी हैं 5 31 प्रतिशत महिलायें अपने पति को छोड़ चुकी है या उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 2.65 प्रतिशत महिलायें अपने पति से अलग रहती है किन्तु कानूनी तौर पर अपने पति से अलग नहीं हुई है।

रोजगाररत महिलायें 66 50 प्रतिशत शिक्षित है और 33.50 प्रतिशत अशिक्षित है। शिक्षित महिलाओं में 79.70 प्रतिशत महिलायें प्राइमरी स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। 11.28 प्रतिशत महिलायें सेकेण्डरी स्कूल तक, 6.01 प्रतिशत उच्च शिक्षा और 3.10 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा ग्रहण की। कार्यरत महिलाओं के परिवारों में 40 43 प्रतिशत लोग अशिक्षित है और 59.57 प्रतिशत लोग शिक्षित है। परिवार के शैक्षिक लोगों का शैक्षिक स्तर में 87.88 प्रतिशत महिलायें प्राइमरी स्तर तक शिक्षा ग्रहण किया है। 10.00 प्रतिशत सेकेण्डरी तक, 1.51 प्रतिशत उच्च शिक्षा, 0.61

प्रतिशत तक तकनीकि स्तर तक शिक्षा ग्रहण किया है। रोजगाररत महिलाओं में 2 00 प्रतिशत महिलायें प्रशिक्षित है और 98.00 प्रतिशत महिलायें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।।

रोजगाररत महिलाओं के लिये चिकित्सा सुविधा हेतु उनके घर से चिकित्सा केन्द्र की दूरी 2.5 किलोमीटर के अन्तर्गत 32 25 प्रतिशत महिलाओं को ये सुविधा उपलबध है। 2 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी में 31 25 प्रतिशत महिलायें है। और 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक 36 50 प्रतिशत महिलायें है जो चिकित्सा कराने जाती है। महिलाओं को उन्हें परिवार नियोजन के विषय में 86.25 प्रतिशत महिलाओं को परिवार नियोजन के विषय में जानकारी नहीं है। महिलायें अपने परिवार का एवं अपना उपचार धन के अभाव के कारण 87 50, रूढ़िवादिता के कारण 3.00 प्रतिशत रोग की अज्ञानता के कारण, 4.50 प्रतिशत महिलायें समयाभाव और चिकित्सा दूर होने के कारण 5.00 प्रतिशत महिलायें अपने स्वास्थ की प्रशिक्षण नहीं कर पाती।

चयनित रोजगाररत महिलायें 18 प्रकार के कार्य करती है। जिसे पांच व्यवसाय समूह में विभक्त किया गया है। प्रथम पशुपालन एवं मुर्गीपालन में 17.00 प्रतिशत महिलायें है जिसमें 12.00 प्रतिशत दुग्ध व्यवसाय, 1.00 प्रतिशत सुअर पालन और 4.00 प्रतिशत मुर्गी पालन का कार्य करती है। द्वितीय व्यवसाय समूह नौकरी में 14.00 प्रतिशत महिलायें है जिसमें अध्यापन 4 प्रतिशत, 10.00 प्रतिशत बर्तन सफाई का कार्य करती है। तृतीय व्यवसाय समूह में सामग्री निर्माण है 18 प्रतिशत महिलायें है जिसमें 3.00 प्रतिशत महिलायें बीड़ी बनाना, 2.00 प्रतिशत अचार बनाना, 9.00 प्रतिशत कढ़ाई-बुनाई. रंगाई, 2.00 प्रतिशत टोकरी बनाना और 2 00 प्रतिशत मिट्टी का बर्तन बनाने का कार्य करती है। चतुर्थ व्यवसाय समूह में मजदूरी करने वाली 31.00 प्रतिशत महिलायें है। जिसमें 27.00 प्रतिशत गृह निर्माण में कार्यरत और 4.00 प्रतिशत दुकान में कार्य करती है। पांचवे व्यवसाय में फुटकर व्यवसाय करने वाली 20.00 प्रतिशत महिलायें है। जिसमें 2.00 प्रतिशत

पान की दुकान 2.00 प्रतिशत फल, 10 00 प्रतिशत सब्जी की दुकान, 2.00 प्रतिशत व्यूटीशियन, 2.00 प्रतिशत मछली बेचना और 1.50 प्रतिशत किराने की दुकान है।

रोजगाररत महिलायें अपने रोजगार से 62.00 प्रतिशत असन्तुष्ट है और 34. 25 प्रतिशत महिलायें अपने कार्य से सन्तुष्ट है और 3.75 प्रतिशत महिलायें निरूत्तर रही है। पसन्दगी रोजगारों में महिलाओं ने बताया कि 8.00 प्रतिशत अध्यापन का कार्य, 4 00 प्रतिशत प्रशासनिक सेवा, 12.50 प्रतिशत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बनाना, 10.0 प्रतिशत महिला विकास सेवा कार्य करना, 3.75 प्रतिशत, पुलिस प्रशासन, 10.00 प्रतिशत स्वास्थ सेवा में, 25 00 प्रतिशत व्यापार में 24.00 प्रतिशत घरेलू कार्य में 12 50 प्रतिशत अन्य कार्यो को करने की इच्छा है। कार्य कर रही 91.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग कार्य से सन्तुष्ट है और 9.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग असन्तुष्ट हैं। परिवार के सन्तुष्ट लोगों में 25 50 प्रतिशत संरक्षक हैं, 51 75 प्रतिशत पति और 13 75 प्रतिशत परिवार के अन्य लोग हैं।

रोजगाररत महिलाओं का आवास का स्वरूप दो तरह का है। प्रथम रोजगाररत महिलाओं के 91 50 प्रतिशत महिलाओं के निजी मकान है और 8 50 प्रतिशत महिलायें किराये पर रहती है। निजी मकानों की वर्तमान समय में प्रति रोजगाररत महिला की 24,361 रूपया की सम्पत्ति है। परिवार में घरेलू प्रयोग की सामग्री में 13.00 प्रतिशत, महिलाओं के पास टी0वी0 है और 87.00 प्रतिशत महिलाओं के पास टी0वी0 नहीं है। ट्रांजिस्टर 43.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है और 66.00 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। घड़ी 65.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है और 35 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। साइकिल/मोटरसाइकिल, स्कूटर 35.00 प्रतिशत महिलाओं के पास है और 65 प्रतिशत महिलाओं के पास नहीं है। रोजगाररत महिलाओं के पास पशु, सम्पदा में भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, गाय, मुर्गी, गदहा है । जिनमें गदहा की कुल संख्या 952 है जिनकी कीमत रूपये 1338000

है। इस प्रकार प्रति महिला परिवार में वर्तमान समय में औसतन रूपये में 29055 की सम्पत्ति है।

महिलाओं के कार्य करने के कई कारण हैं। 81.00 प्रतिशत महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कार्य करती है। 7.50 प्रतिशत परिवारिक कारणों से, 8.50 प्रतिशत अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने हेतु, 5 50 प्रतिशत व्यक्तिगत सन्तोष और 78.00 प्रतिशत महिलायें सामाजिक स्तर ऊँचा करने हेतु कार्य करती है। महिलाओं के कार्य करने के स्थल की दूरी में है 1 किलोमीटर के अन्दर 27.50 प्रतिशत महिलायें, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में 42.00 प्रतिशत महिला, 2 से 4 किमी0 की दूरी पर 19.00 प्रतिशत और 4 किमी0 की अधिक दूरी तय करके 11.50 प्रतिशत महिलायें प्रतिदिन कार्य करने जाती है।

महिलाओं के दैनिक कार्य करने का समय अलग-अलग है 4 घण्टे से कम काम करने वाली महिलायें 4.50 प्रतिशत है 4 से 6 घण्टे कार्य करने वाली महिलायें 18.50 प्रतिशत, और 6 से 8 घण्टे कार्य करने वाली महिलायें 70 50 प्रतिशत और 8 घण्टे से अधिक कार्य करने वाली 6 50 प्रतिशत महिलायें है। इन महिलाओं को पारिश्रमिक मासिक, अर्द्ध मासिक, साप्ताहिक एवं प्रतिदिन के रूप में दिया जाता है। 25 00 प्रतिशत महिलाओं को मासिक 5 00 प्रतिशत महिलाओं अर्द्ध मासिक और 11.50 प्रतिशत साप्ताहिक और 54 00 प्रतिशत महिलाओं को परिश्रमिक वेतन दिया जाता है इन महिलाओं को प्रतिदिन औसतन मजदूरी/पारिश्रमिक रू0 41.00 प्रतिशत रही थी और प्रति महिला मासिक आय रूपया 1127 थी।

रोजगाररत महिलाओं की समस्यायें उन्हें काम करने में प्रभावित करती है सामाजिक समस्याओं में परिवार के लोग सामाजिक बंधनों के कारण परिवार के लोग उन्हें काम करने में रोकते है। और उन्हें सम्मान नहीं देते है। 18.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग महिलाओं को घर से बाहर कार्य न करने देना, 18. 00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग शारीरिक शोषण की शंका के कारण सम्मान नहीं- देते हैं। 30.00 महिलाओं के परिवार के लोग परिवार की सेवा नहीं

करेगी इसके कारण, 20 00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग उन्हें सम्मान नहीं देते है कि वे स्वतन्त्र हो जायेगी और 14.00 प्रतिशत महिलाओं को अन्य कारणों से सम्मान नहीं देते है इससे महिलायें दुःखी रहती हैं।

महिलाओं के परिवार में वैवाहिक सम्बन्धी समस्यायें मिली है जैसे कि महिलाओं के परिवार में दहेज के कारण, 54.75 प्रतिशत महिलायें, कम आयु में विवाह हो जाने के कारण 20 25 प्रतिशत महिलाये, वर का चयन सही न होने के कारण 75.00 प्रतिशत महिलाओं के परिवार के लोग एवं महिलायें परेशान हुयी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं एवं उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां थी। महिलाओं को घर एवं घर के बाहर अधिक समय तक कार्य करने, परिवार में आर्थिक स्थिति सुदृढ्ढ न होने के कारण अपने एवं परिवार का उपचार सही समय पर नहीं करा पाती है। चिकित्सकों की शुल्क अधिक होने के कारण, दवायें महंगी होने के कारण, और सरकारी चिकित्सालयों मे समय अधिक लगने के कारण पूर्ण इलाज नहीं करा पाती हैं।

रोजगाररत महिलाओं को पूर्ण रूपेण शिक्षित न हो पाने की समस्याओं में आर्थिक कारण से 35 50 प्रतिशत महिलायें, लिंग भेद-भाव के कारण 16.75 प्रतिशत महिलायें, जल्दी विवाह होने से 19 50 प्रतिशत महिलायें कम आयु में काम करने के कारण 8 75 प्रतिशत महिलायें, परिवारिक समस्याओं के कारण 15. 00 प्रतिशत महिलायें और अन्य कारणों से 4.50 प्रतिशत महिलायें थीं। महिलाओं को उन्हे रोजगार चयन में भी समस्याओं को सामना करना पड़ा जिसमें 14 92 प्रतिशत महिलाओं को उनकी क्षमता के आधार पर कार्य न मिलना, 50 प्रतिशत महिलाओं को कार्य के अनुसार मजदूरी पारिश्रमिक न मिलना, 12 10 प्रतिशत महिलाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग न मिलना, और 22.98 प्रतिशत महिलाओं को शिक्षा एवं अन्य समस्या रही।

कार्य करने वाली महिलाओं को आवासीय समस्यायें थी जिसमें प्रमुख रूप से निजी मकान न होना, स्थान की कमी होना, पानी बिजली की कमी, मकान कच्चा

होना आदि कारण रहे है। 8 50 प्रतिशत महिलाओं के पास अपने निजी मकान ही नहीं है। 55.75 प्रतिशत महिलाओं के मकान होने के साथ उन्हें आवश्यकता के अनुसार जगह नहीं है। 65.00 प्रतिशत महिलाओं को पानी एवं बिजली की समस्या रही है। 38.25 प्रतिशत महिलायें कच्चे मकान में या झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। और 8.00 प्रतिशत महिलायें अन्य प्रकार की समस्यायें, जैसे - पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार न होना, यातायात की सुविधा न होना, आदि है।

महिलाओं को मजदूरी/परिश्रमिक कार्य के अनुसार प्राप्त नहीं होती है निश्चित समय पर मजदूरी या विक्रय किए गए सामान का मूल्य प्राप्त नही होता। समान खराब हो जाने पर या मजदूरी करते समय टूट-फूट हो जोने के कारण आर्थिक दण्ड देना आदि समस्यायें थीं। 35.25 प्रतिशत महिलाओं को उनके कार्य के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता। 34.50 प्रतिशत महिलाओं को उन्हें निश्चित समय पर मजदूरी पारिश्रमिक नहीं मिलता है। या उन्हें निश्चित समय पर विक्रय वस्तु का लाभ प्राप्त नहीं होता है। 16.25 प्रतिशत महिलाओं को सामग्री खराब हो जाने के कारण मजदूरी काट लेना या उपादित वस्तु के खराब हो जाने के कारण आर्थिक क्षति होती है। 6.25 प्रतिशत महिलाओं को कर/चुंगी अधिक देना पड़ता है तो 7.75 प्रतिशत महिलायें अन्य कारणों से समस्यायें होती है।

इलाहाबाद नगर में नियोक्ताओं, ठेकेदारों तथा समाज के अन्य प्राणियों द्वारा रोजगाररत महिलाओं पर शोषण को दूर करने के लिये कदम उठाना जरूरी है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाये है जिसे सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को उन्हें कानून संरक्षण व सुरक्षात्मक व्यवस्था देना अत्यन्त आवश्यक है। रोजगाररत महिलाओं के परिवार जन असुरक्षित समाजिक वातावरण के कारण अपने घरे से बाहर कार्य करने नही भेजती है क्योंकि महिलाओं के परिवार में भय व्याप्त है कि नियोक्ताओं, ठेकेदार या आते-जाते समय लोगों द्वारा उत्पीड़न एवं छेड़-छाड़ का षिकार होना आदि है। इससे बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को शक्ति से पालन किया जाय एवं प्रत्येक वार्ड में महिलाओं की एक

समीति बनायी जाय। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से मुक्त करने के लिए उन्हें आत्म निर्भर कर कानूनी संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है।

स्त्रियों की पूरी भागेदारी की आवश्यकता का बदलाव, प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया में पूरे समाज में महसूस किया गया विकास को सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रगति बनाये रखने के लिए सभी जाति वर्ग एवं लिंगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वनियोजित महिलाओं एवं अनौपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आयोग ने यह पाया है कि 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में लगी है तथा केवल 10 प्रतिशत महिलाएं संगठित क्षेत्र में लगी है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की समस्याएं भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की पाई जाती है। महिला श्रमिक विशिष्ट प्रकार की समस्या का सामना करती है।

भारतीय संविधान आर्थिक गतिविधियों पर महिलाओं और पुरूषों के साथ बराबर व्यवहार के लिए प्रावधान का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान महिलाओं को अधिकार और सुविधा ही प्रदान नही करता अपितु महिलाओं के विशेष उपबन्धों का प्रावधान करती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को अधिनियम और सुरक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा किये गये है। सरकार ने महिलओं के कल्याणकारी विकास योजनाएं प्रारम्भ किये गये है जो इस प्रकार है

1. बीड़ी और सिंगार श्रमिक (नियंत्रण की शर्ते) अधिनियम 1966
2. बगान समिति अधिनियम 1951
3. ठेके पर काम करने वाले श्रमिक़ अधिनियम 1970
4. अर्न्तजातीय प्रवासी श्रमिक
5. कारखाना अधिनियम 1948
6. खदान अधिनियम 1952
7. मातृत्व लाभ 1961
8 समाान मजदूरी अधिनियम 1976
9 बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम आदि है।

उक्त नियमों के अतिरिक्त महिला विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है भारत सरकार की मदद एवं राज्य सरकार की मदद से महिलाओं कें सामाजिक-आर्थिक सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। गरीबी की प्रागढ़ता को कम करने, कमजोर एव वंचित लोगों के लिए कल्याणकारी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शहरों की मलीन बस्तियों मे मौलिक एवं संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं एवं बोर्ड निम्नलिखित है :-

1 शिक्षा सहायोग योजना

2 सर्वशिक्षा अभियान योजना

3. शैक्षणिक ऋणयोजना

4. आश्रय बीमा योजना

5. महिला स्वधार योजना

6. किशोरी शक्ति योजना

7 राष्ट्रीय कोषाहार मिशन योजना

8 महिला स्वयं सिद्धि योजना

9 अम्बेदकर बाल्मिक मलीन बस्ती आवास योजना

10 कल्याण और सहायता सेवाएं

11 रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

12 सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

13. बालिका समृद्धि योजना

14 महिलाओं एवं बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध योजना

15 राष्ट्रीय महिला कोष

16. राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान

17. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

18. महिला उधमियों हेतु ऋण योजना।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक दशाओं को अच्छा बनाने के लिए नगर में महिलाओं के सामाजार्थिक विकास हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यूह / नीति अपनाना अति आवश्यक है। जो इस प्रकार है :-

1. रोजगाररत महिलाओं के घरेलू कार्यो में परिवार का सहयोग होना अति आवश्यक है।
2. रोजगाररत महिलाओं को शिक्षा एवं आधुनिक व्यवसायी तकनीकी का ज्ञान या शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु निःशुल्क ज्ञान देना।
3 रोजगाररत महिलाओं को सामाजिक बन्धनों मुक्त करना।
4. रोजगाररत महिलाओं को आवश्यकतानुसार आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
5 रोजगाररत महिलाओं को व्यवसायिक चयन में मदद किया जाय।
6 रोजगाररत महिलाओं की मजदूरी/परिश्रमिक में भेद-भाव समाप्त किया जाय।
7. रोजगाररत महिलाओं को दो तरह के कार्यो से मुक्त एवं लिंग की गलत आकाक्षाएं दूर किया जाय।
8 रोजगाररत महिलाओं के यौन शोषण को समाप्त कर कानूनी संरक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से पालन किया जाय।
9. रोजगाररत महिलाओं को विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की जाय।
10. रोजगाररत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाय।

निष्कर्ष रूप में कह सकती हूँ कि प्रस्तुत शोध के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर के महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाएं अच्छी तो नहीं है लेकिन सन्तोषजनक है। इसलिए महिलाओ के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलत करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक दृष्टि से समानता और उन्नत का मार्ग प्रशस्त कराने हेतु अभी तक किये गये प्रावधानों व्यवस्थाओं नीतियों

संविधान संसोधनों, कानूनी योजनाएं कार्यक्रम आदि के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे है। किन्तु उनकी गति को सन्तोष जनक नहीं कहा जा सकता। महिलाओं से सम्बन्धित कोई भी विधेयक संसद में आसानी से पास नही हो पाता। आज भी ईसाईयों में तलाक की व्यवस्था से सम्बन्धित ईसाई विवाह विधेयक, अनिवार्य बालिका शिक्षा से सम्बन्घित बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक महिलाओं पर घरेलू हिंसा (निरोधक) विधेयक तो लम्बित है।

महिलाओं के लिए अभी तक किये गये सभी प्रावधानों में सबसे सशक्त समझा जाने वाला महिला आरक्षण सम्बन्धी बना संविधान संसाधोन विधेयक 1998 पिछले तीन वर्ष से संसद में लटका हुआ है जबकि इसमें प्रावधानिक प्रस्ताव तर्क संगत ही है। स्त्रियों को समाज में समानता का दर्जा दिलाने के लिए केवल लक्ष्य निर्धारण करने से काम नही चलेगा अपितु लक्ष्यों की भली-भॉंति प्राप्ति करने के लिए आवश्यक संसाधन भी जुटाने होगे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी योजनाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी प्रत्येक स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि महिला और सशक्तीकरण की योजनाएं कागजों तक ही सीमित नहीं रह जाएं बल्कि धरातल पर उतारी जाय।

सन्दर्भ ग्रन्थ (Bibliography)

1- Aleen shamin - Women police and social charge 1992

2- Alteker A S - The Position of woman in the Hindu Civililation Banaras 1947

3- Asthana pratima – women movement in India New Delhi 1970

4- Ahmad R- Studies of Educated working women in India - 1979

5- Anindita Mukherji and Neelam Verma- Socio Economics backwardness has in women.

6- Ashok Rudra – Women's Studies in India Economic & Political weekly vol-xxiv, No 42 Oct 21 1989 PP 2395

7 अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष के विश्व सम्मेलन द रिपोर्ट मेक्सिको सिटी 10 गज, 2 जुलाई 1925 (संयुक्त राश्ट्र प्रकाषन सेल्स न0 ई0 76)

8- एस चिश्ती, इण्डिया एण्ड डब्ल्यू0टी0ओ0 इकनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 36 14 और 15, 2001 पृष्ठ 1248

9- भारत सरकार · द गजेटियर आफ इण्डिया खण्ड-2 नई दिल्ली, 1973

10– Banerjee N- women workers in the unorganised and sector, Hyderabad Sangam Books-1985

11- Banerjee Gauri Rani – Aspects of the position of women In Ancient India. Ph D thesis 1942 Allahabad University.

12 बलराम दत्त शर्मा - भारत की नारी अव भी बेचारी योजना 1986 - 1-15 अप्रैल

13– Chaturvedi S N - History of rural Education In U.P. Allahabad

14- C Raghunadha Reddy -Changing status of Educated working Women 1986

15- Chaurasia B P.- Women's status In India policies and Programmes

16 चक्रवर्ती उमा, कन्सपचुलाई जिग ब्रह्मनिकास, पेट्रिमार्की इन अली इण्डिया जेन्डर कास्ट कलाम एण्ड स्टेट इकानामिक

17- देसाई, ए0 आर0 सोशल बैकग्राउण्ड 1305 आफ इण्डियन नेशनिलिजम, बम्बई, पापुलर 1966

18- दत्त रूद्र एवं सुन्दरम् के0बी0एम0 इण्डियन इकोनामी नई दिल्ली, एस0 चन्द्र, 1979

19– Dak T M- Women and work In Indıan Socıety (Delhi 1988)

20- धटे, सी0 ए0 :- द सोसियो-इकोनामिक कन्डीशन्स आफ एजूकेटेड विमेन इन बाम्बे सिटी, यूनिवर्सिटी स्कूल आफ इकोनामिक एण्ड सोसियोलॉजी।

21- गिरी वी0वी0 : लेवर प्राबलम्स इन इण्डिया, बाम्बे एशिया 1958

22- गाडगिल, डी0 आर0 : विमेन इन द वर्किंग फोर्स इन इण्डिया-दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस, 1965

23- धींगरा . आई0सी0 . द इण्डियन इकोनामी, नई दिल्ली एस0 चन्द्र 1981 ।

24– Cırıappas - The Role of women In Rural Development 1988.

25- Dr Gadgıl- Women In the working Force In Indıa"

26- हरजीत कौर- महिलाओं के लिए व्यवसाय चयन का सवाल अंग 41-15 अप्रैल 198 पृष्ठ संख्या 16 योजना।

27- दील लाल जन -15 वर्षो में महिला उत्थान का संकल्प योजना अंक 19.16. 30 नवम्वर 1986 प्रान्तीय।

28– Indıan Women Education and status 1976-New Delhı

29- Inderjeet Kaur- Status of Hındu Women ın Indıa"

30- डॉ जगदीश सहाय, समाज दर्शन की भूमिका, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1970

31- जॉनसन हेरी - एक विधिवत विवेचन, अनु योगेश अटल कल्याणी पब्लिसर्स, लुधियाना दिल्ली 1970, पृष्ठ 145

32- कौर अमृतः चैलेन्ज टू विमेन, इलाहाबाद, न्यू लिटरेचर 1967।

33- कोठारी रजनी : पॉलिटिक्स इन इण्डिया, दिल्ली औरिएन्ट लॉगमैन 1970

34- Kapadia, K.M. Changing Pathern of Hindu Marriage and Family Sociological Bullities 1950

35- Kapadia K M - Marriage and Family in India extord University press 1966

36- K. Sadamoni- Women in Employment

37- Kaur M. Women in India's Freedom struggle N P. sterling publisher's 1985

38- Kapur pramilla, Changing status of the working women in India 1978

39- Kumari Jyotsna - Female Rural working force needs a better deal yojana vol 32 , No 8, May 1-15, 1988

40- K sardamani – Women in Employment

41- Kamla Bhusin – Pocrstatus of working women. Proceeding of Seminar held in Srinagar Sep-1972

42- Kamala Bhusin – The position of women in India a Historical perspective

43- Kaptain S.S - A case study of Anaravati city the income wage and working conditions of women workers in the unorganised sector social westare vol (xxxvi x10-2 May 1989 P.P. 23-31 and 35

44 काशी गोपाल श्रीवास्तव - क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार सम्भव है योजना मई 2002

45- कल्याणी नारी अंक - भारतीय नारी का स्वरूप और दायित्व पृष्ठ 72, गीता प्रेस 1948

46– Leela Kasturı & other's – Women worker's in India, studıes ın Employment and status ICSSR programmer of women studıes

47- Lebra J.- Women and work ın India N.D. Pramıla & co publısher 1984

48- Lalıta Devi Usha - Status and Employment of women in Indıa- 1982

49- Lalita Manocha- Lıterate women force – Allıed Publısher "New Delhı" Menpower Journal Vol. xxı No-2 July Sep-1985

50- लीलवती - नारियां पुरूषों के समान सम्मान चाहती है। योजना अक 19,16-30 नवम्बर 1986 पृष्ठ संख्या 7

51- मजमूदार, वी0वी0 - हिस्ट्री आफ इण्डियल सोशल एण्ड पौलिटिकल आइडियाज राम मोहन टु दयानन्द, कलकता वुललैण्ड 1976

52- Mıra Sarvana - Changıng trend ın women's Employment Hımalya of Publıshıng House Bombay 1980

53- Mıtra Ashok- The status of women lıteracy and Employment ICSSR Progrmme of women studies, Allıed Publısher New Delhi 1979

54- मोहम्मद हारून- महिला साक्षरता :- दशा और दिशा - योजना नवम्बर 1999

55- मनुस्मृति - गंगानाथ झा द्वारा सम्पादित पृष्ठ 79

56- नरेश चन्द्र जोशी - बदलते आर्थिक परिवेश में भारतीय महिलाओं की भूमिका योजना अंक 19, 16,-30 नवम्बर 19865011

57- Nalional workshop an problem's of women construction workers Labour Jounral of India Dec. 1986- Vol –27 No-12 pag 1746-1747

58- नवशरण सिंह - बजट और महिलाएं वैकलिपक आर्थिक सर्वे 2000-2001

59- नैरोबी अर्न्तगामी नीतिन प्रेस

60- Popla T.S.- women workers in an Indian Labour Market Geneva I L C study 1983

61- Pol- B K - Problems & concerns of Indian women published had by Raj Chaudhary for A.B C. publishing House 72- a. Shankar Market connaught circus, New Delhi 1987

62- Pradeep Kumar Saxena - Profile of urban women worker's Menpower Journal vol (xxuiI) No- 3Oct-Dec.-1991

63- Progess of female literacy in India yogana Nov-16-30 1988. Vol 32. No. 21 page 10

64- Pant S.C. indian Laour Problem's Chaitanya Publication 1976

65 प्लानिंग एण्ड इकोनामिक पालिसी इन इण्डिया, पुणे गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पोलिटिक्स एण्ड इकोनामिस्ट 1972

66- पुर्नगठित जनपद की जनसंख्या (इसमें सृजित जनपद कौशाम्बी से नये भू-भाग की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है।)

67- Rajulen Devi - Women In rural Industries Kurukshetra vol. (xxx) No-23 sep.-1,15,1982 page 13-16

68- रत्ना श्रीवास्तव- महिलाओं की स्थिति एवं विकास योजना, जुलाई 2002

69- एस.जी. दूबे एवं श्री आर.पी मिश्रा 1972 जनांकिकी एवं जनसंख्या अध्ययन, साहित्य भवन, आगरा।

70- आर0एस0 त्रिपाठी- इण्डियन आरक्योिलाजी, 1954-55

71- स्टाले ए0 लेवी लारेस - साइको न्यूरोसिस एण्ड इकोनामिक लाइफ दि सोसियोलाजी आफ मेन्टल डिस्आजेस, स्टैपैलस प्रेस, लन्दर 1968 पृष्ठ 12

72- एस0 चिश्ती- इण्डिया एण्ड डब्यू0टी0ओ0 इकनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 36:14 और 15, 2001 पृष्ठ 124

73- सेन गुप्ता पद्मिनी- विमेन वर्कस इन इण्डिया, वम्वई एशिया 1960

74- संकालरित्तका कुजुर- वैदिक एवं धर्म शास्त्रीय साहित्य में नारी, वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन 1982

75- Saxena R C. - Labour problems and social welfare , Jai Prakash Nath & Co, Meerut 1961

76- Saran A P. & Sandhawar A N. Problem's of women worker's unorganised sector.

77- S K Singh & Ram Iqbal Singh – "Impact to Rural Development an Economic status of women In up Kurukshetra" May 1987 page 13

78- Singh, B.N – Women Force Problems and Prospects Yojana Vol.33, No.4, March 1-15-1989.

79 सुबह सिंह यादव - "आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका योजना, 15-30 नवम्वर, 1988

80- Saxena Kumudlata – Position of women in Hind civilization

81- S B Maurya – "Woman In India" 1988

82- Summary of the reports on the Socio Economic Conditions of women worker's in manufacturer of chemicals and chemical problem's and food products (Export tea. coffee and sugar industries). Indian labour journal – March 1987 page 320-334

83 ताराचन्द्र - हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया खण्ड-2, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1967।

84 दि इकोनामिक वीकली, सितम्वर, 1965।

85 त्रिपाठी श्वेता- भारतीय नव सविधान लागू होने के पश्चात भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज विज्ञान संकाय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 1992

86- त्रिलोकीनाथ - भारतीय महिला रोजगार के आइने में कुरूक्षेत्र, जून 1990।

87 त्रिपाठी बद्री विशाल (2000) असंगठित क्षेत्र।

88. दि पालिटिकल वीकली, 3 अप्रैल, 1931।

89- Thippail P. Women workers in urban unorganised sector Social Welfare Vol. XXXVI No.2 May 1989, pp. 20-23 and 41

90 उमेशचन्द्र अग्रवाल – भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास, योजना मार्च 2001।

91. डॉ0 उमेशचन्द्र अग्रवाल – वर्श 2001 की नई विकास योजनाएं, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी/2002/1233

92. डॉ0 उमेशचन्द्र अग्रवाल – भारत में महिलायें, समानता एवं सशक्तिकरण के प्रयास चाणक्य लिडिल, सर्विसेज टुडे, जून 2001।

93 विजय एवेन्यू – एलिएट विमेन इन इण्डियाज पालिटिक्स दिल्ली विकास 1979।

93 वूजी. एस एल. – डोवरी सिस्टम इन इण्डिया, नई दिल्ली, एशिया, 1969।

94. वार्षिक रिपोर्ट 1994–95 भारत सरकार श्रम मंत्रालय।

95 विमेन्स रोल इन सोसाइटी, अहमदाबाद, नवजीवन 1959।

96- Women's studies India Neera Desai, p p 1676 Economic & Political, Weekly Vol XXIV, No 28, July 22 1982

97- Women workers seminar "Hindi Majdoor, Vol XXIV, No 8, Sep , 1986, Page 8-9

98- Women Technology and forms of production Economics & Political Weekly Vol. XI, X No 48, Dec 1984 Page 2022.

99- वानसन हेरी एम0 – समाजशास्त्र : एक विधिवत विवेचन अनु योगेश अटल कल्याणी, पब्लिशर्स लुधियाना, दिल्ली, 1970 पृ0 388, 392.

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजार्थिक दशाओं का अध्ययनः

रोजगाररत महिलाओं की प्रश्नावली

1. नगर का नाम ....

2. वार्ड संख्या ....

3. मोहल्ले का नाम ....

4 रोजगाररत महिलाओं का नाम ....

5 सूचना देने वाले का नाम एवं सम्बन्ध ....

6 मुख्य व्यवसाय-गौण व्यवसाय ....

7. शैक्षिक योग्यता ....

8 परिवार की संख्या एवं शैक्षिक विवरण -

क्रमांक	परिवार		संख्या			
	व्यक्ति	सख्या	प्राइमरी	सेकेण्डरी	उच्च	तकनीकी
1	पुरुष					
2.	महिला					
3.	बच्चे					
	योग					

9. व्यवसाय का विवरण :

क्रमांक	व्यवसाय समूह	संख्या		
		पुरुष	महिला	बच्चे
1.				
2.				
3.				

10. संपदा का विवरण :

क्रमांक	विवरण	मकान		
		कच्चा	पक्का	क्षेत्रफल
1	आवास			
2	पशु आवास			
3.	बाग/गार्डेन			
4.	खाली भूमि			
5.	अन्य			

11. पशु एवं अन्य सम्पदा :

क्रमांक	पशु का विवरण	क्रय वर्ष	संख्या	क्रय मूल्य	वर्तमान मूल्य

12. घरेलू उपयोग की सामग्री :

क्रमांक	मद	वर्तमान समय मे		5 वर्ष		10 वर्ष	
		सख्या	कीमत	संख्या	कीमत	सख्या	कीमत
1.	मकान कच्चा						
	पक्का						
2	टी0वी0						
3.	ट्रांजिस्टर						
4	घड़ी						
5.	साईकिल						
6.	मोटर साइकिल						
7.	बैंक में जमा रूपया						
8	उधार लिया गया रूपया						
9	सोफा						
10	आलमारी						
11	अन्य						

13 विगत वर्षो में आपका सामाजिक, आर्थिक स्तर बढा है। हाँ/नहीं।

हाँ तो कितना प्रतिशत

नहीं तो क्या कारण

14 रोजगार सृजन हेतु कार्यक्रम में अपने रोजगार पाया है। हॉ/नहीं

15 नियोक्ता/अधिकारियों/कर्मचारियों से कैसा व्यवहार रहा है। बहुत अच्छा/अच्छा/खराब

16 परिवार में क्या उत्तरदायित्व है? हॉ/नहीं

(क) बच्चों का पालन पोषण

(ख) भोजन बनाना

(ग) कपड़ा धोना

(घ) घर की सफाई

(ङ) पति एवं अन्य की सेवा

(च) उक्त के अलावा उत्तरदायित्व

17. किस धर्म को मानती है?

18. परिवार के सदस्यों की धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है?

19. धार्मिक दृष्टिकोण का स्वरूप कैसा है?

(क) अन्धभक्त/अत्यधिक

(ख) कट्टरता/सहिष्णुता

(ग) अप्रोज्य

20 आप किस जाति की है?

21. आप विवाहित है कि अविवाहित?

22. विवाह के समय क्या उम्र थी?

23 विवाह होने के समय विवाह का क्या स्वरूप था?

(क) माता–पिता की इच्छा से

(ख) घर के मुखिया की इच्छा से

(ग) प्रेम विवाह

(घ) अन्य

24 विवाह होते समय मानसिक रूप से तैयार थी, इस समय वैवाहिक समय कैसा है?

(क) पति के साथ है

(ख) विधवा है

(ग) परित्याग

(घ) अलग निवास

25. रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण लिया है कि नहीं।

26. आप के क्षेत्र में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा है कि है/नही

हॉ तो किस प्रकार? घर से दूरी?

चिकित्सा प्रदति का नाम दूरी

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

27. परिवार के व्यक्ति के रोग के बारे में जानकारी है कि नहीं

28. परिवार नियोजन की सुविधा किसके माध्यम से पायी

(क) समाचार पत्र

(ख) पत्र-पत्रिकाएं

(ग) टी0बी0

(घ) सहेली

(ङ) स्वास्थ्य बोर्ड/सरकारी कर्मचारी

(च) राय नहीं

29. सही ढंग से चिकित्सा न करा पाने के क्या कारण है।

30. आप अपने रोजगार से संतुष्ट है कि नहीं?

संतुष्ट है तो कितना

31. आप किस प्रकार का रोजगार करना पसन्द करती है?

32 आप के व्यवसाय से परिवार के लोग संतुष्ट है

हॉ तो उसका विवरण?-

33 आपका मकान निजी है या किराये पर।

34. रोजगार क्यों कर रही है और उसके करने के क्या कारण है-

(क) आर्थिक स्थिति खराब

(ख) पारिवारिक कारण

(ग) अतिरिक्त समय का सदुपयोग

(घ) व्यक्ति संतोष

(ङ) सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु

35. घर से कितनी दूरी पर कार्य करने जाती है?

36. प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करती है?

37. आपको मजदूरी कब मिलती है।

(क) मासिक

(ख) अर्द्धमासिक

(ग) साप्ताहिक

(घ) प्रतिदिन

38 प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है/कितने रूपये का प्रतिदिन काम होती हैं।

39 परिवार के सम्मान न मिलने के क्या कारण है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

40 परिवार में विवाह सम्बन्धी क्या समस्यायें है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

41. शिक्षा सम्बन्धी क्या समस्याएं है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

42. चिकित्सा सम्बन्धी क्या समस्याएं है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

43. रोजगार चयन में क्या समस्याएं थीं

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

44. आवास सम्बन्धी क्या समस्याएं है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

45. मजदूरी या कार्य के बदले धनराशि प्राप्त होने में क्या समस्या हुई है।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

46. आप क्या सरकारी विकास कार्यक्रम के बारे में जानती है कि नहीं।

47. सरकारी कार्यक्रमों से लाभ पाया है कि नहीं

48. अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार रत महिलाओं को किस प्रकार की सरकारी सुविधा दी जाय

(क)

(ख)

(ग)

(ध)

(ङ)

49. इस क्षेत्र में कार्य करने से आपको कैसा लगता है।

50. इस क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं के सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु आपका क्या विचार है

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

इलाहाबाद नगर में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगाररत महिलाओं की सामाजार्थिक दशाओं का अध्ययनः

II - प्रश्नावली

1. नगर का नाम .. ..
2. वार्ड संख्या ....
3 नगर का वर्गीकरण..... ....
4. कुल परिवारों की संख्या . .. .

क्रमांक	वर्ग	संख्या		
		नगर	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
1.	सामान्य			
2.	पिछड़ी जाति			
3.	अनुसूचित जाति			

5. कुल जनसंख्या :

वर्ष	विवरण								
	पुरुष			महिला			बच्चे		
	नगर	जनपद	उ0प्र0	नगर	जनपद	उ0प्र0	नगर	जनपद	उ0प्र0

6. जनसंख्या वृद्धि दरः

वर्ष	नगर			जनपद		
	पुरुष			महिला		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961						
1971						
1981						
1991						
2001						

7. जनसंख्या का घनत्वः

वर्ष	नगर	जनपद	उत्तर प्रदेश
1961			
1971			
1981			
1991			
2001			

8. साक्षरता :

वर्ष	विवरण								
	नगर			जनपद			उत्तर प्रदेश		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल

9. चिकित्सा सुविधायें :

वर्ष	मद	संख्या
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

10 चिकित्सा सुविधाओं पर जनसंख्या भारः

कुल संख्या	चिकित्सा पद्धति	जनसंख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

वर्ष	श्रम शक्ति

12. कर्मकरों का विवरण :

वर्ष	कर्मकरों की संख्या

13. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति

वर्ष	विवरण								
	पुरुष			महिला			योग		
	नगर	जनपद	राज्य	नगर	जनपद	राज्य	नगर	जनपद	राज्य

14. रोजगाररत में कार्यरत व्यक्तियों का विवरणः

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

क्रमांक	शिक्षण संस्था में	संख्या
1.	प्राइमरी	
2.	प्राथमिक	
3.	इण्टर	
4.	महाविद्यालय	
5.	विश्वविद्यालय	
6.	मेडिकल कालेज	
7.	कृषि विश्वविद्यालय	
8.	तकनीकी शिक्षण संस्थान	
9.	बैंक शाखा	
10.	अन्य	

15. असंगठित रोजगार में लगे व्यक्तियों का विवरण.....

मजदूरी

क्रमांक	मद	पुरूष			महिला		
		वर्तमान	5वर्ष	10वर्ष	वर्तमान	5वर्ष	10वर्ष
1.	राजकीय						
2	व्यक्तिगत						

16. वित्तीय संस्थायेंः

संख्या	शाखायें		
	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1			
2			
3			
4			
5			

17. पशु सम्पदा का विवरण :

क्रम	पशु का नाम	वर्ष		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				